To,
The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Dated:04.04.2024

Sub: Regarding Submission of Response/Factual Status on behalf of Respondent no. 6, Forest Department, Uttar Pradesh in pursuance to the order dated 02.02.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application no. 112 of 2024, Chaudhary Yashwant Singh Vs Union of India and Ors

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above in compliance of the order dated 02.02.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application no. 112 of 2024, Chaudhary Yashwant Singh Vs Union of India & ors., The Response/Factual Status of Respondent no. 6, Forest Department, Uttar Pradesh is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

Chief Conservator of Forest,
Mirzapur

Chief Conservator of Forest
Mirzapur Mandal
Mirzapur (U.P.)

चौधरी यशवंत सिंह द्वारा ए0सी0पी0 टोल प्लाजा जो कि जनपद मीरजापुर के ग्राम बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार, मीरजापुरके आराजी संख्या–291 वाराणसी शक्तिनगर मार्ग (At km. 23.700) पर अवस्थित है, के लगभग 15 बीघा(भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि के रूप मे विज्ञापित है), पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु बिना कोई विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये कार्यालय कर्मचारी आवास, हॉट मिक्स प्लांट एवं टोल प्लाजा आदि स्थापित/संचालित किये जाने के बाबत मा0 अधिकरण के समक्ष ओरिजिनल एप्लिकेशन नम्बर–112/2024 (IA No. 45/2024)द्वारा याचिका योजित की गयी। जिसके कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के Original Application No-112/2024(I.A. No.45/2024) Chaudhary Yashwant Singh Vs. Union of India & Ors में निम्न प्रकार दिनांक–02.02.2024 को आदेश पारित किया गया है –

1- In this Original Application, Applicant has raised the grievance that the Project proponent in collusion with the Uttar Pradesh State highway Authority and other concerned officers has illegally constructed/operating toll tax plaza (toll fee collection booth) ? hot mix plant at village Belkhara, Pargana- Ahraura, Thasil Chunar, district Mirzapur on Araji No. 291 Mi in area of 15 Bigha which has been declared as Forest Land.

2- Submission of learned Counsel appearing for the Applicant is that no NOC has been taken and the forest land has not been converted and that though the permission was granted operating 3 toll plaza but no such permission has been granted to toll plaza in question which is operation in violation of environmental norms.

3- The OA raises substantial issue relating to compliance of the provisions of Scheduled enactments.

4- Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

5- Respondent No. 6 is direction to the file the report reflecting the factual position in respect of location and operation of toll plaza in question especially in reference to the allegation of its setting up in the forest land without permission.

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा0 अधिकरण के समक्ष रिपोर्ट दाखिल किये जाने हेतु कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय आदेश संख्या–3212/मी0क्षे0/10रिट, दिनांक 16.02.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। जॉच के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय के पत्रांक 2891/मीरजापुर/10रिट दिनांक 29 फरवरी 2024 के माध्यम से प्रश्नगत टोल प्लाजा कैम्प कार्यालय रावर्टसगंज सोनभद्र को क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज के माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में नोटिस तामिला कराते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। जिसके क्रम में प्रशनगत टोल प्लाजा प्रबन्धन द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में दिनांक 12.02.2024 को उपस्थित होकर जवाब दाखिल कराया गया तत्पश्चात गठितसमिति द्वारा प्रकरण सम्बन्धी अभिलेखो का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण/मौका मुआयना किया गया। अभिलेखीय परीक्षण में निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश मे आये जिसका विवरण निम्नवत् है–

1– जनपद–मीरजापुर में मीरजापुर वन प्रभाग के चुनार रेंज अन्तर्गत ग्राम–बेलखरा, परगना–अहरौरा, तहसील–चुनार में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या–23(2)95/XIV–8–67 दिनांक 22.02.1967 द्वारा महामहिम राज्यपाल

8

महोदय उ0प्र0 ने 503 बीघा 4 बिश्वा आरक्षित वन बनाये जाने की उद्घोषणा की गयी। **(संलग्नक–1)**

2– भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन बन्दोबस्त की समस्त प्रकिया पूर्ण करते हुए धारा–11 आदि के अन्तर्गत प्राप्त समस्त दावों का सम्यक निस्तारण के उपरान्त भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के तहत् विज्ञप्ति संख्या–5924/14–2–20(47)–82, दिनांक 14.01.1984 को 487 बीघा 4 बिश्वा आरक्षित वन घोषित किया गया। जिसमे प्रश्नगत आराजी संख्या 827 मि0 का कुल रकबा 305 बीघा 11 विश्वा सम्मिलित है। **(संलग्नक–2)** रिट याचिका में दर्शाये गये आराजी संख्या–291 तथा सन् 1963 चकबन्दी प्रक्रिया में राजस्व अभिलेख व गाटो का परिवर्तन (प्रपत्र 41–45) **(संलग्नक–3)** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी संख्या–291 मि0 का पुराना आराजी संख्या–827 मि0 था और कैफियत के कालम मे पहाड़ श्रेणी भूमि के रूप मे दर्ज है, जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 की विज्ञप्ति से आच्छादित आरक्षित वन भूमि है। 1359 फसली की खतौनी के अनुसार प्रश्नगत गाटा 827 मि0 वन बंजर खाते में पहाड़ श्रेणी में दर्ज है जो उक्त संलग्नक–3 के 41–45 से स्पष्ट है। इस प्रकार उपरोक्त परीक्षण में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत स्थल धारा–20 की विज्ञप्ति से आच्छादित आरक्षित वन भूमि है।

3– **उपरोक्त अभिलेखीय परीक्षण में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न वादों के भी प्रकरण प्रकाश में आये है जो कि निम्न प्रकार उल्लिखित है–**

चकबन्दी प्रकिया में विज्ञापित गाटा संख्या 827 मि0 से बना हाल नम्बर 291 को सरस्वती देवी द्वारा चकबन्दी प्रकिया के दौरान फर्जी तरीके से साठ–गॉठ कर मा0 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी तृतीय, अहरौरा, तहसील–चुनार, मीरजापुर के यहॉ वाद संख्या–58/309 सन् 1963 सरस्वती बनाम् सोनवन प्रखण्ड योजित कर बिना वन विभाग को सुनवाई का अवसर दिये चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 10.02.1963 **(संलग्नक–4)** द्वारा फर्जी तरीके से सरस्वती देवी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर लिया गया। जिसके आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है–

"अतः आदेश हुआ कि ग्राम बेलखरा परगना अहरौरा की आ0न0 827 मि0 15 बीघा लगान रू0 3.75 से गॉव सभा व सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी स्त्री बिरजू सारोकार अंकित किया जावे। अमदरामद के पश्चात् दाखिल दफतर हो।"

उक्त आदेश के काफी समय व्यतीत होने के बाद सरस्वती देवी ने दिनांक 18.02.1987 व दिनांक 26.08.1988 द्वारा प्रश्नगत आराजी पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रकरण संज्ञानित होने पर वन विभाग द्वारा तहसीलदार–चुनार के समक्ष अपील योजित की गयी। अपील संख्या–628 सन् 1987–88 वन विभाग बनाम् सरस्वती में दिनांक 23.01.1989 को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 18.02.1987 एवं 26.08.1988 को निरस्त करते हुये सायल को पुनः नोटिस दी जाय तथा अगली सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की गयी। **(संलग्नक–5)**

उक्त के क्रम में पुनः सरस्वती देवी द्वारा सिनियर ज0जूनि0डिविजन, चुनार के समक्ष मु0सं0–305/1987 योजित की गयी। तत्क्रम में एक और अपील तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध मूलवाद–305/1987 मुंसफ मीरजापुर के समक्ष योजित की गयी। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.1987 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया गया, आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है–

"प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि दरमियान मुकदमा वे विवादित जमीन पर किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप न करें और वृक्षारोपण न करे।" आदेश दिनांक 10.09.87 संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

9

मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.1987 के विरूद्ध वन विभाग ने न्यायालय चतुर्थ जनपद न्यायाधीश ,मीरजापुर के समक्ष प्रकीर्ण अपील संख्या–82/सन् 1987 दाखिल किया गया । **(संलग्नक–7)**

तत्समय मे ही सरस्वती देवी ने विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट मीरजापुर के न्यायालय में निगरानी संख्या–33/2003 सरस्वती देवी बनाम् वन विभाग दाखिल की गयी, जिसे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2004 को निरस्त कर दी गयी। **(संलग्नक–8)**

तत्पश्चात मु0 वाद संख्या–305/1987 मुंशफ मीरजापुर के समक्ष जो अपील योजित थी, को निरस्त करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.12.2011 को स–व्यय निरस्त कर दिया गया । आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है–**"वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किया जाता है। दिनांक 15.12.2011" (संलग्नक–9)**

मा0 न्यायालय द्वारा मु0 वाद संख्या–305/1987 में पारित आदेश 1987 के विरूद्ध वादिनी सरस्वती देवी ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–19144/2004 सरस्वती देवी बनाम् राज्यादि योजित किया गया, सरस्वती देवी द्वारा सिविल जज, जूनियर डिविजन के समक्ष जो वाद योजित किया गया था अतिरिक्त कथन के आधार पर निर्णय के नवीन बिन्दु सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र संख्या 130–सी को निरस्त कर दिये जाने पर सरस्वती देवी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे याचिका संख्या 19144/2004 योजित की गयी । जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 03–03–2014 के क्रम मे पूर्व मे दिये गये स्थगन आदेश को समाप्त करते हुए रिट याचिका निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे पुनः स्थापना प्रार्थना पत्र दिये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए इन्स्ट्रक्शन दाखिल करने हेतु निर्देश निर्गत किया गया जो अभी भी विचाराधीन है। **(संलग्नक–10)**

सरस्वती देवी द्वारा न्यायलय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश–6 के न्यायालय में वाद संख्या–9/2012 सरस्वती देवी बनाम् वन विभाग योजित किया गया। जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2022 **(संलग्नक–11)** को सुनवाई करते हुए उक्त योजित वाद 09/2012 को निरस्त करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है–

"अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारि प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011 पुष्ट किया जाता है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि तलबशुदा मूलवाद की पत्रावली अविलम्ब वापस किया जाना सुनिश्चित करे। दिनांक 16.09.2022 ।" मा0 न्यायालय द्वारा वादिनी का दावा निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध वादिनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सेकेण्ड अपील संख्या–1020/2022 सरस्वती देवी बनाम् राज्यादि योजित की गयी है जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

वादिनी द्वारा विभिन्न न्यायालयो में विभाग को उलझा कर दिनांक 19.04.2012 को कूट रचित खसरे की नकल लगाकर ए0सी0पी0टोलवेज को प्रश्नगत आराजी को रू0 1,19,000.00 (एक लाख उन्नीस हजार रूपये) प्रति वर्ष के किराये पर अनुबन्ध में दिया गया और ए0सी0पी0टोलवेज द्वारा प्रश्नगत आराजी पर भवन निर्माण कर अतिकमण कर लिया गया।उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में तत्समयिक क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार द्वारा कार्यवाही के क्रम में ए0सी0पी0 टोल प्लाजा प्रशासन द्वारा मा0 सिविल जज सीनियर डिविजन के समक्ष वाद संख्या–147/2017 ए0सी0पी0 टोल प्लाजा बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार व 2 अन्य याचिका योजित की गयी। जिसे मा0 न्यायालय द्वारा सुनवायी करते हुए दिनांक 27.02.2020 को आदेश पारित किया गया जो निम्नवत् है:–

"प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किया जाता है तदनुसार आपत्ति 50ग निस्तारित की जाती है तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र 27ग निष्प्रभावी हो जाने के कारण निरस्त किया जाता

10

है। पत्रावली दिनांक 06.04.2020 को वास्ते उत्तरपत्र/तनकीह पेश हो।" मा0 न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये निरस्त कर दिया गया**(संलग्नक–12)**। अवैध रूप से संचालित/स्थापित प्रश्नगत टोल प्लाजा के बेदखली हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 68/चुनार/10केस, दिनांक 06.09.2020 के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर से अनुरोध किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 974/भी0/दिनांक 10.09.2020 को ए0सी0पी0 टोल प्लाजा के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर नोटिस अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–61बी(1) के तहत वाद संख्या–01/2020 पंजीकृत करते हुए क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज बनाम ए0सी0पी0 टोलवेज को बेदखली हेतु नोटिस जारी की गयी। प्राप्त नोटिस के क्रम में वादी प्रतिवादी उपस्थित आये तत्पश्चात उक्त एजेंसी द्वारा निर्गत नोटिस के क्रम में मा0 सिविल जज सिनियर डिविजन के आदेश दिनांक 27.02.2020 के विरूद्ध मा0 जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में प्रकीर्णवाद संख्या–11/2020 ए0सी0पी0टोलवेज बनाम् क्षेत्रीय वनाधिकारी, चुनार रेंज व अन्य योजित किया गया। उपरोक्त प्रकीर्णवाद संख्या–11/2020 के क्रम में सुनवाई करते हुये मा0 न्यायालय जनपद–न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11.11.2020 को मा0 सिविल जज , सीनियर डिविजन के आदेश दिनांक 27.02.2020 के कियान्वयन पर रोक लगाते हुये स्थगन आदेश पारित किया, जिसका उद्घृत अंश निम्नवत् है :–

"अतः न्यायहित में स्थगन प्रार्थना पत्र 15 घ इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्ष दिनांक 30.11.2020 तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखेगें तथा नियत तिथि 30.11.2020 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.02.2020 का कियान्वयन व प्रभाव स्थगित रहेगा"। पत्रावली वास्ते आपत्ति एवं निस्तारण दिनांक 30.11.2020 को पेश हो।"आदेश दिनांक 11.11.2020 (संलग्नक–13)। वर्तमान में दिनांक 12.03.2004 को उक्त वाद के सम्बन्ध में न्यायालय से ज्ञात करने पर आर्डर शीट में पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 02.04.2024 तक प्रभावी है**(संलग्नक–13–क)** और प्रकरण विचाराधीन है। मा0 जनपद न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण विभाग द्वारा जारी 61बी की कार्यवाही/कियान्वयन स्थगित चल रहा है। जिस कारण प्रश्नगत टोल प्लाजा द्वारा अतिक्रमित वन भूमि को खाली कराये जाने सम्बन्धित बेदखली की कार्यवाही पूर्ण नही हो पा रही है।

4– उपरोक्त प्रकरण में प्रश्नगत टोल प्लाजा के वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति लेने के सम्बन्ध में पत्रावली परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3308/14–2–2013– 800(70)/2013 द्वारा**"उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधीकरण (उपशा) एन0एच0–5ए वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के चौड़ीकरण एवं उचीकरण हेतु (1) मीरजापुर वन प्रभागन मीरजापुर में किमी 0 से 39 तक 21.727 हे0 आरक्षित एवं 22.860 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 44.587 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3570 वृक्षों का पातन (2) सोनभद्र वन प्रभाग.....आदि"** हेतु ही सशर्त अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गयी। प्राप्त स्वीकृति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत टोल प्लाजा के स्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनुमति/स्वीकृति नहीं ली गयी है और न ही इस आशय का कोई प्रस्ताव वर्तमान समय तक प्रस्तुत किया गया है। अपितु उक्त एजेंसी द्वारा अपने व्यक्तिगत हितो के लिए प्रश्नगत प्रकरण को मा0 न्यायालय में निषेद्याग्या के माध्यम से उलझाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया गया है।

5– प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक 2891/मीरजापुर/10रिट दिनांक 29 फरवरी 2024 के माध्यम से प्रश्नगत टोल प्लाजा कैम्प कार्यालय रावर्टसगंज सोनभद्र को क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज के माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में नोटिस तामिला कराते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। जिसके क्रम में प्रश्नगत टोल प्लाजा प्रबन्धन द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में दिनांक 12.02.2024 को उपस्थित होकर जवाब दाखिल कराया गया जिसमे उनके द्वारा बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित किया गया है कि राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) लखनऊ के द्वारा

11

समस्त प्रकार की अनुमति प्राप्त कर अतिक्रमण मुक्त ROW (Road of Way) उपलब्ध कराया गया है, जिसके भीतर उपशा द्वारा दिये गये निर्देशों व डिजाईन के अनुसार टोल प्लाजा आदि का निर्माण कर टोल वसूली की जा रही है। बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित किया गया है कि अहरौरा स्थिति मौजा बेलखरा में कम्पनी द्वारा आफिस बनाया गया है जो कि वन भूमि नहीं है। उक्त कैम्प आफिस वर्ष 2013 में कम्पनी के सहयोगी कम्पनी मे0 चेतक इण्टर प्राइजेज द्वारा कास्तकार सरस्वती देवी द्वारा आराजी संख्या–291/2 वैध तरीके से अनुबन्ध कर किराये पर लिया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या–3 में मा0 न्यायालय मीरजापुर द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश आदि की बात कही गयी है। **(संलग्नक–14)**

6– गठित समिति द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 02–02–2024 मे उल्लिखित बिन्दुओं के जांच के कम मे प्रश्नगत टोलवेज द्वारा अतिकमित भूमि का स्थलीय निरीक्षण/मौका–मुआयना किया गया जिसमे पाया गया कि ए0सी0पी0 टोलवेज द्वारा टोलप्लाजा सहित कर्मचारी आवास, हॉटमिक्स प्लान्ट एवं कार्यालय परिसर आदि का अवैध निर्माण कर चारो तरफ से तार/टीन से घेरवाड़ करते हुए वन भूमि के हाल नम्बर 827 मि0 के कुल रकबा 7.79 हे0 वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। गुगल मानचित्र की छाया प्रति एवं स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है **(संलग्नक–15)**।

7– प्रश्नगत स्थल काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर के चन्द्रप्रभा वन्य जीव बिहार के इको सेन्सीटिव जोन (प्वाइंट–E1) से 4.2 कि0मी0 दूर स्थित है तथा चन्द्रप्रभा वन्य जीव बिहार (प्वाइंट–C1) से 5.21 कि0मी0 दूर स्थित है इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत स्थल चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार के इको सेन्सीटिव जोन की परिधि से बाहर है। गुगल मानचित्र की छाया प्रति संलग्न है **(संलग्नक–16)**।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेखो से यह स्पष्ट है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओरिजिनल अप्लीकेशन न0–112/2024(IA No.45/2024) चौधरी यशवंत सिंह बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 02.02.2024 को पारित आदेश में उल्लिखित तथ्यसत्य सिद्ध होता है। प्रश्नगत टोलप्लाजा जो कि ग्राम–बेलखरा, परगना–अहरौरा, तहसील–चुनार, जिला–मीरजापुर के आराजी संख्या–291मि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर अवस्थित है, भारतीय वन अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत आरक्षित वन के रूप में विज्ञापित है। उक्त एजेंसी द्वारा बिना अनुमति/स्वीकृति के ही वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(शेख मुअज्जम) उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर/सदस्य	(कपिल कुमार) उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार/सदस्य	(सत्यपाल प्रसाद) उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकिया, काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी/सदस्य	(अरविन्द राज मिश्रा) प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर/अध्यक्ष

ANNEXURE 1

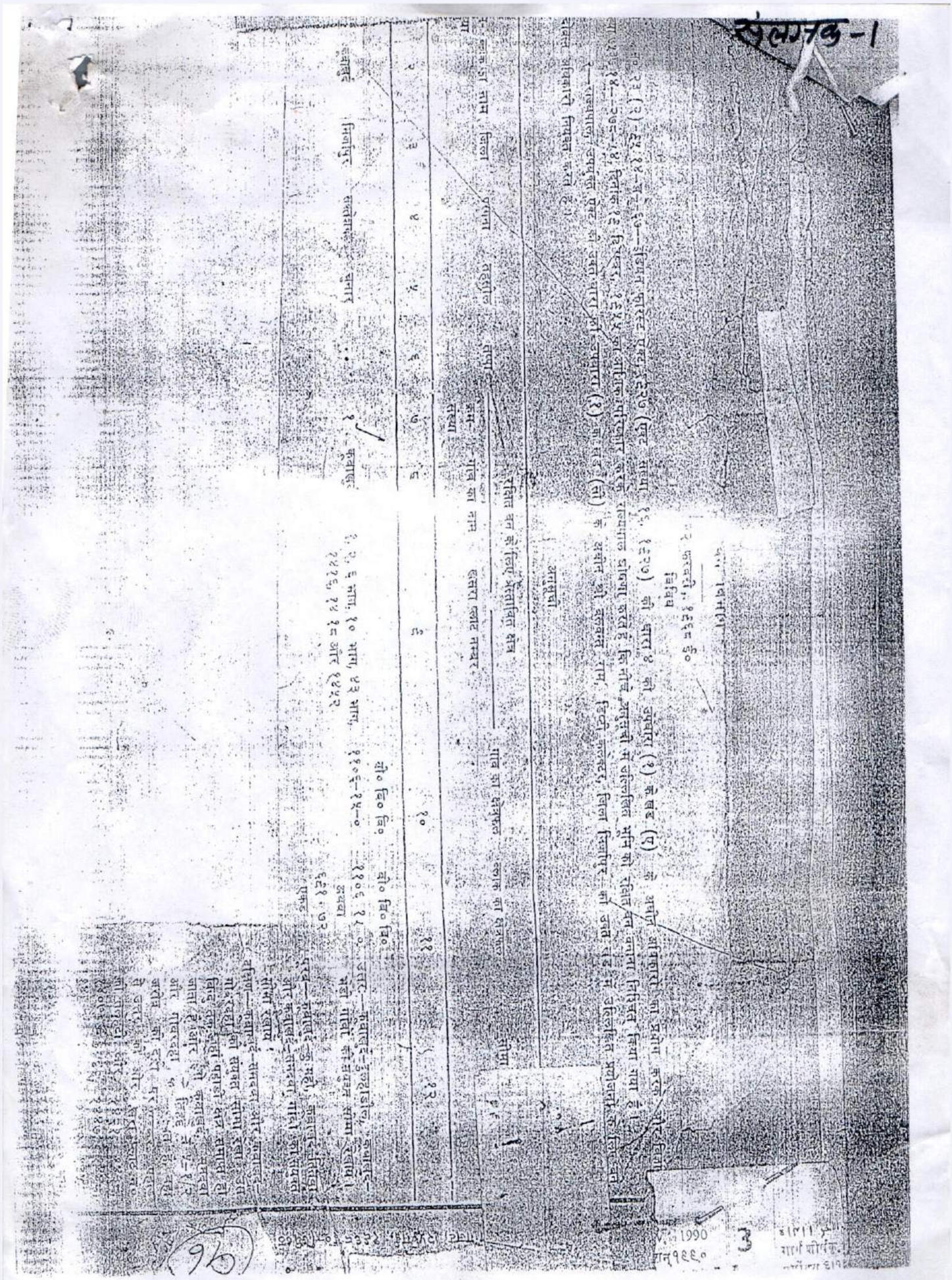

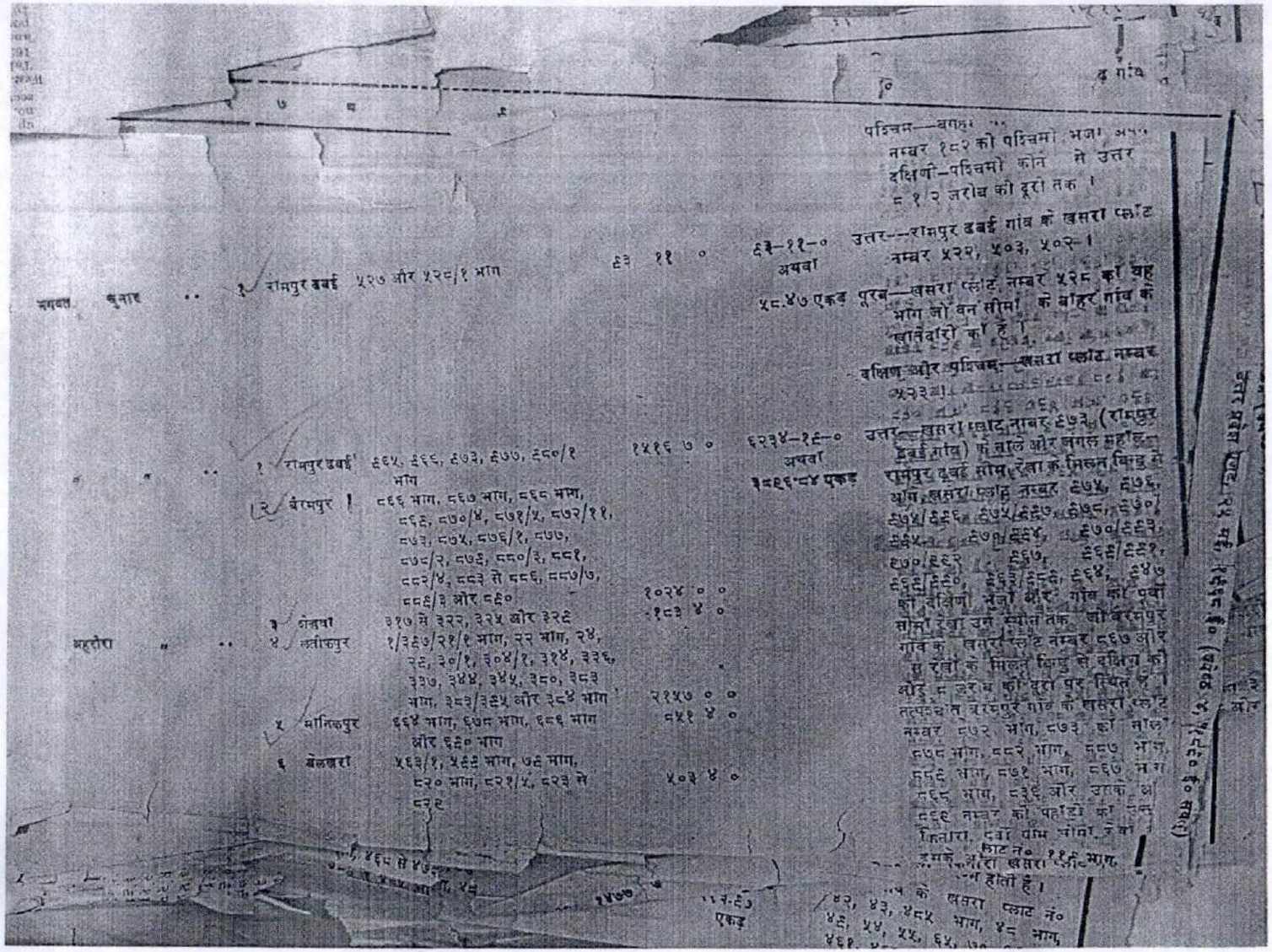

पश्चिम—बगहा ... नम्बर १८२ की पश्चिमी भुजा [illegible] दक्षिणी–पश्चिमी कोने से उत्तर ८ १/२ जरीब की दूरी तक ।

नगवा	कुनार	..	३ रामपुर डबई	५२७ और ५२८/१ भाग	६३ ११ ०	६३–११–० अथवा ५८.४७ एकड़	उत्तर—रामपुर डबई गांव के खसरा प्लाट नम्बर ५२२, ५०३, ५०२ । पूरब—खसरा प्लाट नम्बर ५२८ का वह भाग जो वन सीमा के बाहर गांव के खातेदारों का है । दक्षिण और पश्चिम—खसरा प्लाट नम्बर ५२३ [illegible]
"	"	..	१ रामपुर डबई	९६५, ९६६, ९७३, ९७७, ९८०/१ भाग	१५१६ ७ ०	६२३४–१९–० अथवा ३८९६.८४ एकड़	उत्तर—खसरा प्लाट नम्बर ९७३ (रामपुर डबई गांव) के नाले और जंगल महाल रामपुर डबई सीमा रेखा के मिलन बिन्दु से और खसरा प्लाट नम्बर ९७५, ९७६, ९७५/९९६, ९७५/९९७, ९७८, ९७०/ [illegible] ९७१/९९४, ९७०/९९३, ९७०/९९२, ९६७, ९६९/९९१, ९६९/९९०, ९६३/९९८, ९६४, ९४७ की दक्षिणी भुजा और गांव की पूर्वी सीमा रेखा उस स्थान तक जो बैरमपुर गांव के खसरा प्लाट नम्बर ८६७ और [illegible] रेखाओं के मिलन बिन्दु से दक्षिण की ओर ८ जरीब की दूरी पर स्थित है । तत्पश्चात् बैरमपुर गांव के खसरा प्लाट नम्बर ८७२ भाग, ८७३ का भाग ८७८ भाग, ८८२ भाग, ८८७ भाग, ८८९ भाग, ८७१ भाग, ८६७ भाग ८६८ भाग, ८३९ और उसके [illegible] ८६९ नम्बर की पहाड़ी का [illegible] किनारा, [illegible] [illegible] रेखा [illegible] इसके [illegible] खसरा प्लाट नं० ११९ भाग [illegible] होती है ।
			२ बैरमपुर	८६६ भाग, ८६७ भाग, ८६८ भाग, ८६९, ८७०/४, ८७१/५, ८७२/११, ८७३, ८७५, ८७६/१, ८७७, ८७८/२, ८७९, ८८०/३, ८८१, ८८२/४, ८८३ से ८८६, ८८७/७, ८८९/३ और ८९०	१०२४ ० ०		
			३ गंडवा	३१७ से ३२२, ३२५ और ३२९	१८३ ४ ०		
महरोरा	"	..	४ लतीफपुर	१/३९७/२१/१ भाग, २२ भाग, २४, २९, ३०/१, ३०४/१, ३१४, ३३६, ३३७, ३४४, ३४५, ३८०, ३८३ भाग, ३८३/३९५ और ३८४ भाग	२१५७ ० ०		
			५ मानिकपुर	६६४ भाग, ६७८ भाग, ६८६ भाग और ६९० भाग	८५१ ४ ०		
			६ बेलखरी	५६३/१, ५९९ भाग, ७९ भाग, ८२० भाग, ८२१/५, ८२३ से ८३२	५०३ ४ ०		

[illegible] ४६८ से ४७ [illegible] ... ११३.६३ एकड़ ... के खसरा प्लाट नं० ४२, ४३, ४८५ भाग, ४८ भाग, ४९, ५४, ५५, ६५, [illegible]

ANNEXURE 2

संलग्नक-2

सं0 5924/14-2—20(47)-82—अधिसूचना संख्या 23(2)-95/14-ख-67, दिनांक 22 फरवरी, 1968 द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ;

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं किन्तु अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 14 जनवरी, 1984 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं।

अनुसूची "क" ब्लाक रामपुर दबई (दक्षिणी)

जिला—मिर्जापुर, तहसील—चुनार, परगना—अहरौरा,

गाटा सं0 चकबन्दी नं0	गाटा सं0 साबिक नं0	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4
ग्राम—बैरपुर		बी0 बि0बि0	
715-भाग	866 भाग	4 11 0	
716-क	867/1	5 5. 0	
716-ग	867/3	0 5 0	
716-घ	867/4	0 12 0	
716-ङ	867/5	0 16 0	
716-च	867/6	2 3 0	
716-र	867/25	2 0 0	
714-ब	868/8/2	35 0 0	
714-घ	868/3	4 0 0	
736	869	762 17 0	
733-इ	870/4	14 4 0	
735-घ	871/5	34 0 0	
732-ड	872/11	6 0 0	
718-भाग	873	1 18 0	
719	875	2 5 0	
720-क	876-मि0	0 9 0	
721	877	1 4 0	
722-ख	878/2	4 10 0	
723	879	0 18 0	
724-ग	880/3	38 1 0	
725	881	1 14 0	
726-घ	882/4	26 3 0	
727	883	0 10 0	
728	884	0 6 0	
729	885	1 0 0	
730	886	0 11 0	
731-ज	887/7	14 17 0	
737-न	889/3	5 0 0	
738	890	38 1 0	
	योग ..	1009 0 0 या 630.62 एकड़	

1	2	3	4
ग्राम—मानिकपुर		बी0वि0वि0	
553भाग	664-भाग	0 10 0	
563भाग	678-भाग	830 11 0	
567भाग	690-भाग	0 3 0	
564भाग	686-भाग	20 0 0	
	योग ..	851 4 0 या 532.00 एकड़	
ग्राम—शेरवा			
	317-मी0	4 17 0	
	318	0 19 0	
	319	2 8 0	
	320	1 1 0	
	321	12 6 0	
	322	2 0 0	
	325-मी0	35 7 0	
	329-मी0	123 2 0	
	योग ..	182 0 0 या 113.75 एकड़	
ग्राम—लतीफपुर		बी0 बि0बि0	
	1/397-भाग	100 12 0	
	21/1-भाग	782 4 0	
	22-भाग	1 10 0	
	24	3 11 0	
	29	0 19 0	
	30/1-भाग	77 7 0	
	304/1	450 14 0	
	314-मी0	5 14 0	
	336	1 9 0	
	337-मी0	10 12 0	
	344	1 7 0	
	345	2 6 0	
	380-मी0	120 5 0	
	383-भाग	276 7 0	
	383/395	122 10 0	
	382-मी0	199 13 0	
	योग ..	2157 0 0 या 1348.12 एकड़	

[illegible]

1	2	3	4	1	2	3	4
ग्राम—रामपुर दुबई दक्षिणी		बी0 वि0वि0				बी0 वि0वि0	
	965सी–0	220 2 0			823	0 11 0	
	966–सी0	461 3 0			824	0 5 0	
	973	5 0 0			825	0 13 0	
	977–सी0	123 2 0			826	4 16 0	
	980/1 भाग	700 0 0			827–मि0	305 11 0	
					828	0 17 0	
					829	0 8 0	
	योग ..	1509 7 0 या 943.34 एकड़			योग ..	487 4 0 या 304.50एकड़	
ग्राम—बेलखरा				ब्लाक का सम्पूर्ण योग	..	6195 15 0 या 3872.34 एकड़ या 1567.057 हेक्टेयर	
	563/1–सी0	39 2 0					
	599–भाग	6 10 0					
	794–भाग	4 0 0					
	820–भाग	2 1 0					
	821/5	122 10 0					

वन सीमाबद्ध तालिका ग्राम, ब्लाक रामपुर दुबई दक्षिणी वन ब्लाक :

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोंण		अगले स्तम्भ तक मापी गई दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक सीमा की दशा	विशेष विवरण
			अग्रिम	पार्श्व			
1	2	3	4	5	6	7	8
	ब्लाक नं0 1						
	मु0सं0 1 की स्थिति—ग्राम शेखवा एवं बैरमपुर के बोहद्दे से अ0 चु0 कोण 347.00, पा0 चु0 कोण 167.00 दूरी 4.40 जरीब पर पिलर नं0 1 प्रारम्भ -						
1	ग्राम शेखवा एवं बैरमपुर की सीमा पर	उ0प0उ0	318.00	138.00	4.88	सीधी लाइन	
2	क्षेत्र सं0 508 के दक्षिणी मेंड़ पर	प0उ0प0	288.30	108.30	6.40	,,	
3	,,	,,	293.00	113.00	6.00	,,	
4	,,	,,	302.45	122.45	5.20	,,	
5	क्षेत्र सं0 522 के दक्षिणी मेंड़ पर	,,	297.45	117.45	6.50	,,	
6	क्षेत्र सं0 522 के द0प0 कोंण पर	उ0प0उ	334.00	154.00	3.20	,,	
7	क्षेत्र सं0 522 के पश्चिमी मेंड़ पर	उ0पू0उ0	2.30	182.30	7.40	,,	
8	,,	,,	42.30	222.30	6.00	,,	
9	क्षेत्र सं0 538 के दक्षिणी मेंड़ पर	पू0उ0पू0	52.00	232.00	3.60		
10	,,	प0उ0प0	313.15	133.15	7.00	,,	
11	क्षेत्र सं0 538 के दक्षिणी मेंड़ पर	प0उ0प0	287.45	107.45	5.10	,,	
12	क्षेत्र सं0 36 के उत्तरी मेड़ पर	प0द0द0	261.30	81.30	2.70	,,	
13	क्षेत्र सं0 541 के उ0पू0 कोंण पर	द0प0द0	207.15	27.15	4.76	,,	
14	क्षेत्र सं0 541 के पूर्वी मेंड़ पर	द0	180.00	0.00	2.82	,,	
15	,,	द0प0द0	210.15	30.15	2.90	,,	
16	क्षेत्र सं0 579 के पूर्वी मेंड़ पर	द0पू0द0	146.00	326.0	4.00	,,	
17	क्षेत्र सं0 736 के उ0 मेंड़ पर	द0प0द0	215.00	35.00	5.60	,,	

24.06

प्रभागीय वन अधिकारी
[illegible]

ANNEXURE 3

संलग्नक-3

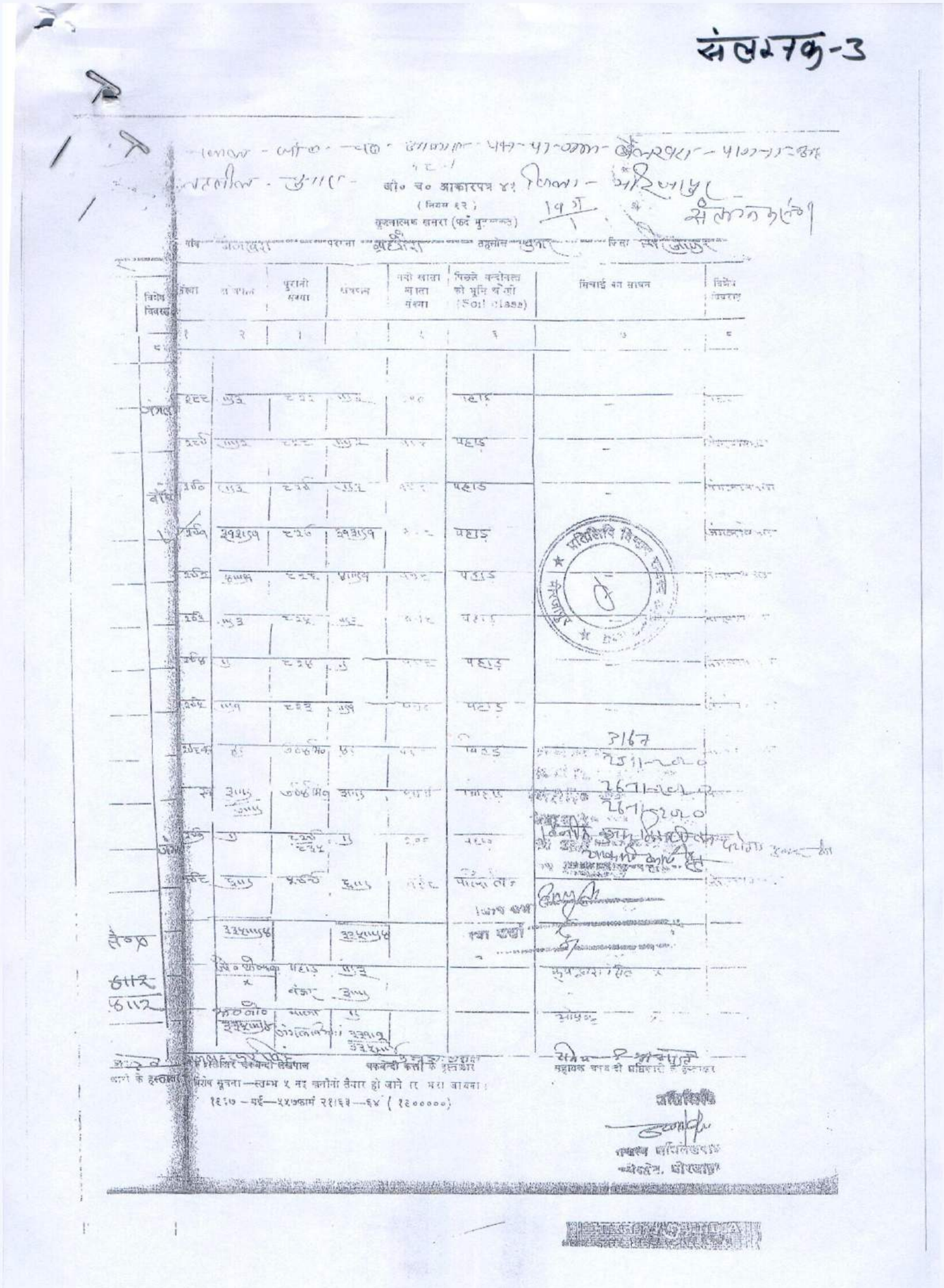

[illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]

तहसील - [illegible] - बी० च० आकारपत्र ४१ जिला - [illegible]

(नियम ६२)

कृत्नात्मक खसरा (फर्द मुकाबला) 1 9 / 1 संलग्न [illegible]

गाँव [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

विशेष विवरण	संख्या	रकबा	पुरानी संख्या	रकबा	नदी नाला नाला संख्या	पिछले बन्दोबस्त की भूमि श्रेणी (Soil class)	सिंचाई का साधन	विशेष विवरण
	१	२	३	४	५	६	७	८
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़	—	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़	—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़	—	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़	—	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़	—	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़	—	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पहाड़	—	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 3167 2511-2020	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2671-2020 2671-2020	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	

[illegible] प्रतिलिपि बन्दोबस्त लेखपाल — चकबन्दी कर्ता के हस्ताक्षर — सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] के हस्ताक्षर विशेष सूचना—स्तम्भ ५ नई खतौनी तैयार हो जाने पर भरा जायगा।

१९५७ – मई—५५७कार्म २१।६३—६४ (१६०००००)

प्रतिलिपि

[illegible]

[illegible]

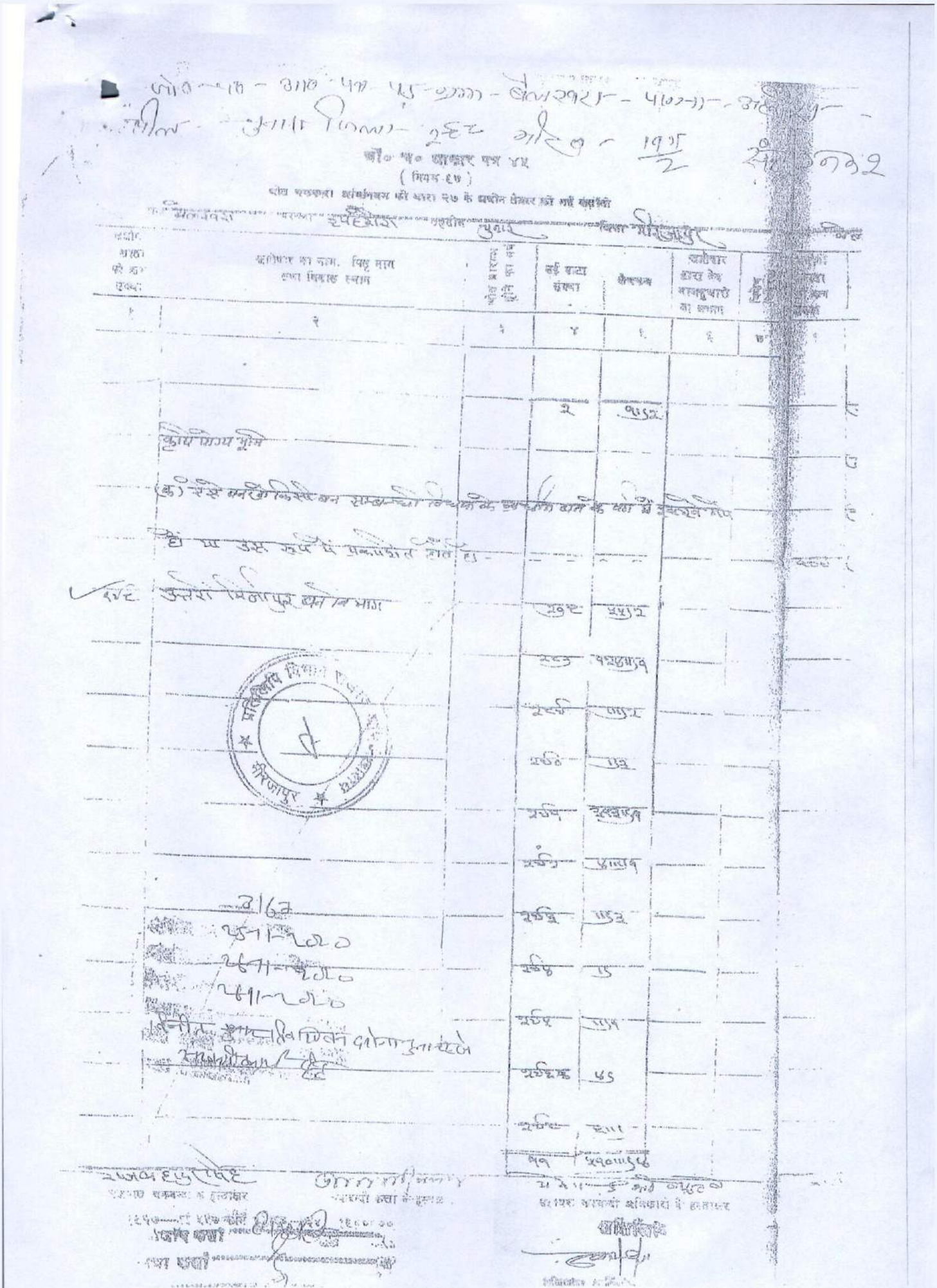

संलग्नक - 4

(22)

सरकारी कार्य हेतु

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
राजस्व अभिलेखागार,
मीरजापुर

महोदय,

कृपया सूचित करने का कष्ट करें कि क्या निम्नलिखित पत्रावली [illegible] वाद पत्रावली [illegible] राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध है -

न्यायालय चक० अधिकारी तृतीय अहरौरा, त०-चुनार, मीरजापुर
मु० नं० 58/309 सन् 1963

सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर आदि
ग्राम - बलखरा, परगना - अहरौरा, तहसील - चुनार, जि०-मीरजापुर
अन्तर्गत धारा 9 अ जोत चकबन्दी कानून
ता० फै० - 10-2-63

(11)

भवदीय,
[signature] 3/1/2001
(मु० मुर्तजा हुसैन)
उप वन रेंजर
मीरजापुर वन प्रभाग,
मीरजापुर

RRK
21/12

महोदय

मौजा बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार शरस्वती बनाम सोनवन खण्ड उत्तरी मीरजापुर मु०नं० 58/309 धारा 9अ ता०फै० 10.2.63 न्या० च०अ० अहरौरा की पत्रावली गोश्वारा में दर्ज होना नहीं पाया जाता है।

राजकुमार शर्मा
3.1.2002
[illegible]

अग्रसारित
[signature]
R.R.K.
3.1.2002

राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट मीरजापुर

छाया प्रति प्रमाणित
[signature]
राजि अधिकारी बन्दोबस्त
मिर्जापुर वन प्रभाग
मिर्जापुर

संलग्नक-4/2
/ रिटाईप्ड कापी

आदेश

प्रार्थना पत्र श्रीमती सरस्वती देवी स्त्री बिरजू निवासी बेलखरा परगना अहरौरा में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बेलखरा की आराजी संख्या 827 मि0 15 बीघा लगान 3.75 पर जमींदार से पट्टा लेकर काबिज दाखिल है और परगनाधिकारी चुनार ने तारिख 02.02.59 को सीरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है, परन्तु आदेश की अमलदरामद नहीं हुआ है। उसे अमलदरामद कराया जाय। प्रधान व सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर को दिया गया। प्रधान व वन विभाग के अधिकारी ने कोई आपत्ति नहीं किया और वादीनी द्वारा फसल जोता बोया पाया गया। किसी ने कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया। ऐसी स्थिति में आदेश तारीख 02.02.59 का पालन करना उचित है।

अतः आदेश हुआ कि ग्राम बेलखरा परगना अहरौरा कि आराजी संख्या 827 मि0 15 बीघा लगान 3.75 से गाँव सभा व सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर का नाम काट कर श्रीमती सरस्वती देवी स्त्री बिरजू सीरदार अंकित किया जावे। अमलदरामद के पश्चात् दाखिल दफ्तर हो।

अस्पष्ट
मु०
०मा० सहा०
चक०द०
अधि० मीरजापुर

नकल कर्ता – ह0 अस्पष्ट
मिलान कर्ता– ह0 अस्पष्ट
शब्द– 150

ह0 अस्पष्ट
C.O. III
10.2.63

सत्यप्रतिलिपि
पेशकार
ह0अस्पष्ट
A.C.O. III
19.2.63

TRUE AND TYPE COPY

(4)

[illegible] कि ग्राम [illegible]
[illegible] मौजूद [illegible] है और
[illegible] सीरदार दर्ज करने के
[illegible] परन्तु आदेश की अमलदरामद नहीं
हुआ। [illegible] अमलदरामद कराया जाय। प्रधान व
सोन वन खपड़हरी मीरजापुर को दिया गया। प्रधान व वन
विभाग के अधिकारी ने कोई आपत्ति नहीं किया और वादी को
द्वारा फसल जोता बोया पाया गया किसी ने कोई आपत्ति
दाखिल नहीं किया। ऐसी स्थिति मे आदेश ता. २-२-५९
का पालन करना उचित है।

अतः आदेश हुआ कि ग्राम बटखरा परगना अहरौरा
आ. नं. ८२६मि./१४५ लगान ३/६५ से गाँव सभा व सोन वन खपड़
हरी मीरजापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी स्त्री बिरजू
[illegible]र अंकित किया जावे। अमलदरामद के पश्चात दाखिल
दफ्तर हो।

ह० अस्पष्ट
C.O. III
१०.२.६३

न्यायालय सहायक चकबन्दी अधिकारी [illegible] मिरजापुर

नकल कर्ता — [signature]
मिलान कर्ता — [signature]
शब्द — 150

सत्यप्रतिलिपि
पेशकार
[signature]
A.C.O. III
१५-२-६३

संलग्नक - 5

COURT FEE ONE RUPEE

केवल सरकारी कार्य हेतु

2031/54

54

894/10-2-89

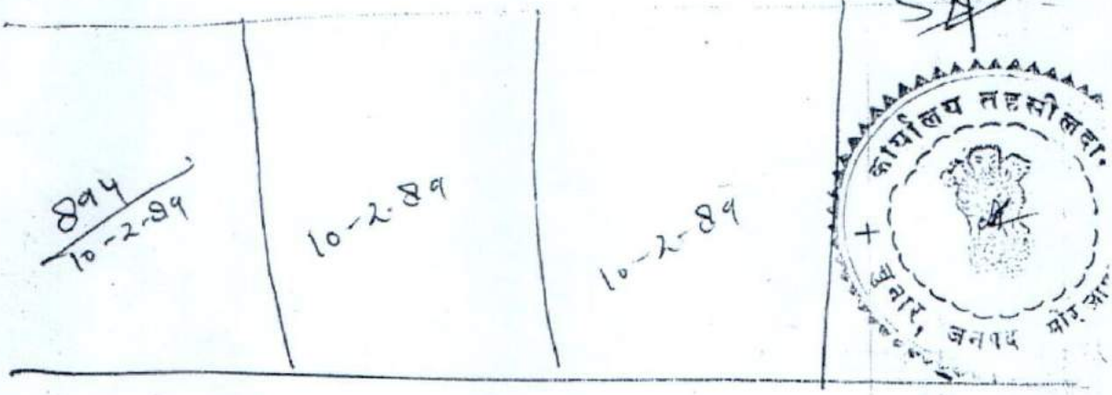

10-2-89

10-2-89

कार्यालय तहसीलदार, चुनार, जनपद मिर्जापुर

न्यायालय तहसीलदार, चुनार

मु० नं० 628 सन् 87-88.

सरस्वती देवी बनाम कान्तिवानी

विविध बाबत ग्राम बेलखरा

परगना अहरौरा तहसील चुनार

जिला मिर्जापुर।

पत्रावली को [कार्यवाही

आदेश

नकल तहसीलदार दिनांक 23-1-89 ई०

कि प्रमाणित है

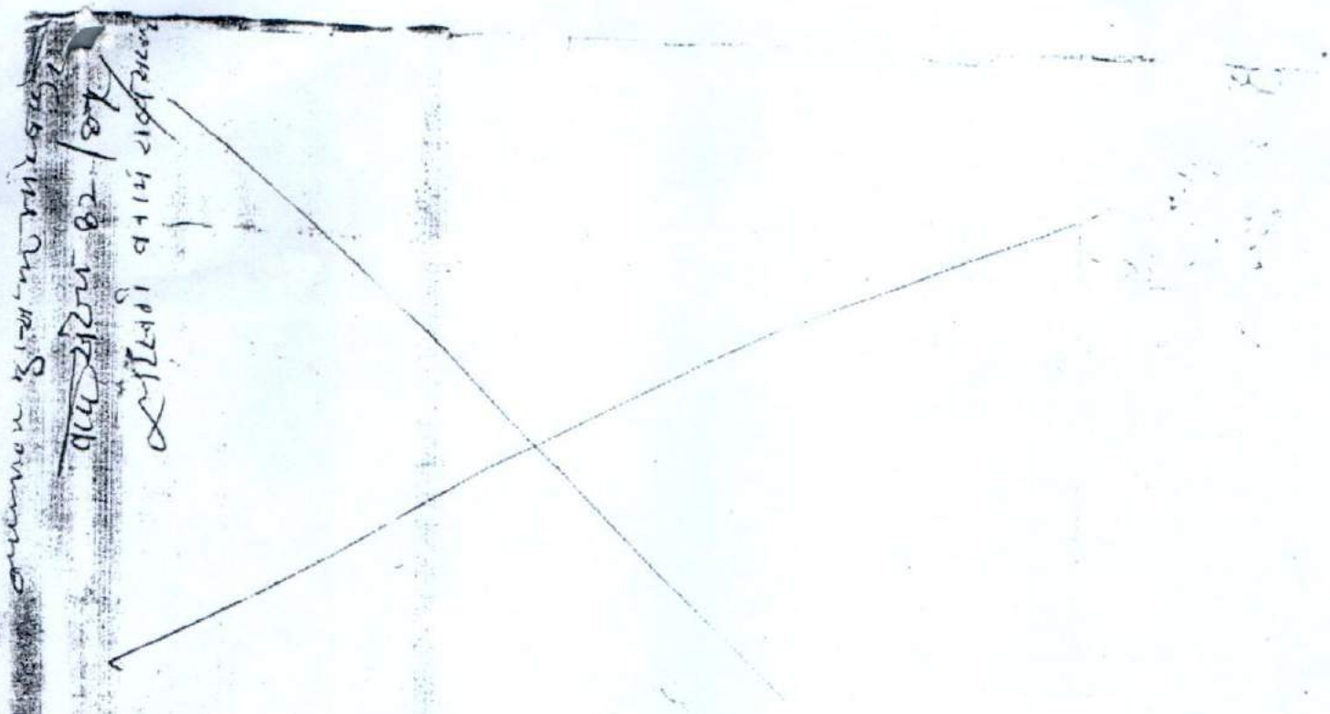

23-1-89 — आज सरकारी अधिवक्ता की
उपस्थिति में प्रस्तुत हुआ। दिनांक 26-8-88
के आदेश पर विचार किया गया तथा खतौनी
का उद्धरण देखा गया। प्रश्नगत ~~[illegible]~~ भूखण्ड
संख्या 291 ग्राम लकखरा परगना [illegible]
वन विभाग का अंकित है। यह वन विभाग
की अनुपस्थिति में आदेश दिनांक 18-2-87
हो गया है। स्पष्टतः वन विभाग को सुना
जाना उचित है। न्याय हित में आदेश दिनांक
18-2-87 व 26-8-88 निरस्त किया जाता
है। सायल को पुनः नोटिस दी जाय। अग्रिम
सुनवाई हेतु दिनांक 24/2/89 को प्रस्तुत हो।

ह० अ०
23/1/89.

तहसीलदार
जनपद मीरजापुर

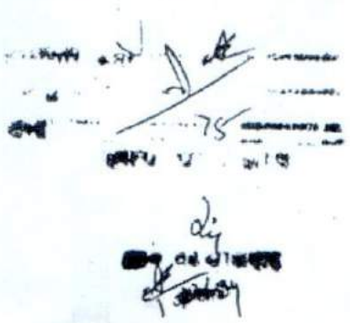

संलग्नक 5

20 क
9

न्यायालय मुंसिफ, मिर्जापुर।

पीठासीनः श्री आर० सी० मिश्र, मुंसिफ,

मूलवाद सं0 305/87

श्रीमती सरस्वती देवी बनाम वन अधिकारी व अन्य

आदेश प्रार्थना पत्र 6ग

6ग प्रार्थना पत्र श्रीमती सरस्वती देवी की तरफ से इस आशय का दिया गया है कि उसने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थिनी का कहना है कि आराजी नं0 291/2 मिनजुमला रकबा 15 बीघा जो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में च,छ,ज,झ के रूप में दिखाया गया है की वह मालिक व काबिज है। प्रार्थिनी का कहना है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कर दिया जाय जिससे वह स्वंय अथवा अपने आदमियों द्वारा किसी भी प्रकार से उपरोक्त जमीन पर खन-खोद न करें न उसके स्थिति में परिवर्तन करें, न पेंड़ आदि लगाये। वादिनी द्वारा बनाई गई अस्थाई चौहद्दी।फेंसिंग। को तोड़ फोड़ कर नष्ट न करें। प्रार्थिनी ने यह भी कहा है कि प्रतिवादीगण शासकीय कर्मचारी है। इसलिए वे जल्दी-जल्दी विवादित जमीन पर खन-खोद करके कब्जा कर लेना चाहते हैं।

(W)

-2-

प्रतिवादीगण को नोटिस दी गई। प्रतिवादीगण उपस्थित आये तथा उन्होंने आपत्ति प्रस्तुत किया । आपत्ति 19ग मय शपथ पत्र 20ग तथा उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आपत्ति 28क प्रस्तुत की गई है।

वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में 6ग प्रार्थना पत्र के साथ 7ग शपथ पत्र तथा लिस्ट 9ग से नकल इन्तखाफ खतौनी 1393 से 1398 फसली खाता नं0 165 तथा नकल इन्तखाफ खसरा आराजी नं0 291/2 मिनजुमला रकबा 15बीघा का प्रस्तुत किया।

कागज नं0 10ग व 11ग में यह तथ्य उल्लिखित है कि मु0नं0 28 विविध न्यायालय तहसीलदार चुनार के आदेश दिनांक 18-2-87 द्वारा आराजी नं0 291 रकबा 15बीघा पर से ग्राम समाज बेलखरा परगना अहरौरा से पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय। इस आदेश के अनुपालन में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की गई तथा खसरा के अनुसार आराजी नं0 291/2 रकबा 15बीघा खाता नं0 165 पर श्रीमती सरस्वती देवी का कब्जा पाया गया तथा 15 बीघा आराजी में बजरी की फसल बोई गई दिखाई गई है।

इन प्रलेखों के विरोध में प्रतिवादीगण की तरफ से 19ग मय शपथ पत्र 20ग के साथ जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उसके

30 क

समर्थन में 21म लिस्ट से पांच प्रलेख प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रार्थना पत्र 6म कानूनके विरुद्ध है। प्रार्थीनी को कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है, सुविधा का भार भी वादिनी के पक्ष में नहीं है और न ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने से प्रार्थिनी को कोई अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण का यह भी कहना है कि धारा 80 जा0दी0अधि0 के अनुसार प्रार्थिनी ने वैध नोटिस दावा प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं दिया है तथा आदेश 27नियम 5-एजा0दी0 अधि0 के प्राविधान के अनुसार राज्य सरकार को पक्षी मुकदमा नहीं बनाया गया है।

आदेश 27नियम 5-एजा0दी0अधि0 के अनुपालन में वादिनी ने अपने वाद को संशोधित कर लिया है तथा राज्य सरकार को पक्षी मुकदमा बनाया जा चुका है।अतः यह तथ्य बल हीन हो जाताहै। धारा 80जा0दी0अधि0 के सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने लिस्ट 12म से रसीद पोस्ट आफिस प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार जिलाधिकारी, मिर्जापुर को रजिस्टर्ड पत्र का भेजा जाना प्रारम्भिक रूपसे सिद्ध है। प्रतिवादीगण का यह भी कहना है कि भारतीय बन अधि0 के प्राविधान तथा उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन अधि0 की धारा 331 के प्राविधान के अनुसार इस न्यायालय को वाद के श्रवण का अधिकार नहीं है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित खसरा प्लाट नं0 291 मिलजुमला मौके के अनुसार वास्तविक खसरा प्लाट नं0 827 मिलजुमला

-4-

के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं0 23: 2:-95/14-ब-67 दिनांकित 22-2-68 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 3924/14-2-20/47-82 दिनांकित 22-8-83 आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लाट नं0 827 मिनजुमला के कुल 305बीघा ।। बिस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है। विवादित जमीन वन विभाग की जमीन है और उससे वादिनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित जमीन वन विभाग की है तथा पत्थर की दीवार से घेर कर उसमें वर्ष 87 में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। वादिनी ने कोई घेरा नहीं बनाया है।

विवादित जमीन पर स्वामित्व वन विभाग का है तथा कब्जा भी है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त कर दिया जाय।

प्रतिवादीगण ने लिस्ट 21ग से जो पांच प्रलेख प्रस्तुत किया है वह भारतीय वन अधि0 की धारा 4 तथा धारा 20 जो धारा 20 से सम्बन्धित है जिसका कि पूर्ण विवरण आपत्ति पत्र में दिया जा चुका है और जिसके सम्बन्ध में जिक्र किया जा चुका है। कागज नं0 22ग

30 क/3

-5-

में आराजी नं० 827 मिनजुमला 305 बीघा ।।विस्वा वन विभाग में निहित होने का उल्लेख है। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत है कि आराजी नं० 827 का ही नया नम्बर 291/1 तथा 291/2 पड़ा हैं। प्रतिवादीगण ने कागज नं० 28ग नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें आराजी नं० 827 का उल्लेख है लेकिन यह उल्लेख नहीं है कि आराजी नं० 827 का अधिग्रहण समग्र रूप से किया गया है। आराजी नं० 827 और 825 पर ही सड़क निर्माण का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 827 तथा825 व 824 नम्बर से मार्ग का निर्माण हुआ। कागज नं० 25ग में आराजी नं० 827/1 31 2बीघा ।। विस्वा तथा आराजी नं० 827/2 15 बीघा उल्लिखित है। यह प्रलेख स्वयंप्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया है जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आराजी नं० 827 के दो भाग हुए 827/1 तथा 827/2 । वादिनी 827/2 पुराना नम्बर और नया नम्बर 291/2 15बीघा पर अपना स्वामित्व व कब्जा बताती है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रलेख से यह सिद्ध है कि आराजी नं० 827/2 नया नम्बर 291/2 15बीघा से वन विभाग को कोई वास्ता सरोकार नहीं है।

इस मुकदमे में न्यायालय के आदेशानुसार कमीशन जारी किया गया। कमिश्नर महोदय ने अपनी रिपोर्ट 17ग मय

नक्शा 17म/2 प्रस्तुत किया। कमिश्नर के रिपोर्ट के अनुसार विवादित जगह में पश्चिम-उत्तर एवं पूरब तरफ लगभग 3फीटऊंची कोरे पत्थर की चुनाई की गई है तथा दक्षिण तरफ से 2/3हिस्से में छोटे-छोटे टुकड़े में विवादित करके माटा बन्दी की गई है और उत्तर तरफ की जमीन ऊंची-नीची है। विवादित स्थल पर एक पेड़ नीम तथा उत्तरी हिस्से में 2-3वृक्ष और हैं।

कमिश्नर की रिपोर्ट से यह तथ्य सिद्ध है कि विवादित जमीन पर वादिनी का कब्जा है और वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण से सम्बन्धित कोई कार्य न तो प्रारम्भ किया गया है और न ही इसका कोई प्रमाण है।

6ग प्रार्थना पत्र तथा आपत्ति के सम्बन्ध में वादिनी के विद्व अधिवक्ता तथा राज्य की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता की लम्बी बहस सुनी गई।

राज्य की तरफ से ए०एल०जे० 1979 पेंज 54 हसीनयुसुफ खाँ बनाम सैयद आशिक अली के मान्य निर्णय का उद्धरण प्रस्तुत किया गया। मैंने मान्य निर्णय को पूर्ण रूपेण पढ़ा। तथ्य की भिन्नता के कारण उपरोक्त मान्य निर्णय प्रस्तुत प्रसंग में प्रभावी नहीं है। माननीय न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के सम्बन्ध में एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वह सिद्धान्त सम्पूर्ण रूपसे मान्य है लेकिन वर्तमान प्रकरण में तथ्य भिन्न है।

30क
18

-7-

पुनः प्रतिवादीगण की तरफ से ए०आई० आर० 1965 पेज 310 लक्ष्मी बनाम यालकी का मान्य निर्णय भी प्रस्तुत किया। उपरोक्त मान्य निर्णय में भी आदेश 39 नियम 2 सी०पी०सी० के सम्बन्ध में कए सिद्धान्त की व्याख्या की गई है। यह उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय है। तथ्यों के सम्बन्ध में व्याख्या के समय उपरोक्त मान्य निर्णय प्रासंगिक होगा।

पुनः इंडियन फारेस्ट ऐक्ट 1972 की धारा4, धारा5 तथा धारा 9, धारा 11, धारा 18 तथा धारा 20 और धारा 26 व धारा 27 तथा फारेस्ट कन्जवेशन ऐक्ट 1980 की धारा 2 का भी उल्लेख प्रस्तुत किया गया। मैंने उपरोक्त धाराओं को पूर्ण रूपेण पढ़ा है। यह एक विधि व्यवस्था है जो उपरोक्त वर्णित धाराओं के परिधि में आने पर सम्यक रूपसे प्रभावी होगा। इसी प्रकार फारेस्ट कन्जरवेशन ऐक्ट 1980 की धारा 2 के सन्दर्भ में भी यह तथ्य निर्धारित करता है कि यदि कोई जमीन वन विभाग में निहित हो चुकी है तब वन के उपयोग के अलावा उस जमीन का उपयोग भिन्न प्रकार से नहीं किया गया।

वादिनी की तरफ से आल इंडिया रिपोर्ट 1982 वाल्यूम 17 पेज 742 पर उद्धरित मगुली बनाम सीताराम के मान्य निर्णय का उद्धरण प्रस्तुत किया गया।

-8-

यह भी आदेश 39 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रसंग में है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय यह अवधारणा व्यक्त किया है कि यदि किसी जमीन पर दोनों पक्ष का कब्जा दिखाया गया और एक पक्ष सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा करके निर्माण करना चाहता है , उस परिस्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कर दिया जाय। अन्यथा वाद के अन्तिम निस्तारण तक बड़ा ही दयनीय व प्रासंगिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उपरोक्त मान्य निर्णयों के परिपेक्ष में तथ्य के सम्बन्ध में चर्चा करना आवश्यक है। सर्व प्रथम तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आराजी नं0 291/2 15बीघा जिसका पुराना नम्बर 827/2 था से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। ऐसा उन्हीं के प्रलेख 25ग तथा अन्य प्रलेखों से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में आराजी नं0 291/2 के स्वामित्व व कब्जा के सम्बन्ध में वादिनी का कथन स्वाभाविक और सत्य है।

प्रतिवादीगण की तरफ से यह तर्क दिया गया कि कागज नं0 10ग में जो तहसील/दार/दुनार का आदेश है वह अवैध है। अतः उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाय।

मैं जिला शासकीय अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कारण कि अस्स खाता नं0 165 पर पूर्वी वन विभाग का नाम दर्जथा लेकिन तहसीलदार ने अपने आदेश से आराजी नं0 291 पर से ग्रामसमाज

30 ता
5

का नाम काट कर वादिनी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया। स्पष्ट है कि 291 नम्बर में 15 बीघा छोड़ कर शेष पर पूर्वी वन विभाग मिर्जापुर का नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित जमीन से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं निकलता। तदनुसार वादिनी का कथन प्रथम दृष्टया प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व के सम्बन्ध में सिद्ध होता है।

दूसरा तथ्य जो विचारणीय है वह यह है कि सुविधा का भार किस पक्ष में है।

चूंकि विवादित जमीन के स्वामित्व का प्रलेखीय प्रमाण वादिनी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में सुविधा का भार वादिनी के पक्ष में ही है।

जहांतक प्रतिवादीगण का यह कहना है कि आराजी नं0 291/2 विवादित जमीन नहीं है बल्कि वह कहीं और है, यह सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष की बात है। त्वरित ढंग इस कथन पर विश्वास करके वादिनी के प्रलेखीय साक्ष्य को अ[illegible] नहीं माना जा सकता।

तीसरा तर्क यह विचारणीय है कि क्या अस्थ निषेधाज्ञा प्रचलित न किये जाने से वादिनी को अपूर्णनीय क्ष[illegible] इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का यह तर्क है कि विवादित जमीन पर वे वृक्षारोपण कर रहे हैं। यदि वह व[illegible]

-10-

वादिनी के पक्ष में निर्णित हुआ तब वे अपने वृक्ष काट लेंगे। ऐसी स्थिति में वादिनी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

यह कोई तर्क नहीं है। वादिनी बतौर भूमिधर दर्ज है। अतः उसके स्वामित्व और कब्जा से उसे वंचित रखने का सीधा मतलब है कि उसे अपूर्णनीय क्षति हो और अपूर्णनीय क्षति के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि अपूर्णनीय क्षति नगद भुगतान के हीरूप में हो। यदि वादिनी को कब्जा से वंचित किया जाता है तब उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप मेंअपूर्णनीय क्षति होगी कारण कि विवादित जमीन के उपयोग से वह वंचित रहेगी। ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी वादिनी के पक्ष में ही ज्यादा है।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर मेरा यह निष्कर्ष है कि विवादित जमीन के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि दरमियान मुकदमा वे विवादित जमीन पर किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप न करें और न वृक्षारोपण करें।

दिनांक 10-9-87

(आर० सी० मिश्र)
मुंसिफ, मिर्जापुर।

10-9-87

ANNEXURE 7

संलग्नक–7/रिटाईप्ड प्रति

न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश मीरजापुर

उपस्थित श्री आर0डी0 सिंह एच0जे0एस0

उत्तर प्रदेश सरकार.....अपीलार्थीगण/
प्रतिवादीगण

बनाम

श्रीमती सरस्तवी देवी व अन्य.....रेस्पान्डेन्ट/वादिनी
प्रकीर्ण अपील संख्या–82.....सन्.....1987

निर्णय

यह प्रकीर्ण अपील उत्तर प्रदेश सरकार एवं डिविजनल फारेस्ट अफसर पूर्वी वन विभाग मीरजापुर के तरफ से अन्तर्गत आदेश–43 नियम–1 (आर) सी0पी0सी0 विद्वान मुन्सिफ, मीरजापुर के आदेश दिनांकित 10.09.1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विद्वान मुन्सिफ मीरजापुर अपने आदेश के अन्तर्गत 6–ग प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है।

6–ग प्रार्थना पत्र में श्रीमती सरस्वती देवी की तरफ से कहा गया है और उसमें प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थना की गयी है। वादिनी/रेस्पान्डेन्ट की तरफ से कहा गया है कि आरजी नं0–291/2 मिलजुमला जिसका रकबा 15 बिगहा है जो वाद पत्र में अक्षर च, छ, ज, झ से दिखाया गया है कि वह कास्त की भूमि है और उस पर काबिज है और यह प्रार्थना की गयी है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण व उनके आदमियों को अस्थायी रूप से रोक दिया जाय कि वे इस जमीन पर न खुद काबिज हो न कोई पेड़ लागवे। प्रतिवादीगण की तरफ से इसमें अपील की गयी है। आपत्ति 19–ग है जिसका शपथपत्र उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपत्ति 28–ग वादिनी/रेस्पान्डेन्ट अपने प्रार्थना पत्र 6–ग के संलग्नक पत्र और लिस्ट 9 ग से इन्तखाफ खतौनी 1393 फसली नकल इन्तखाफ खसरा आराजी नं0–291/2 मिलजुमला प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की तरफ से

21–ग लिस्ट के जरिए 5 प्रलेख दाखिल किये गये। इसमें वादिनी/रेस्पान्डेन्ट अपने वाद को संशोधित किया है और राज्य सरकार को भी पक्ष बनाया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली एवं अभिलेखों का अवलोकन किया प्रथम मुझे यह देखाना है कि क्या प्रथम दृष्टया मुकदमा वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के पक्ष में बनता है। वादिनी की तरफ से कागज संख्या–10–ग दाखिल किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि 15 बीगहे भूमि पर वन विभाग का नाम काट कर श्रीमती सरस्वती देवी स्त्री बिरजू का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है। कागज संख्या–11–ग में 15 बीगहे खतौनी खाता की संख्या–165 और खेत की संख्या–291/2 पर सरस्वती देवी का नाम दर्ज है जंगल विभाग की तरफ से विज्ञप्ति संख्या–3924142804782 दिनांकित 22.08.1983 के अनुसार यह पूरा आरक्षित वन घोषित किया गया है और इस विज्ञप्ति के अनुसार खसरा खाता नं0–827 मिलजुमला में 305 बीगहा 11 बिस्वा भूमि वन विभाग के कब्जे में है और दोनो ही पक्ष इस पर सहमत है कि आराजी नं0–827 का ही नया नं0–291/1 व 291/2 है। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की तरफ से कागज संख्या–26–ग नक्शा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आराजी नं0–827 का उल्लेख है, लेकिन इसका उल्लेख है कि इस आराजी से सम्बन्धित सभी जमीन अधिग्रहण किये गये कि नहीं। वादिनी/रेस्पान्डेन्ट की तरफ से कहा गया है कि आराजी नं0–827 का नया नं0–291/2 15 बिगहा से वन विभाग से कोई मतलब नहीं है इसमें कमिशन भी जारी हुआ है और कमिशन की रिपोर्ट 17–ग है और नक्शा 17 ग/2 है।

इस रिपोर्ट के अनुसार विवादित जगह में उसके पश्चिम उत्तर और पूरब तरफ 3 फिट पूरे पत्थर की चुनाई की गयी है और दक्षिण तरफ छोटे–छोटे टुकड़े में गाटाबन्दी की गयी है और उत्तर तरफ की जमीन उची नीची है। विवादित स्थल पर एक पेड़ नीम व एक पेड़ आम है। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि विवादित जमीन पर वादिनी का कब्जा है और वन विभाग की तरफ से

कोई इसमें वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ नहीं है। रेस्पान्डेन्ट/वादिनी की तरफ से जो कागजात दाखिल किया गया है उससे स्पष्ट है कि आराजी न0–291/215 बीघा पर उसका स्वामित्व और कब्जा है। तहसीलदार ने आराजी न0–291/2 पर से वन विभाग का नाम काट कर के वादिनी/रेस्पान्डेन्ट का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है और कागजात से यह भी स्पष्ट है कि 291/2 नम्बर पर 15 बिगहा छोड़कर के शेष पर वन विभाग का नाम दर्ज है। इन सब कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला रेस्पान्डेन्ट/वादिनी के पक्ष में बनता है। दूसरी तरफ यह देखना है कि सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है। मेरे विचार से इस आराजी पर चूँकि कब्जा वादिनी/रेस्पान्डेन्ट का है और अगर प्रतिवादीगण को अस्थायी रूप से रोका नहीं जायेगा तो ज्यादा क्षति वादिनी/रेस्पान्डेन्ट को होगी। इस तरह से सुविधा का सन्तुलन वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के पक्ष में है। जहॉ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है वह भी वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के पक्ष में है क्योंकि अगर अस्थायी तौर पर वादिनी को कब्जे से वंचित किया जायेगा तो उससे स्वाभाविक रूप से अपूर्णनीय क्षति वादिनी/रेस्पान्डेन्ट को होगी। ऐसी परिस्थिति में अपील में कोई बल नहीं है और अपील खारिज होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना–अपना खर्च वहन करेंगे।
दिनांक 16.10.91

ह0/–

आर0डी0 सिंह
चतुर्थ अति0 जनपदन्यायाधीश,
मीरजापुर

आज निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरोपरान्त उद्घोषित किया गया ।

दिनांक 16.10.1991

ह0/—

आर0डी0 सिंह
चतुर्थ अति0 जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर

संलग्नक - 67

न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थित : श्री आर०डी०सिंह, एच०जे०एस०

उत्तर प्रदेश सरकार .... अपीलार्थीगण/
प्रतिवादीगण।

बनाम

श्रीमती सरस्वती देवी व अन्य .... रेस्पान्डेन्ट/वादिनी।

प्रकीर्ण अपील संख्या - 82 .... सन् .... 1987।

निर्णय

यह प्रकीर्ण अपील उत्तर प्रदेश सरकार एवं डिवीजनल फारेस्ट अफसर पूर्वी वन विभाग, मीरजापुर की तरफ से अन्तर्गत आदेश-43 नियम-1 (आर) सी०पी०सी० विद्वान् मुन्सिफ, मीरजापुर के आदेश दिनांकित- 10.9.1987, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। विद्वान् मुन्सिफ, मीरजापुर अपने आदेश के अन्तर्गत 6-ग प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है।

6-ग प्रार्थना पत्र में श्रीमती सरस्वती देवी की तरफ से क[illegible] है और उसमें प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] प्रार्थना की गयी है। वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के तरफ से कहा गया कि आराजी नम्बर-291/2, मिलजुमिला जिसका रकबा 15 [illegible] जो वादपत्र में अक्षर च छ ज क से दिखायी गयी कि वह [illegible] है और उस पर काबिज है और यह प्रार्थना की गयी है कि [illegible] प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण व उनके आदमियों को अ[illegible] द्वारा रोक दिया जाय कि वे इस जमीन पर न खा[illegible] कोई मेड़ लगावें। प्रतिवादीगण की तरफ से इसमें [illegible] की गयी है। आपत्ति 19-ग है जिसका शपथ प[illegible] उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपत्ति 26ग [illegible] वादिनी/रेस्पान्डेन्ट अपने प्रार्थना पत्र 6-ग के स[illegible] पत्र और लिस्ट 9ग से इन्तखाफ खतौनी 1393 [illegible]

नकल इन्तखाफ खसरा आराजी नम्बर- 291/2 मिलजुमिला प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की तरफ से 21-ग लिस्ट के जरिये 5 प्रलेख दाखिल किये गये है। इसमें वादिनी/रेस्पान्डेन्ट अपने वाद को संशोधित किया है और राज्य सरकार को भी पक्ष बनाया है।.........

.......मैंने प्रथम पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता गण को विस्तार पूर्वक सुना एवं पत्रावली एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रथम मुझे यह देखना है कि क्या प्रथम दृष्टया मुकदमा वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के पक्ष में बनता है। वादिनी की तरफ से कागज संख्या-10-ग दाखिल किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि 15 बिगहे भूमि पर वन विभाग का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देबी स्त्री बिरजू का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है। कागज संख्या-11ग में 15 बिगहे खातौनी खाता की संख्या-165 और खेत की संख्या-291/2 पर सरस्वती देबी का नाम दर्ज है। जंगल विभाग की तरफ से विज्ञप्ति संख्या- 3924/428047 82 दिनांकित- 22.8.1983, के अनुसार यह पूरा आरक्षित वन घोषित किया गया है और इस विज्ञप्ति के अनुसार खसरा खाता नम्बर- 827 मिलजुमिला के मौजूद 305 बिगहा 11 बिस्वा भूमि वन विभाग के कब्जे में है और दोनों ही पक्ष इस पर सहमत है कि आराजी नम्बर- 827 का ही नया नम्बर 291/1 व 291/2 है। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की तरफ से कागज संख्या- 28-ग नक्शा प्रस्तुत किया गया है [illegible]समें आराजी नम्बर- 827 का उल्लेख है, लेकिन इसका उल्लेख [illegible] है कि इस आराजी से सम्बन्धित सभी जमीनें अधिग्रहण किये [illegible]कि नहीं। रेस्पान्डेन्ट/वादिनी की तरफ से कहा गया है कि [illegible] नम्बर- 827 का नया नम्बर 291/2 15 बिगहा से वन-[illegible]ग से कोई मतलब नहीं है। इसमें कमिशन भी जारी हुआ [illegible]र कमिश्नर की रिपोर्ट 17-ग है और नक्शा 17ग/2 है।

:3:

इस रिपोर्ट के अनुसार विवादित जगह में उसके पश्चिम उत्तर और पूरब तरफ 3 फिट पूरे पत्थर की चुनाई की गयी है और दक्षिण तरफ छोटे-छोटे टुकड़े में गाटाबन्दी की गयी है और उत्तर तरफ की ज़मीन ऊंची नीची है। विवादित स्थल पर एक पेड़ नीम व एक पेड़ आम है। रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि विवादित ज़मीन पर वादिनी का कब्जा है और वन विभाग की तरफ से कोई इसमें वृक्षारोपड़ का कार्य प्रारम्भ नहीं है। रेस्पान्डेन्ट/वादिनी की तरफ से जो कागज़ात दाखिल किया गया है उससे स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 291/2 15 बिगहा पर उसका स्वामित्व और कब्जा है। तहसीलदार ने आराजी नम्बर- 291/2 पर से वन विभाग का नाम काट करके वादिनी/रेस्पान्डेन्ट का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है और कागज़ात से यह भी स्पष्ट है कि 291/2 नम्बर पर 15 बिगहा छोड़ करके शेष पर वन विभाग का नाम दर्ज है। इन सब कागज़ातो से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला रेस्पान्डेन्ट/वादिनी के पक्ष में बनता है। दूसरी तरफ यह देखना है कि सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है। मेरे विचार से इस आराज़ी पर चूंकि कब्जा वादिनी/रेस्पान्डेन्ट का है और अगर प्रतिवादीगण को अस्थायी रूप से रोका नहीं जायेगा तो ज्यादा क्षति वादिनी/रेस्पान्डेन्ट को होगी। इस तरह से सुविधा का सन्तुलन वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के पक्ष में है। जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है वह भी वादिनी/रेस्पान्डेन्ट के पक्ष में है क्योंकि अगर अस्थायी तौर पर वादिनी को कब्जे से वंचित किया जायेगा तो उससे स्वाभाविक रूप से अपूर्णनीय क्षति वादिनी/रेस्पान्डेन्ट को होगी। ऐसी परिस्थिति में अपील में कोई बल नहीं है और अपील खारिज होने योग्य है।

आदेश

अपील खारिज की जाती है। उभय पक्ष अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

दिनांक- 16.10.91.

16/10/91

(आर०डी० सिंह)
चतुर्थ अ०जनपद न्यायाधीश
मीरजापुर।

:4:

आज निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित प्रारम्भ उद्घोषित किया गया।

16/10/91

दिनांक 16.10.1991,

(आर0डी0 सिंह)
चतुर्थ अति0 जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर।

Seen
16/10

Seen
19/5/91

संलग्नक- 8

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, मिर्जापुर

उपस्थित- श्री साधोराम ।

सिविल निगरानी संख्या- 33/2003

श्रीमती सरस्वती देबी पत्नी विरजू साकिन बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर ।............. निगरानीकर्ता

बनाम

1- श्रीमान् वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रभाग मिर्जापुर ।

2- उत्तर प्रदेश सरकार वजरिये श्रीमान् जिलाधिकारी, मिर्जापुर ।

3- गाँव सभा बेलखरा बजरिये ग्राम प्रधान बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर ।

.... विपक्षी

निर्णय

यह सिविल निगरानी मूलवाद संख्या 305/87 श्रीमती सरस्वती देबी- बनाम- वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रभाग मिर्जापुर व अन्य में सिविल जज (जू0 डि0) चुनार जिला मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7. 8. 2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता वादिनी श्रीमती सरस्वती देबी ने वन अधिकारी पूर्वी वन प्रभाव मिर्जापुर के विरूद्ध आराजी नं0 291 मि. रकवा 15 बीघा बहरूफ अक्षर च छ ज झ में वादिनी के कब्जा दखलमें इस्तेमाल करने में प्रतिवादीगण स्वमेव या अपने आदमियों द्वारा किसी प्रकार से रूकावट दखलन्दाजी न करें न करावें न उसे खन-खोदकर नवैइयत तब्दील करें न उसमें किसी प्रकार का कोई पेड़ लगवायें न हम वादिनी के घेरे हुये पत्थर के फेन्सींग को हटावे न ही बर्बाद करें । वादिनी का कथन है कि आराजी नं0 291 मि0 रकवा 15 बीघा जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर च, छ, ज, झ से दिखाया गया है वादिनी जमिन्दारी विनाश के पूर्व से बहैसियत

आदेश की नकल 7.8.03 के विरुद्ध अपील दायर की गई श्री ... 7.8.03 के विरुद्ध

§2§

मालिक काबिज दखील चली आ रही है व फसल काश्त करती है । वादिनी ने पुरानी जमीन को सुरक्षा के लिये पत्थर के टुकड़ों से फेन्सींग की है और उसका नाम भी दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगणा के कर्मचारी नाजायज लाभ उठाने के दुर्भावना से वादिनी की भूमि में गड्ढा खोदने व पेड़ लगाने की धमकी देने लगे व वादिनी के शान्ति पूर्वक कब्जा दखल पर हस्तक्षेप करने लगे जब कि प्रतिवादीगणा का यह काम अवैध है । प्रतिवादीगणा की ओर से प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया और वाद पत्र में किये गये अभिकथनों को इन्कार करते हुये कहा गया है कि उक्त विवादित भूमि वन अपने विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग पूर्ण स्वामी है । वादिनी को भारतीय वन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कोई हक हासिल नहीं है । विद्वान अवर न्यायालय द्वारा फरीकैन के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये एवं फरीकैन को साक्ष्य का मौका दिया गया । साक्ष्य के दौरान वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 85 ग वाद पत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके विरुद्ध 86 ग आपत्ति दाखिल हुयी । उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 85 क वाद पत्र में संशोधन किये जाने को स्वीकार करते हुये अतिरिक्त जबाब देही प्रस्तुत करने का समय दिया एवं उभय पक्षों को साक्ष्य का मौका देते हुये उभय पक्षों की साक्ष्य को अभिलिखित किया एवं फरीकैन की साक्ष्य समाप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत किया । बहस के दौरान वादिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 130 ग प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त वाद बिन्दु बनाया जाय कि क्या डिफेन्स प्रतिवादी धारा 49 उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम से पूर्णतः वाधित है यदि हाँ तो प्रभाव,? बनाये जाने की आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगणा की ओर से आपत्ति पत्र 131 ग प्रस्तुत की गई विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 130 ग व आपत्ति पत्र 131 ग

1088/145

पर सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 7.8.2003 को प्रार्थना पत्र 130 ग खारिज कर दिया। निगरानीकर्ता वादिनी ने विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.8.2003 से क्षुब्ध होकर यह सिविल निगरानी प्रस्तुत किया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुन लिया है तथा समस्त पत्रावली का अवलोकन कर लिया है।

निगरानीकर्ता वादिनी की ओर से कहा गया है कि मातहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.8.2003 तथ्य एवं कानूनी प्राविधानों के विपरीत है। संशोधन के उपरान्त प्रार्थना पत्र 130 ग में वर्णित अतिरिक्त तनकीह बनाया जाना आवश्यक था लेकिन उक्त अतिरिक्त वाद बिन्दु नहीं बनाया गया जब कि उक्त वाद बिन्दु पर वादी द्वारा कागजी एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा पुष्टि किया जा चुका है एवं प्रतिवादी द्वारा जिरह भी की गई है ऐसी स्थिति में अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 130 ग गलत ढंग से खारिज कर दिया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद बिन्दु अभिवचनों के आधार पर दिनांक 5.8.99 को विरचित किये गये थे जिस पर फरीकैन को अपनी-अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी। साक्ष्य के दौरान ही वादिनी द्वारा वाद पत्र में संशोधन कर दिया गया। प्रार्थना पत्र 85 क 9.7.2001 स्वीकार किया गया और प्रतिवादीगण को जबाबदेही का समय देते हुये अतिरिक्त तनकीह हेतु मुकदमा नियत किया गया लेकिन पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त वाद बिन्दु बनाये जाने पर जोर नहीं दिया गया बल्कि फरीकैन द्वारा अपनी-अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गई और मुकदमा बहस में नियत कर दिया गया। वाद बिन्दु में दफा 8 अ जो संशोधन के उपरान्त जोड़ा गया है " यह कि पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अन्तिम तौर पर निर्णित व फाइनल हो चुका है पस वाद कारण के बिना पर हराशयपूर्व मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बिलाई और डिफैन्स प्रतिवादी धारा 49 उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम

वादिनी को प्रार्थना पत्र 130 ग स्वीकार हो जायेगी.

अधिनियम से पूर्णत: बाधित है क्योंकि निर्णय चकबन्दी पक्षों पर बाध्यकारी है ।

विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चकबन्दी के दौरान विवाद अन्तिम तौर पर निर्णय व फाईनल हो चुका है और यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है यदि प्रतिवादी का डिफेन्स धारा 49 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बाधित हो सकता है तो वादी का वाद भी धारा 49 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बाधित हो सकता है । वाद पत्र में दफा-8 अ के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विवाद चलकर अन्तिम तौर पर निर्णीत व फाईनल हो चुका है । इस प्रकार जब एक न्यायालय द्वारा विवाद अन्तिम तौर पर निर्णीत व फाईनल हो चुका है तो उक्त आदेश यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खंडित नहीं किया गया है तो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी रहता है। विपक्षी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चकबन्दी प्रक्रिया वन अधिनियम की धारा-20 की प्रक्रिया के पश्चात सम्पत्ति राज्य सरकार एवं आरक्षित वन अधिनियम के प्राविधान उस पर लागू हो जाते हैं । यह भी कहा गया है कि वन अधिनियम की धारा-4 व धारा -20 का प्राविधान हो जाने पर भी चकबन्दी अधिनियम का कोई प्राविधान लागू नहीं होता है और एस0 ओ0 के द्वारा पारित आदेश सिविल कोर्ट की डिक्री का असर रखता है और ऐसे आरक्षित वन धारा-20 के अन्तर्गत की गई घोषणा को न्यायालय या ट्रिब्यूनल इन्कार नहीं कर सकते । निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वाद बिन्दु मुकदमें के किसी अवस्था तक विरचित किये जा सकते हैं । निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता

की यह बात सही है लेकिन वाद बिन्दु अभिवचनों के आधार पर विरचित किये जाते हैं जहाँ कि एक पक्ष किसी तथ्य को कहता है और दूसरा पक्ष उस तथ्य को इन्कार करता है । वर्तमान मामले में संशोधन के उपरान्त ऐसा तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता है । विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 130 ग के निस्तारण में जो निष्कर्ष दिया है उसे विधि विरूद्ध या तथ्य व साक्ष्य से परे नहीं कहा जा सकता है । विद्वान अवर न्यायालय ने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती है ।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विद्वान अवर न्यायालय ने तथ्य एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये व मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये सही आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती है और उक्त आदेश दिनांक 7. 8. 2003 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती है । तदनुसार इस सिविल निगरानी में बल देखने को नहीं मिलता है निरस्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

सिविल निगरानी निरस्त की जाती है । विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7. 8. 2003 की पुष्टि की जाती है । पत्रावली अविलम्ब सम्बन्धित न्यायालय को वापस भेजी जाय ।

दिनांक 25. 2. 2004

§साधोराम§ 25.2.2004
विशेष न्यायाधीश, एन. डी. पी. एस. एक्ट
भिजपुर ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया ।

दिनांक 25. 2. 2004

§साधोराम§ 25.2.2004
विशेष न्यायाधीश, एन. डी. पी. एस. एक्ट
भिजपुर ।

संलग्नक - 9

ANNEXURE 9

COURT FEE INDIA भारत चार रुपये FOUR RUPEES

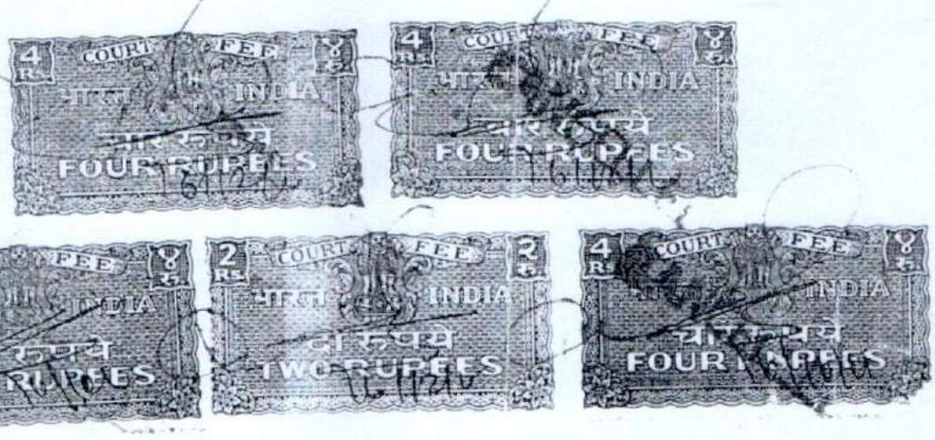

COURT FEE INDIA भारत चार रुपये FOUR RUPEES

COURT FEE INDIA भारत चार रुपये FOUR RUPEES

COURT FEE INDIA भारत दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE INDIA भारत चार रुपये FOUR RUPEES

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख:-	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख:-	नकल वापिस दिए जाने की तारीख:-	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर:-
16.12.2011 सोलह दिसम्बर सन दो हजार ग्यारह	23.12.2011 तेइस दिसम्बर सन दो हजार ग्यारह	23.12.2011 तेइस दिसम्बर सन दो हजार ग्यारह	[signature]

न्यायालय सिविल जज (जू० डि०) ...

Case No. 305/87

सरस्वती Vs ...

नकल निर्णय दिनांक 15.12.2011 की ... फोटोकॉपी के साथ संलग्न है।

COURT FEE INDIA भारत TWO RUPEES

163/1

85/2

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) चुनार- मिर्जापुर।

उपस्थितः श्री पवन कुमार राय, पी0 सी0 एस0(जे0)

मूलवाद सं0: 305/ 87

श्रीमती सरस्वती देवी उम्र 48 वर्ष स्त्री बिरजू सा0बेलखरा अहरौरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर।

.........वादिनी।

-:बनाम:-

1- श्री मान वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रभाग मिर्जापुर।

2- उत्तर प्रदेश सरकार बजरिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर।

3- गांव सभा बेलखरा बजरिए ग्राम प्रधान बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मिर्जापुर।

.. .. . प्रतिवादीगण।

निर्णय

वादिनी ने यह वाद प्रतिवादीगणके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया है।

... है वाद पत्र का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि वादिनी आराजी नं0 ... मि0 रकबा 15 बिगहा जिसे संलग्न नक्शा बहरूफ च उ ज झ पर वादिनी जमींदारीविनाश के पूर्व से बहैसियत मालीके काबिज दखील चली आ रही है ... बराबर अपने हल बैल से जोत बोकर फसलकाश्त करती है। वादिनी ... आराजी ... पत्थर कटुकड़ो से फेन्सीग किये है अभिलेखों में भी वादिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारीअनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादिनी के दुश्मनो के बहकावे में आकर वादिनी की भूमिको ... करने व पेड़ लगाने की धमकी देने लगे जिसकी शिकायत की गयी ... ने ध्यान नहीं दिया तथा अपने कर्मचारियों को गलत तौर पर और ... उत्साहित किया। प्रतिवादीगण वादिनी के शांति पूर्वक कब्जा

दखल से हटाना [illegible] रहते है और बार- बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं [illegible] दिनांक- 1.4.87 को [illegible] आप के कर्मचारियों ने साफ साफ कह दिया [illegible] वे सब बड़े साहब के निर्देश पर चल रहे है तथा वादिनी को धमका [illegible] वादी द्वारा दावा दाखिल करने के पूर्व प्रतिवादीगण को बजरिए रजिस्टर्ड पोस्ट धारा 80 सी0 पी0 सी0 की नोटिस दे दी गयी जिसका कोई [illegible] नहीं दिया तब 60 दिन के उपरान्त दावा दाखिल किया गया। [illegible] दौरान चकबन्दी प्रक्रिया विधान चलकर अंतिम तौर पर निर्णीत [illegible] हो चुका है। [illegible] बाद कारण के विनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत [illegible] कानूनन बिलाई और डिफेन्स प्रतिवादी धारा-49 उ0 प्र0 चकबन्दी [illegible] अधिनियम से पूर्णतः बाधित है। वादिनी द्वारा दिनांक- 29.6.87 को [illegible] कारण उत्पन्न होना व्यक्त करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से लिखित कथन 32क प्रस्तुत कर [illegible] वाद पत्र के [illegible] क्र0- 1 ता 12 से इंकार करते हुए कथन किया गया कि [illegible] वादिनी भूमि सं0- 291 मि0 रकबा 15 बीघा पर जिसे वाद पत्र के नक्शे में व उ ज झ से दिखाया गया है पर जमींदारी विनाश पूर्व से [illegible] काबिज दखील नहीं रही है न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। [illegible] में जो भूमि व उ ज झ से दिखाई गयी है वह भूमि सं0- 291 मि0 15 [illegible] नहीं है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा- 80 [illegible] दावा दाखिल करने से पूर्व नहीं दिया। वादिनी द्वारा कथित खसरा [illegible] सं0-291 मि0 मौके के अनुसार सं0 खसरा प्लाट सं0-8327 मि0 के अन्तर्गत [illegible] आता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं0 [illegible]-95/14 क-67 दि0 22-8-68 द्वारा भारतीय वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0- 5124/14-2-20(47)-82 दिनांक- 22.3.8[illegible] [illegible] आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के

815/3

-3-

अनुक कथित खसरा प्लाट नं0 827 मी0 के कुल 305 बीघा 11 बिस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभागको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कथनों के आधार पर भी वादिनी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगणकी ओरसे अतिरिक्त जबाबदावा 89क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी द्वारा संस्थित चकबन्दी न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक- 10.2.63 को कोई जानकारी वन विभाग को नहीं थी। दिनांक- 27.9.01 को श्रीमान् जी के यहां नकल दाखिल करने पर सर्वप्रथम आदेश दिनांक- 10.2.63 की जानकारी हुई। राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश का अमल दरामद भी नहीं हुआ है और नामान्तरण की कार्यवाही काल बाधित हो गयी है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी तृतीय अहरौराका मु0 सं0-58/309सन् 1963 ता0 फै0 10.2.63 बिलकुल फर्जी मनगढ़न्त है। वादिनी द्वारा वाद पत्र मेंकिये गये संशोधन के पश्चात उ0 प्र0 सरकार को दफा -80 जाप्ता दीवानी की नोटिस नियमानुसार पुनः देना आवश्यक हो गया है। वादिनी पुनः नोटिस देने से मुक्त नहीं की जासकती। इसके अतिरिक्त अन्य कथनों के आधार पर भी वादिनी का वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के अभिवचनो के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

1. क्या वादी विवादित भूमिका स्वामी है?
2. क्या वादी विवादित भूमि पर काबिज है?
3. क्या वाद अल्प मूल्यांकित एवंप्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्तहै?
4. क्या विवादित आराजी गाटा सं0- 291 का अंश है?
5. क्या वपद धारा- 80 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत नोटिस देने का अभाव है?

6-क्या वाद धारा 34,38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

7- क्या वाद धारा 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?

8: क्या वाद धारा- 4, 20वन अधिनियम से बाधित है?

9: क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू-1 सरस्वती देवी, पी0डब्लू-2 किशाम , पी0डब्लू -3जल्ली, पी0डब्लू-4 श्रीराम को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची क 9ग से खतौनी, खसरा व रजिस्ट्री रसीद की छाया प्रतियां सूची 31ग से न्यायालय तहसीलदार महोदय चुनार के आदेश दिनांकित-4.1.89 की सत्यापित प्रतिलिपि, सूची 99ग/1 व 99ग/2 से एक अद्द असल मानचित्र मौजा बेलखरा, 9अद्द खसरा विभिन्न फसली वर्ष की प्रतियां व दो अद्द प्रश्नोत्तरी बन्दोबस्त अधिकारी दिनांक क्रमशः 12.7.94 व 20.11.88 की सत्यापित प्रति लिपि, एक अद्द सत्य प्रतिलिपि प्रश्नोत्तरी श्रीमान/इन्चार्ज दफ्तर मिर्जापुर। दिनांक-24.7.89की सत्यापितप्रतिलिपि, दो बन्द सत्यापित नकल आदेश 10.2.63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, खतौन , खसरा व एक अद्द लगानी रसीद। सूची 156 से 4 अद्द पक्की रसीद व खसरा - खतौनी दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू-1 कमलाशंकर, डी0डब्लू-2 स्वयम्बर प्रसाद को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 2 से धारा-20 प्रमाणितप्रति सत्य प्रतिलिपि, उ0प्र0 गजट 10 दिसम्बर, 1963 ई0 अधिग्रहण ,19,1955 शक सम्बत भाग 1 की प्रमाणित प्रतिलिपि, धारा- 4ई प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि उ0प्र0 गजट 25 मई 1968 की प्रमाणितप्रतिलिपि ग्राम बेलखरा पर0 अहरौरा त0 चुनार जिला मिर्जापुर का नक्शे की सत्य प्रतिलिपि, वन तथा बंजर आदि क्षेत्रों की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणउद्धरण खतौनी, तथा सूची से न्यायालय तहसीलदार चुनार

16353

-5-

मु0 सं0- 28 28/87-88 सरस्वती बनाम बन विभाग तहसीदार जुनवर आदेश
दिनांकित- 23.1.89 की सत्यापित प्रति लिपि तथा उपरोक्त न्यायालय में
दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित- 18.9.87 की सत्यापित प्रतिलिपि सूची
90ग से 91ग/1 प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार सूचना मांगे जाने का
प्रार्थना पत्र की छाया प्रति व अन्य कागजात दाखिल किया गया है।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादिनी वादग्रस्त
संपत्ति आराजी सं0- 81 मी0क्षेत्रफल 15 बीघा पर जमींदारी विनाश
अधिनियम लागू होने के पहले से काबिज दखील है तथा वादिनी के नाम की
प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में हो चुकी है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह
भी तर्क है कि अधिवक्ता आयुक्त की आख्या के द्वारा भी वादिनी कथनों की
पुष्टि होती है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त
संपत्ति के सन्दर्भ में मालिकाना हक चकबन्दी न्यायालय से अंतिम रूप से निर्णीत
हो चुका है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-
49 से बाधित है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादिनी
ने वाद पत्र में किये गये अभिकथन को अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के द्वारा पूर्ण
रूपेण सिद्ध किया है तथा वादिनी का वाद आज्ञप्ति किये जाने की
याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
का तर्क है कि वाद ग्रस्त संपत्ति बन विभाग की संपत्ति है तथा उक्त संपत्ति
पर वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। विद्वान सहायक जि
शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू
होने वाले फसली वर्ष में वादग्रस्त संपत्ति बंजर के रूप में दर्ज थी तथा
उक्त संपत्ति को बन विभाग हेतु आरक्षित कर दिया गया था। उक्त संपत्ति
संदर्भ में चकबन्दी न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त था तथा वादि
के द्वारा चकबन्दी न्यायालय का प्रस्तुत आदेश दिनांकित- 10.2.63 एक कूट

-6-

रचित अभिलेख है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादिनी के द्वारा दाखिल खारिज की प्रक्रिया उक्त आदेश के लगभग 24 वर्ष के बाद करायी गयी तथा उक्त आदेश के बारे में इसके पहले कभी भी कोई जानकारी नहीं थी तथा उक्त आदेश के सम्बन्धित मुकदमें की पत्रावली को भी गोस्वारे में दर्ज भी नहीं पाया गया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादिनी ने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया है कि उसे चकबन्दी न्यायालय तथा तहसीलदार के न्यायालय में कोई कार्यवाहियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा वादिनी के द्वारा राजस्व अभिलेखों में कूटरचित आदेश के आधार पर प्रविष्टियां करा लि गयी। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात भू0 राजस्व के भुगतान के लिए होता है तथा ऐसी ~~परिस्थिति~~ प्रविष्टि के आधार पर किसी को कोई स्वामित्व नहीं प्रदान किया जा सकता। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वादग्रस्त सम्पत्ति को माननीय राज्य पाल महोदय राजकीय गजट में ~~विज्ञ~~ विज्ञप्ति के द्वारा आरक्षित बन घोषित कर दिया था परन्तु वादिनी के ~~द्व~~ द्वारा उस पर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रतिवादीगण ने अपनी प्रतिवाद अभिलेखीय साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया है तथा वादिनी का ~~व~~ वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद विन्दु सं0- 1,2 व 4

वाद विन्दु सं0-1 इस आशय का विरचित

163ए/4

835/5

-7-

किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी है?वाद विन्दु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि पर काबिज है तथा वाद विन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित आराजी गाटा सं० 291 का अंश है। उपरोक्त वाद विन्दु एक दूसरे से संबंधित है,इसलिए उक्त वाद विन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति आराजी सं० 291 मी०क्षेत्रफल 15बीघा जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर क ख ग घ से प्रदर्शित किया गया है, को जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के पहले से मालिक व काबिज है।

प्रतिवादीगण का अभिकथन है कि विवादित जमीन वन विभाग की जमीन है तथा उससे वादिनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित जमीन को पत्थर के दीवार से घेर कर उसमें वर्ष 87 से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। विवादितजमीन पर स्वामित्व वन विभाग का है तथा कब्जा भी है। वादिनी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग से नकल इंतखाब खतौनी 1393 से 1398 फसली खाता सं० 65 तथा नकल इंतखाब खसरा आराजी सं० 291/2 मि० रकबा 15 बीघा का प्रस्तुत किया गया है। कागज सं० 10गव 11गमें यह तथ्य उल्लिखित है कि मुकदमा सं० 26 विविध न्यायालय तहसीलदार चुनार के आदेश दिनांकित 18.2.87 के द्वारा आराजी सं० 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलहरा परगना अहरौरा वे पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय। इस आदेश के अनुपालन में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की गयी।

प्रतिवादीगण के द्वारा अपने कथनके समर्थन में सूची 21ग से 5 अभिलेख प्रस्तुत किये गये है । उक्त अभिलेख भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 तथा धारा- 8 20 से संबंधित है। वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया खसरा

पलाट नं0- 291 मौ.मौके के अनुसार साबिक खसरा प्लाट नं0- 827 मि0 के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं0- 23§2§ -95 /14 ब-67 दिनांक- 22.2.68 के द्वारा आरक्षित बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था विज्ञप्ति सं0-5924/14-2- 20§47§-82 दिनांक- 22.8.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा 827 मि0 कुल वन विभाग के कब्जे में है दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमति है कि आराजी सं0- 827 का ही नया नम्बर 291/1 व 291/2 पड़ा है। प्रतिवादीगण के द्वारा कागज सं0- 28 ग मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें आराजी सं0- 827का अधिग्रहण वन के रूप में उल्लेख है। 827 व 825पर ही सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है। कागज सं0-25 ग में आराजी सं0 827/1 313 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी सं0- 827/2 15 बीघा उल्लिखित है। कागज सं0- 26ग उद्धरण खतौनी बेलखरा परगना अहरौरा फसली व वर्ष 1383 से 1386 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त नम्बर से बने नये नम्बर आराजी सं0-291 रकबा 313 बीघा पर उत्तरी वन विभाग मिर्जापुर का नाम अंकित है तथा उक्त अभिलेख पर इस तथ्य का भी उल्लेख है कि आदेश नोटीफिकेशन वन प्रभाग अधिकारी के द्वारा 827/1 पूर्वी वन विभाग प्रभाग दर्ज किया गया। वादिनी का अभिकथन है वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पहले से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज दाखिल है। इस सन्दर्भ में 1359 फसली वर्ष का खसरा अभिलेख अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम उसी वर्ष में लागू हुआ था। पत्रावली पर कागज सं0- 91ग/2 नकल खतौनी मौजा बेलखरा परगना अहरौराफसली वर्ष 1359 की सत्यापित प्रति उपलब्ध है। उक्त

-9-

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आराजी सं0-827/1 क्षेत्रफल 312 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी सं0- 827/2 बंजर के रूप में दर्ज है। यदि वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व वाद ग्रस्तसंपत्ति पर काबिज दखील होती तो 1359 फसली वर्ष के राजस्व अभिलेखों में उसके नाम की प्रविष्टि होनी चाहिए थी परन्तु उक्त अभिलेख पर वादिनी के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है।वादिनी का यह अभिकथन है कि वादग्रस्त आराजी 827 मी0 रकबा 15 बीघा के संदर्भ में न्यायालय चकबन्दी अधिकारी तृतीय अहरौरा तहसीलदार चुनार मिर्जापुर मुकदमा नं0- 58/309 1963 सरस्वती बनाम सोन बन खण्ड मिर्जापुर धारा-9 अ जोत चकबन्दी कानून में चकबन्दी अधिकारी ने आदेश दिनांकित 10.2.63 के द्वारा वादग्रस्त आराजी से गांवसभा व सोन बन खण्ड मिर्जापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी वादिनी का नाम बतौर सिरदार अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया था तथा बन विभागके द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व चकबन्दी न्यायालय के द्वारा अंतिम हो चुका है एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद धारा- 49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है।उक्त आदेश की मूल सत्यापित प्रतिलिपि कागज सं0- 10ग/2 पर यह तथ्य उल्लिखित है कि श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम बेलखरा पर आराजी नं0- 827 मी0/15 से जमींदार से पट्टा लेकर काबिज है आर परगना अधिकारी चुनार ने ता. 2.2.59 को सिरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है तथा उक्त आदेश के आधार पर ग्राम सभा एवं बन विभाग का नाम काटकर वादिनी का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित कियागया है। वादिनी के द्वारा परगना अधिकारी के आदेश दिनांकित 2.2.59 की कोई भी प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण के द्वारा कागज सं0- 9ग/1 के माध्यम से राजस्व अभिलेखागार मिर्जापुर से चकबन्दी न्यायालय वाद सं0 - 58/309 -1963 सरस्वती देवी बनाम सोन बन खण्ड उत्तरी की पत्रावली के सन्दर्भ में सूचना मांगी गयी है तथा कागज सं0- 9ग/

यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि मौजा बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार सरस्वती बनाम बैन बन खण्ड उत्तरी मिर्जापुर मुकदमा सं0- 58/309 धारा- 9अ ता0 फैसला 10.2.63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी अहरौरा की पत्रावली गोस्वारा में दर्ज होना नहीं पाया जाता है। उक्त अभिलेख के विरुद्ध वादिनी द्वारा कागज सं0- 104ग/1 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र पर दफ्तर इंचार्ज महोदय मिर्जापुर से इस आशय की सूचना मांगी गयी है कि क्या चकबन्दी के उपरोक्त वर्णित मुकदमे की पत्रावली उपलब्ध है। कागज सं0- 104ग पर यह तथ्य उल्लिखित है कि उस मुकदमें की पत्रावली गोस्वारा के अनुसार 2.9.76 को विनिष्ट हो चुकी है। उपरोक्त दोनों अभिलेखों के प्रकाश में कथित चकबन्दी न्यायालय का कथित आदेश दिनांकित- 10.2.63 संदिग्ध हो जाता है तथा वादिनी का यह दायित्व बनता था कि वादिनी अपने कथन की पुष्टि राजस्व अभिलेखागार से संबंधित गोस्वारे की नकल कराके करती परन्तु वादिनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वादिनी के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके द्वारा आदेश दिनांकित- 10.2.63 का क्रियान्वयन लगभग 24 वर्ष उपरान्त व वर्ष 1987 में तहसील तहसीलदार न्यायालय में इतने विलम्ब से किन परिस्थितियों में कराया गया।

वादिनी सरस्वती देवी साक्षी पी0डब्लू-1 ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि इस विवादित जमीन का मुकदमा तहसील व चकबन्दी में चला कि नहीं, यह उसे नहीं मालूम कि तहसील या चकबन्दी में किस तरह का मुकदमा चलता है। उसे नहीं मालूम कि परगनाधिकारी चुनार के यहाँ इस बाबत कोई आदेश हुआ था या नहीं। साक्षी पी0डब्लू-2 विश्राम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि सरस्वती देवी ने इस जमीन के बाबत चकबन्दी में मुकदमा कोई दाखिल की थी कि नहीं। साक्षी पी0डब्लू-3 ... ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि चकबन्दी में कोई मुकदमा सरस्वती ने दाखिल किया था कि नहीं व नहीं जानता।

815/7   163अ/6

-11-

साक्षी पी0डब्लू-4 श्रीराम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि
बेलबरा गांव में चकबन्दी हुए 30-35 साल होगया। चकबन्दी के समय चकबन्दी
में सरस्वती ने कोई मुकदमा चलाया था या नहीं उसे नही मालूम। चकबन्दी
न्यायालय के निर्णय के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है उसे यह जानकारी नहीं
है किएस डी0 एम0 के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। इस प्रकार वादिनी
के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने चकबन्दी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही
के होने के सन्दर्भ में अनभिज्ञता बताई है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों मे
प्रतिवादीगण का यह अभिकथन है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी
अधिकारी अहरौरा का मुकदमा सं0- 58/309 1963 ता 10. 2. 63 बिलकुल
फर्जी एवं मनगढन्तहै, सत्य विदित होता है। राजस्व अभिलेखागार मिर्जापुर की
आख्या दिनांकित 3. 1. 02 कागज सं0- 91ग/1 भी प्रतिवादीगण के कथन
का समर्थन करता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है
कि वादग्रस्तआराजी सं0- 827जमींदारी विनाश के पश्चात बंजर दर्ज थी,
जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 विस्वा था। 1359 फसली की खतौनी खाता
सं0- 3 बंजर खाता मे 827 /2 रकबा 7 बीघा तथा खाता सं0- 354 पहाड़
पर आराजी सं0-827/1 रकबा 313 बीघा 19 विस्वा दर्ज है। उपरोक्त आराजी
राजस्व अभिलेख विभाग द्वारा दिनांक-5. 11. 66 को वन विभाग कोहस्तातरित
कागज को 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से स्पष्ट होती है। इस
हस्तान्तरण के पश्चात विज्ञप्ति सं0- 1994/1-क67 दिनांकित- 27. 7. 1967
द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनःअधिग्रहण कीविज्ञप्तिप्रकाशित करायी गयी तथा
विवादित आराजी दिनांक-19. 10. 67 राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त
विज्ञप्ति का सन्दर्भ देते हुए अमल दरामद कर दी गयी जो कि 1369 से
1372 फसली के खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त अधिसूचित
अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात राज्यपाल उ0 प्र0 द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त
अधिकारी मिर्जापुर द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया केअन्तर्गत भारतीय
वन अधिनियम की धारा- 6 के अन्तर्गत घोषणा पत्र दिनांक- 31. 3. 68 को

जारी करके बेलखरा के ग्रामवासियों को सूचना दे दी गयी। वादिनी के द्वारा बन्दोबस्तअधिकारी के न्यायालय में विवादित आराजी के बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी जिसका उल्लेख बन्दोबस्त अधिकारी इस ग्राम आरक्षितबन के विज्ञप्ति राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय ~~रजिस्टर्ड आदेशार्थ~~ बो. का उद्धरण किया है कि कोई वाद प्रस्तुत नहीं है" उपरोक्त तथ्य सूची 21ग एवं 90ग के द्वारा दाखिल अभिलेखों से स्पष्ट होता है। इसी दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वाराग्राम रिकार्ड आपरेशन 1968 व मुताबिक 1374-75फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी सं0- 827की नयी आराजी सं0- 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा बनाया गया जो कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 40 कागज सं0-91ग/2 से स्पष्ट होता है कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 कागज सं0-91ग/3 के अनुसार विवादित नई आराजी सं0 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा पुरानी आराजी सं0- 827 रकबा 313 बीघा6 विस्वा से बनायी गयी है बाबत विशेष विवरण कालम में जंगल वन विभाग का नाम दर्ज किया गया है। जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 कागज सं 0- 91ग/4 के अनुसार विवादित आराजी नयी आराजी सं0- 291 रकबा 313बीघा 6 विस्वा खाता सं0- 198 पर उत्तरी वन विभाग मिर्जापुर का नाम अंकित है। भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा धारा- 4,5, 9,8,11,18,20,26 व 27 तथा फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 की धारा- 2में ऐसी व्यवस्था है जो उपरोक्त वर्णित धाराओं पर की परिधि में ...नात्मक रूप से प्रभावी होगा तथा यदि कोई जमीन वन विभाग में निहित हो चुकी है तो वन के उपयोग के अलावा उस जमीनउस जमीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से नहीं किया जायेगा। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति/ आराजी पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से हैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है। प्रस्तुत वाद वादिनी के द्वारा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया गया है तथा वाद प्रस्तुत

163ब
85/8

-13-

करते वक्त अपनी उम्र 48 ~~वर्ष~~ वर्ष बताई गयी है , उक्त के अनुसार वादिनी की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के वर्ष वर्ष 1952में उम्र 13 वर्ष आती है। वादिनी 13 वर्ष की अल्पा वस्था के पहले से ही वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होना अभिकथित करती है।वादिनी के द्वारा सूची 156 ग से जमींदार के द्वारा निर्गत रसीदो की मूल प्रति वर्ष 1946-47-48 व वर्ष 1952की दाखिल की गयी है जो पत्रावली पर कागज सं0 157ग ता0 157/4 के रूप में उपलब्ध है। उक्त अभिलेखों के इस तथ्य का उल्लेख है कि वादिनी सरस्वती देवी के द्वारा वर्ष 1946 से ही जमींदार श्रीमती राजकिशोरी को लगान अदा किया जाता रहा है अर्थात वादिनी लगभग 8 वर्ष की उम्र से ही वादग्रस्त संपत्ति का लगान अदा कर रही है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी पी0डब्लू-2 विश्राम ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि, विवादित जमीन को पहले सरस्वती के पिता जोतते थे उसके बाद सरस्वती जोतती है यह जोतने -- बोने की बात वह बहुत पहले से जानता है ये लोग ~~जमींदारी~~ जमींदारी टूटने के पहले से जोतते बोते चले आ रहे है। साक्षी पी0डब्लू-3 जल्लौं ने जिसका बयान दिनांक 16.8.02 को दर्ज किया गया है , ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि वह इस जमीन का 45-50वर्ष से सरस्वती का कब्जा देख रहा है अर्थातइस साक्षी के अनुसार वह वादिनी को 13-14 वर्ष की अवस्था से जोतते बोते देख रहा है। साक्षी पी0डब्लू-3ने अपने बयान में यह भी अभिकथित किया है कि सरस्वती को यह जमीन उनके पिता के द्वारा मिली, वह उनके पिता का नाम नहीं जानता। साक्षी पी0डब्लू-4 श्रीराम जो कि वादिनी के ससुर ... है, ने अपने बयान में अभिकथित किया है कि वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन ~~कxxx~~ पर काबिज दखील रह कर खेती बारी करते थे। उसकी जानकारी में विवादितजमीन पर सरस्वती देवी का कब्जा कम से कम 50 वर्षों से है। साक्षी पी0डब्लू-4 श्रीराम ने अपने बयान मेंअभिकथित किया है कि ~~सरस्वती~~ सरस्वती के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास के पास कुल 15 बीघा जमीन था। हरिदास के मरे 15 साल हो गया। यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू-4 श्रीराम का बयान वर्ष 2002में अंकित किया गया है अर्थात ~~प्रस्तुत~~ प्रस्तुत

करते वक्त वर्ष 87में तथा उसके पहले वादिनी के पिता हरिदास जीवित थे परन्तु किसी भी राजस्व अभिलेख में हरिदास के नाम की प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है जबकि साक्षी पी०डब्लू-4 श्रीराम का अभिकथन है कि उक्त भूमि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुई थी। वादिनी के द्वारा वर्ष 1987 में तहसीदार के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना नाम अंकित कराये जाने का आदेश पारित कराया गया तथा उसी वर्ष में प्रस्तुत वाद दाखिलकर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी उन व्यक्तियों को हक प्रदान नहीं करती जिनका नाम अधिकार अभिलेख में प्रतीत होती है तथा राजस्व अभिलेख या जमाबन्दी में प्रविष्टियां केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात भू० राजस्व के भुगतान के लिए है और कोई स्वामित्व ऐसे प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है।

अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या वादिनी को वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा दखल है। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर जोत कोड़ कर फसल काश्त हकम करती है। वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण ने तथा स्वयं वादिनी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति पर नीम, शीशम, सागौन, इमली महुआ बेलवरी व परास आदि के जंगली वृक्ष है। वादिनी ने वाद पत्र में ऐसा कहीं भी अभिकथन नहीं किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया है तथा वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में वादिनी के द्वारा मात्र एक नीम का पेड़ प्रदर्शित किया गया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूरब, उत्तर एवं दक्षिण जंगल है तथा [illegible] दिशा में सड़क है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण डी०डब्लू-1 कमलाशंकर एवं डी०डब्लू-2 स्वयंबर प्रसाद ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर अभिकथित किया है कि विवादित जमीन पर खेती नहीं होती है तथा जंगल विभाग के द्वारा वृक्षारोपड़ किया गया है।

163क/8

85/4

-15-

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी अपना वादग्रस्तसम्पत्ति पर अध्यासन सिद्ध करने में असफल रही है। तदनुसार वाद विन्दु सं० 1,2 व4 वादिनी के विरुद्धनकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं0-3 यह वाद विन्दु मूल्यांकन व न्यायालय शुल्क से संबंधित है जिसका निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांक- 1.9.99 से किया जा चुका है जो इस निर्णय का अभिन्न अंश होगा।

निस्तारण वाद विन्दु सं0 -5 यह वाद विन्दु वाद को धारा- 80 सी0 पी0 सी0 से बाधित होने के सम्बन्ध में है।इस वाद विन्दुपर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद विन्दु सं0- 5 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं06 यह वाद विन्दु वाद को धारा- 34,38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित होने के सम्बन्ध में है। इस वाद विन्दु पर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः उक्त वाद विन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीतकिया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं0- 7 यह वाद विन्दु धारा- 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधि होनेके सम्बन्ध में है। इस वाद विन्दु पर भी प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। अतः वाद विन्दु सं0- 7 प्रतिवादी केविरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं0-8 यह वाद विन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा- 4, 20 वन अधिनियम से बाधित है। इस वाद विन्दु पर भी प्रतिवादी द्वारा कोई ~~xxx~~ बल नहीं दिया गया है। अतः वाद विन्दु सं0- 8 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद विन्दु सं0-8 यह वाद विन्दु वादिनी को प्राप्त होने वाले अनुतोष से संबंधित है। चूंकिवाद विन्दु सं0- 1, 2व 4 के निस्तारण से स्पष्ट

- 16-

हो चुका है कि वादिनी वादपत्र में किसी भी वांछित अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। तदनुसार वाद बिन्दु सं0- 9 व वादिनी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाताहै ।

उपरोक्त तथ्य परिस्थितियाँ मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय की विवेचना से न्यायालय इस अभिमत पर पहुँचती है कि वादिनी अपना वाद साबित करने में असफल रही है। अतः वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 15.12.2011

§पवन कुमार राय§
सिविल जज§जू0डि0§
चुनार-- मिर्जापुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांक- 15.12.2011

§पवन कुमार राय§
सिविल जज§जू0डि0§
चुनार- मिर्जापुर।

सत्य प्रतिलिपि

ANNEXURE 10

संलग्नक-19

Court No. - 19

Case :- WRIT - C No. - 19144 of 2004

Petitioner :- Sarswati Devi
Respondent :- State Of U.P. Thru D.M. And Others
Counsel for Petitioner :- K.C. Pandey,B. Lal,S.S. Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anuj Kumar

Hon'ble Dr. Yogendra Kumar Srivastava,J.

Sri Dhiraj Srivastava, learned counsel for the applicant seeks an adjournment in order to take instructions and to get ready with the matter.

As prayed, list in the week commencing 6th December, 2021.

Order Date :- 15.11.2021
Pratima

(Dr.Y.K.Srivastava,J.)

सं नकल- 110

ANNEXURE 11

राजकीय कार्य हेतु 4

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accompanied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
21.9.2022	29.9.2022	29.9.2022	[signature] 29.9.2022

86
21.9.22

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र-न्यायाधीश 6

CA वाद सं० 09 सन् 2012

सरस्वती बनाम वर्तिका

नकल - निर्णय दिनांक 16-9.2022 सम्पूर्ण

जनपद एवं सत्र न्यायालय (उत्तर प्रदेश)

UPMI010015672012

न्यायालय Additional District and Sessions Judge/POCSO Act, Mirzapur

पीठासीन अधिकारी– (TALEWAR SINGH), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –**

UP06475

सिविल अपील संख्या– **09** सन **2012**

1. श्रीमती सरस्वती देवी उम्र लगभग 72वर्ष पत्नी बिरजू, निवासी मौजा बेलखरा परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर।

.....अपीलार्थिनी / वादिनी।

बनाम

1. श्रीमान् वन अधिकारी महोदय पूर्वी वन प्रयाग, मीरजापुर,
2. उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये जिलाधिकारी, मीरजापुर,
3. गांव सभा बेलखरा बजरिये प्रधान/अध्यक्ष भू0प्र.स0 बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार जिला मीरजापुर।

..... प्रतिपक्षीगण / प्रतिवादीगण।

निर्णय

1. यह सिविल अपील अपीलार्थिनी श्रीमती सरस्वती देवी की ओर से न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), चुनार, मीरजापुर द्वारा मूल वाद संख्या 305 सन 1987 सरस्वती देवी बनाम श्रीमान् वन अधिकारी आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2. अपीलार्थिनी द्वारा अपने अपील में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.12.2011 मुकदमें में निहित तथ्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के विपरीत है। अपीलार्थिनी / वादिनी आ0नं0 291 मि0 रकबा 15 बीघा जिसे संलग्न नक्शा बहरूफ च,छ,ज,झ पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है तथा बरामद अपने हल बैल से जोत बो कर फसल कास्त करती है। वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों से फेन्सिंग किये है, अभिलेखों में भी वादिनी / अपीलार्थिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादिनी / अपीलार्थिनी के दुश्मनों के बहकावे में आकर वादिनी की भूमि की नवैयत गड्ढा खोदने व पेड लगाने की धमकी देने लगे जिसकी शिकायत की गयी बल्कि आप रेस्पान्डेन्ट ने ध्यान नही दिया तथा अपने कर्मचारियों

को गलत तौर पर प्रोत्साहित किया। प्रतिवादीगण/रेस्पॉडेंट वादिनी/अपीलार्थिनी के शांति पूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते है और बार-बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नही दे रहे है और दिनांक 01.04.1987 को आपके कर्मचारियों ने साफ साफ कर दिया कि वे सब साहब के निर्देश पर चल रहे है तथा वादिनी/अपीलार्थिनी को धमकी भी दिये। वादिनी/अपीलार्थिनी द्वारा दावा दाखिल करने के पूर्व प्रतिवादीगण को बजरिये रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 दं0प्र0संहिता व 106 यू0प्र0पं0राज एक्ट की नोटिस दे दी गयी, जिसका कोई जवाब नही दिया तब 60 दिनों के उपरान्त दावा दाखिल किया गया। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रकिया विवाद चलकर अंतिम तौर पर निर्णीत व फाईनल हो चुका है। इस वाद कारण के बिनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बार्ड बाई लॉ है और डिफेन्स प्रतिवादी द्वारा 49 उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम से पूर्ण बाधित है। वादिनी द्वारा दिनांक 29.06.87 को वाद कारण उत्तपन्न होना व्यक्त करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी है।

3. प्रतिवादीगण की ओर से लिखित कथन का0सं0 32क प्रस्तुत कर वाद पत्र की दफा 1 ता 12 से इंकार करते हुए कथन किया गया है कि हरगिज वादिनी भूमि संख्या 291 मि0 रकबा 15 बीघा पर जिरो वादपत्र के नक्शे में च,छ,ज,झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील नही रही है न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। वादपत्र में जो भूमि च,छ,ज,झ से दिखायी गयी है, वह भूमि संख्या 291 मि0 15 बीघा नही है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0फौ0 दावा दाखिल करने के पूर्व नही दिया। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लाट संख्या 291 मि0 मौके के अनुसार स0 खसरा प्लाट संख्या 827 मि0 के अन्तर्गत पड़ता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)-95/14ख-67 दिनांक 22.02.68 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 5924/14-2-20(47)-82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लाट नं0 827 मि0 के कुल 305 बीघा 11 बिस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। वादिनी ने कागजात सरकारी प्रलेखीय साक्ष्य से एवं मौखिक साक्ष्य से अपने केस को बखूबी साबित व पुष्ट किया है जबकि प्रतिवादीगण ने सरकारी रेकार्ड की छायाप्रतियां विभागीय तौर पर प्रमाणित करके दाखिल किया है। उसके मौखिक

जनपद एवं सत्र न्यायालय

साक्षीगण का साक्ष्य मौका एवं कागजात सबूत से कत्ताई साबित नही है फिर भी मातहत अदालत ने तथ्यों एवं अभिलेखों का गलत परिशीलन और तर्क करके निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने प्लीडिंग के आधार पर समुचित विन्दु विरचित नही किया और स्थापित विधि व्यवस्थाओं की अनदेखी करके वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की व्याख्या न करके अन्यथा निष्कर्ष निकाला है। सम्पूर्ण संदर्भो में यहॉ वादिनी का साक्ष्य विश्वसनीय है, वही प्रतिवादीगण का साक्ष्य अविश्वसनीय एवं तर्कसंगत नही है। वाद विन्दु संख्या 1, 2 व 4 का भार वादिनी पर रहा है जो अभिलेखीय साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। जहॉ वादिनी का साक्ष्य पुष्ट है वही प्रतिवादीगण का अभिकथन व साक्ष्य स्वीकृत तथ्यों के विरोधाभाषी है। वादग्रस्त सम्पत्ति साविक नं0 829 वहाल नम्बर 291 का अंश होना प्रतिवादीगण के साक्ष्यों से भी मूलतः बखूबी पुष्ट है फिर भी मातहत न्यायालय कानून संगत निष्कर्ष व निर्णय न करके आधारभूत त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री मातहत न्यायालय अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. अपील मेमो के समर्थन में फेहरिस्त सूची 7ग से मूल वाद संख्या–305/87 में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–8ग/1 लगायत 8ग/8 तथा नकल डिक्री की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या–9ग/1 लगायत 9ग/3 प्रस्तुत किया गया है।

5. अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल मूलवाद संख्या 305/87 में वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी आ0 नं0 291मि0 रकबा 15 बीघा जिसे नक्शा बहरूफ च,छ,ज,झ पर वादिनी जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक क़ाबिज दखील चली आ रही है और बराबर अपने हल बैल से जोत बो कर फसल कास्त करती है। वादिनी पूरी जमीन को बगरज सुरक्षा पत्थर के टुकड़ों से फेंसिंग किये है, अभिलेखों में भी वादिनी का नाम दर्ज हो चुका है लेकिन प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने की दुर्भावना से वादी के दुश्मनों के बहकावे में आकर वादिनी की भूमि की नवैयत गड्ढा खोदने व पेड़ लगाने की धमकियां देने लगे जिसकी शिकायत की गयी जिस पर विपक्षी ने ध्यान नही दिया बल्कि अपने कर्मचारियों को गलत और प्रोत्साहित किया। प्रतिवादीगण वादिनी की शांति पूर्वक कब्जा दखल से हटाना चाहते है और बार बार शिकायत करने पर कोई ध्यान नही दे रहे है और दिनांक 01.04.87 को कर्मचारियों ने साथ साफ कर दिया कि साहब के निर्देश पर हमलोग चल रहे है और धमकी भी दिये। प्रतिवादीगण अजराह जबरदस्ती बिला स्तहकात वादिनी

की जमीन पर खनने खोदने व पेड़ लगाने पर आमादा है। वादिनी ने स्वयं व अपने आदमी प्रतिवादीगण से सम्पर्क स्थापित कर गैर कानूनी कार्य करने से बाज आने की सिफारिस की लेकिन वे मानने को तैयार नही हुए। प्रतिवादीगण को बजरिये रजिस्टर्ड पोस्ट 80 दं0प्र0संहिता की नोटिस दी गयी जिसका कोई जवाब नही दिया, जिसे 60 दिन से अधिक हो गया, दावा दाखिल किया जा रहा है। पक्षों के बीच दौरान चकबन्दी प्रकिया विवाद चलकर अन्तिम तौर पर निर्णीत व फाईनल हो चुका है। वाद कारण के बिनाय पर दुराशय पूर्ण मजाहिमत प्रतिवादी कानूनन बार्ड बाई लॉ है और डिफेन्स प्रतिवादी द्वारा 49 उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम से पूर्ण बाधित है, क्योंकि निर्णय चकबन्दी पक्षों पर बाध्य है। प्रतिवादीगण को रोका नही गया तो वे अपने फेल बेजा से बाज नही आयेंगे और जिससे वादिनी को अपर्णनीय क्षति होगी और वादिनी अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जायेगी। वाद का नियमानुसार वादशुल्क अदा करते हुए निम्न प्रतिकारों की याचना की गयी है :–

1. बजरिये हुकुम इम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को मना किया जावे कि वे आराजी नं0 291 मि0 रकबा 15 बीघा बहरूफ च,छ,ज,झ मुन्दर्ज अर्जीनालिश ममलूकहः मकबूजः वादिनी के कब्जा दखल में, इस्तेमाल करने में प्रतिवादीगण स्वयं या अपने आदमियों द्वारा किसी प्रकार से रूकावट दखलंदाजी न करें न करावें न उसे खन खोद कर उसकी नवैयत तब्दील करें, न उसमें किसी प्रकार का कोई पेड़ लगवावें, न वादिनी के घेरे हुए पत्थर के फेन्सींग को हटावें, न ही बर्बाद करें
2. यह कि खर्च मुकदमा की डिक्री वादिनी के खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फर्माया जावे।
3. उपरोक्त दादरसी के अलावा वादिनी जिस अन्य दादरसी के मुस्तहक करार पाई जावे इसकी भी डिक्री बहक वादिनी के खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाये।

6. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा कागज संख्या 32क दाखिल करते हुए वादपत्र के दफा–1 ता 12 से इंकार किया है और अतिरिक्त कथन किया है कि दावा वादिनी कानून व असली तथ्यों के विरूद्ध है तथा असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। हरगिज वादिनी भूमि सं0 291मि0 रकबा 15 बीघा पर जिसे वादपत्र के नक्शे में च,छ,ज,झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील नही रही है, न ही उसका कब्जा दखल उक्त भूमि पर है। हरगिज वादिनी या उसके पूर्व उसके पूर्वजों का

नाम कागजात माल में कभी दर्ज नही था न है। वादिनी ने कोई जायज व कानूनी नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0दावा दाखिल करने के पूर्व नही दिया हैं, धारा 34, 38 व 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्राविधानों के अनुसार वादिनी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की अधिकारिणी नही है। वादिनी का नाम कागजात माल में अंकित नही है। दावा वादिनी भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। उत्तर प्रदेश ज0उ0एक्ट की धारा 331 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को मुकदमा के सुनवाई का अधिकार हासिल नही हैं, वादिनी को दावा दाखिल करने का हक हासिल नही है। वादिनी द्वारा कथित खसरा प्लाट सं0 291 मि0 मौके के अनुसार सा0 खसरा प्लाट संख्या 827 मि0 के अन्तर्गत पड़ता है जो भा0वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)–95/14–ख–67 दिनांक 22.02.68 द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 5924/14–2–20(47) –82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लाट संख्या 827 मि0 के कुल 305 बीघा 11 विस्वा क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है जिसका वन विभाग को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। धारा 23 भा0वन अधिनियम के अनुसार वादिनी को कोई हक हासिल नही है। वादिनी द्वारा नक्शा नजरी में अंकित क्षेत्रवन विभाग की भूमि है। वादिनी का उक्त भूमि से कोई वास्ता सरोकार न तो रहा है और न ही है। प्रश्नगत क्षेत्र वन विभाग की भूमि है जिसे पत्थर की दीवाल से घेरकर उसमें वर्ष 87 की वर्षा में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। वादिनी द्वारा उक्त क्षेत्र में कोई पत्थर की दीवाल की घेरी नही गयी है। वादिनी ने इस मुकदमें में इन्तखाफ खतौनी 1394 फसली दाखिल किया, उसके आधार पर जानकारी हुयी कि तहसीलदार चुनार द्वारा कोई विविध वाद कायम करके गलत तौर पर वादिनी का नाम दर्ज करने का आदेश हो गया है जिसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश या वन विभाग कोई पक्षकार नही था न ही नोटिस प्राप्त हुयी। उक्त आदेश बिला अख्तियार शून्य एक पक्षीय एवं फर्जी है। उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है, जो विचाराधीन है। वादिनी ने भा0वन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 4 के प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति पत्र या क्लेम दाखिल नही किया था। धारा 5, 9 व धारा 23 भा0वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई हक किसी किस्म का पैदा नही हुआ है। तहसीलदार, चुनार को कोई अधिकार वन भूमि से वन विभाग का नाम काटने व वादिनी का नाम दर्ज करने का हासिल नही था। फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों के अनुसार

भी वादिनी को विवादित भूमि में कोई अधिकार हासिल नही है। उपरोक्त के आधार पर वादिनी के वाद को निरस्त किये जाने की याचना की है।

7. प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त जवाबदावा का0सं0 89क दाखिल करते हुए कथन किया है कि वादिनी द्वारा संस्थित चकबन्दी न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 10.02.63 की कोई जानकारी वन विभाग को नही थी। दिनांक 27.09.2001 को श्रीमान् जी के यहॉ नकल दाखिल करने पर सर्व प्रथम आदेष दिनांक 10.02.63 की जानकारी हुयी। राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश का अमल दरामद भी नही हुआ है और नामान्तरण की कार्यवाही कालबाधित हो गयी है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी तृतीय अहरौरा का मु0सं0 58/30 सन् 1963 ता0 फै0 10.02.63 बिल्कुल फर्जी, मनगढन्त एवं न्यायालय को गुमराह करने की साजिश है। वादिनी द्वारा वाद पत्र में किये गये संशोधन के पश्चात उ0प्र0 सरकार को दफा-80 जा0दी0 की नोटिस नियमानुसार पुनः देना आवश्यक हो गया है, वादिनी पुनः नोटिस देने से उनमुक्त नही की जा सकती है। वादिनी द्वारा 14 वर्षो के पश्चात किये गये संशोधन से विवादित आराजी में स्थित वृक्षों की मालियत काफी बढ गयी है, जिस पर नियमानुसार वादिनी द्वारा न्यायशुल्क अदा किया जाना है। उक्त संशोधन से वाद हेतुक बदल गया है। इसी प्रकार वादिनी ने न्यायालय तहसीलदार, चुनार के यहॉ से एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.02.87 पारित कराकर वन विभाग का नाम कागजात से कटवा दिया था जिसकी जानकारी होने पर वन विभाग की ओर से तहसीलदार चुनार के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 23.01.89 के द्वारा आदेश दिनांक 18.02.87 को निरस्त कर दिया गया, जिससे वादिनी का नाम कागजात माल में कायम नही रह गया। विवादित आराजी सं0 827 जमींदारी विनाश के पश्चात (मुताबिक 1359 फ0 खतौनी) बंजर दर्ज था जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 विस्वा था। (1359 फ0 के खतौनी खाता संख्या 233 बंजर खाते में 827/2 रकबा 7 विस्वा तथा खाता संख्या 354 पहाड़ पर आ0सं0 827/1 रकबा 312 बीघा 19 विस्वा दर्ज है) आराजी राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.66 को वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी। 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से पूर्णतया स्पष्ट है। हस्तानान्तरण के पश्चात विज्ञप्ति सं0 1994/1-क-67 दिनांक 27.07.1967 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः ग्रहण की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी। विवादित आराजी दिनांक 10.09.67 को राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का हवाला देते हुए अमल दरामद कर दी गयी। 1369-71, फ0

की उद्धरण खतौनी में वन विभाग दर्ज है। अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत भा0व0अधि0 की धारा 6 के अन्तर्गत (प्रोक्लेमेशन) घोषणा पत्र दिनांक 31.03.68 को जारी करके बेलखरा के ग्राम वासियों को सूचना दी गयी तथा उनसे दिनांक 07.12.68 तक आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी। वादिनी द्वारा व0व0अ0 के न्यायालय में विवादित आराजी के बावत कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी जिसका उल्लेख व0व0अ0 ने इस ग्राम की आरक्षित वन की विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय "रजिस्टर बी का उद्धरण" में किया है कि "कोई वाद प्रस्तुत नही है।" रजिस्टर बी का उद्धरण से स्पष्ट है। इस मध्य में चकबन्दी अधिकारी द्वारा इस ग्राम का रिकार्ड आपरेशन वर्ष 1968 बमुताबिक 1374–75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी संख्या 827 की नई आराजी 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा बनाई गयी। (नकल जोत चकबन्दी आकार पत्र सं0 40) से साबित है। जो0च0 आकार पत्र 41 के अनुसार विवादित नई आराजी संख्या 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा पुरानी आराजी सं0 827 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा से बनाई गयी है तथा विशेष विवरण कालम में जंगल विभाग दर्ज है। जो0च0 आकार पत्र सं0 45 के अनुसार विवादित नई आराजी सं0 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा खाता सं0 198 पर उत्तरी मीरजापुर के नाम अंकित हैं भा0व0अधि0 की धारा 20 के अन्तर्गत आराजी सं0 563/1 भी0 तथा आराजी संख्या 827 का जो क्षेत्र कम प्रकाशित हुआ है, उसका उल्लेख व0व0अ0 ने इस ग्राम के संक्षिप्त इतिहास के कम संख्या–5 (बेलखरा) के कालम संख्या–7 में किया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अभिबचनों के आधार पर निम्नलिखित कुल 9 वाद विन्दु विरचित किये गये :–

1. क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी हे ?
2. क्या वादी विवादित भूमि पर काबिज है ?
3. क्या वाद अल्प मूल्यांकित एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या विवादित आराजी गाटा संख्या 291 का अंश है ?
5. क्या वाद धारा 80 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत नोटिस देने का अभाव है ?
6. क्या वाद धारा 34, 38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?
7. क्या वाद धारा 331 उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधि0 से बाधित है ?
8. क्या वाद धारा 4, 20 वन अधिनियम से बाधित है ?
9. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

9. अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात उपरोक्त

वाद विन्दुओं का निस्तारण करते हुए यह पाया कि वादिनी अपना वाद साबित करने में असफल रही है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.12.2011 को वादिनी का वाद सव्यय निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह सिविल अपील अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

10. अपीलार्थिनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि विवादित सम्पत्ति पर मेरा कब्जा है, वन विभाग द्वारा किये गये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सं0 1994/1–क–67 दिनांक 27.07.1967 से काफी पहले जमींदारी विनाश अधिनियम से ही काबिज है और मैं लगातार काबिज चली आ रही हूँ।

11. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरा तर्क यह दिया गया कि दौरान चकबन्दी प्रकिया पुराना नम्बर खाता संख्या 827 बदलकर के खाता संख्या 291/1 व 291/2 हो गया था जो एक मिलजुमला नम्बर है। इसी मिलजुमला नम्बर में 291/2 के 15 बीघा जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा है जो दर्ज कागजात है।

12. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया कि वन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सं0 1994/1–क–67 दिनांक 27.07.1967 की आड में मुझे आवंटित 15 बीघा जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद मैं लगातार कब्जा में हूँ, आज भी मेरा कब्जा है। पत्थर की सिल्लियों से मैंने अपनी जमीन की फेन्सिंग की हुयी है तथा चकबन्दी के बाद भी दर्ज राजस्व अभिलेखो में मेरा नाम और रकबा कब्जाधारी के रूप में लगातार चली आ रही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस निम्नलिखित विधि निर्णय प्रस्तुत किये गये :–

1. Sunkamma (Dead) by L.Rs. Vs. S. Pushparaj(Dead) By L.Rs. [2018(139)RD 565] (Supreme Court)
2. Ram Lal (Since Deceased and Substituted by Legal Heeirs) Vs. Jokhan Prasad and others. (2018 All. C. J. 2192)

13. विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011 बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार की अनियमिता एवं अवैधानिकता नही है। अपीलार्थिनी ने तथ्यों को छिपाकर अपील प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादिनी द्वारा विवादित आराजी पर स्वयं को जमींदारी उन्मूलन के पहले से काबिज होना कहा है किन्तु

पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया है जिससे उसके कथन का समर्थन हो जबकि खतौनी में विवादित आराजी संख्या 291 मि0 का पुराना नम्बर 827 का सम्पूर्ण रकबा बंजर खाते में दर्ज है। यदि वादिनी जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से विवादित आराजी पर काबिज थी तो सन् 1359फ0 की खतौनी में विवादित आराजी के साबिक नम्बर पर वादिनी का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु ऐसा नही है बल्कि इसके विपरीत आराजी नं0 291 में जिसका पुराना नं0 827 रकबा 313 बीघा जिस पर पहाड़ दर्ज है तथा जोत चकबन्दी आकार पत्र –45 में उत्तरी मीरजापुर वन विभाग नया गाटा संख्या 291 रकबा 313 बीघा दर्ज है। यदि वन विभाग द्वारा अपीलार्थिनी की जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर कब्जा किया गया तो वन अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ वन विभाग के अधिकारियों के यहाँ जाकर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करानी चाहिए थी न कि चकबन्दी विभाग एवं राजस्व विभाग में। इस प्रकार उपरोक्त के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस निम्न विधि निर्णय प्रस्तुत किये गये :–

1. Banwasi Seva Ashram Vs. State of U.P. Writ Petition (S) (Civil) No. 1061 of 1982
2. T.N. Godavarman Thirumulkpad etc. Vs Union of India and others. AIR 1997 Supreme Court 1228
3. Maharaja Sir Pateshwari Prasad Singh of Balrampur, Dharam Karya Nidhi Vs. State of U.P. through Executive Engineer. Irrigation Devision, Balrampur, and others. [1979 RD 142]
4. Ram Sakal (Deceased) and others Vs. Hindustan Aluminium Corporation Ltd., Mirzapur and others. [2002 All. C. J. 1271]
5. Hanuman Thappa Vs. Muninarayanappa [1997 (88) RD 41] (Supreme Court)
6. Indrapal Singh Vs State of U.P. Through Secretary U.P. State Government (Forest Department) and another. [2007(66)ALR 728] (Allahabad High Court)
7. Prabhagiya van Adhikari Awadh van Prabhag Vs. Arun Kumar Bhardwaj (Dead) Thr.Lrs. Civi Appeal No. 1707 of 2009 (Supreme Court)

14. मैंने उभय पक्ष के तर्को को सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011, अपील मेमो व अधीनस्थ न्यायालय की

तलबशुदा पत्रावली में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया।

15. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त कथनों एवं तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित अवधार्य विन्दु निर्धारित किया जाता है –

अवधार्य विन्दु –

16. क्या अपीलार्थिनी विवादित सम्पत्ति पुराना नम्बर 827 नया नम्बर 291/1 व 291/2 दर्ज कागजात राजस्व अभिलेखों के आधार पर मालिक एवं काबिज है ?

17. इस वाद विन्दु को साबित करने का भार वादिनी/अपीलार्थिनी पर है। इस सम्बन्ध में वादिनी/अपीलार्थिनी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से कहा गया है कि विवादित सम्पत्ति आराजी नं0 291 मि0 रकबा 15 बीघा जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर च, छ, ज, झ से दिखाया गया है, पर जमींदारी विनाश अधिनियम के पहले से मालिक, काबिज व दखील है। उसने उक्त आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थर के ढोको से चारो तरफ फेन्सिंग करा दिया है और उसमें फसल काश्त करती है। प्रतिवादीगण के कर्मचारीगण दिनांक 29.06.1987 को उक्त आराजी में खन खोद करके वृक्षारोपण करने लगे, मना करने पर नही माने। इस पर वादिनी ने विपक्षीगण को नोटिस देने के पश्चात वाद दाखिल किये जाने की आवश्यकता हुयी। इस सम्बन्ध में वादिनी/अपीलार्थिनी की ओर से कहा गया है कि चकबन्दी न्यायालय अहरौरा, चुनार, जिला मीरजापुर की अदालत में चले वाद संख्या 58/109 सन् 1963 सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड में चकबन्दी अधिकारी तृतीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.1963 और उक्त आदेश में ही परगनाधिकारी चुनार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.1959 के माध्यम से वादिनी को प्रश्नगत संपत्ति का सीरदार घोषित किया जाना दर्शित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रसत सम्पत्ति पर वादिनी का अध्यासन विधिपूर्ण तरीके से जमींदारी विनाश अधिनियम के पहले से अनवरत कायम व बरकरार चली आ रही है। वादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मूलवाद में सूची 9ग से खतौनी वर्ष 1393 से 1398 फसली खाता संख्या 65 एवं खसरा आराजी सं0 291/2 मि0 रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह तथ्य उल्लिखित है कि मुकद्दमा सं0 28 विविध न्यायालय तहसीलदार, चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं0 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलखरा, परगना अहरौरा व पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अभिलेखों में

प्रविष्टि की गयी।

18. जबकि इस संदर्भ में प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से कहा गया है कि विवादित संपत्ति वन विभाग की भूमि है, उससे वादिनी/अपीलार्थिनी का कोई वास्ता सरोकार नही है। विवादित भूमि को पत्थर की दीवार से घेर कर वर्ष 1987 से उसमें वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, उक्त भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व है तथा उसी का कब्जा है। प्रतिवादीगण की ओर से सूची 21ग के माध्यम से प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 तथा धारा 20 से सम्बन्धित है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत खसरा प्लाट संख्या 291 मि0 मौके के अनुसार साविक खसरा प्लाट नं0 827 मि0 के अन्तर्गत आता है जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 23(2)–95/14–ख–67 दिनांक 22.02.68 के द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 5924/14–2–20(47)–82 दिनांक 22.08.83 द्वारा आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उक्त विज्ञप्ति के अनुसार कथित खसरा प्लाट सं0 827 मि0 वन विभाग के कब्जे में है। उभय पक्षों के द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि आराजी संख्या 827 का ही नया नम्बर 291/1 व 291/2 है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मानचित्र का0सं0 28ग में आराजी नं0 827 का अधिग्रहण वन के रूप में उल्लिखित है तथा आ0नं0 827 व 825 पर ही सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है। का0सं0 25ग से स्पष्ट है कि आराजी नं0 827/1 रकबा 313 बीघा 11 विस्वा तथा आराजी नं0 827/2 रकबा 15 बीघा है। का0सं0 26ग खतौनी बेलखरा फसली वर्ष 1383 से 1386 से भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी नम्बर से बने नये नम्बर आराजी सं0 291 रकबा 313 बीघा पर उत्तरी वन विभाग, मीरजापुर का नाम अंकित है तथा यह भी उल्लिखित है आदेश नोटिफिकेशन वन प्रभाग अधिकारी के द्वारा 827/1 पर पूर्वी वन विभाग प्रभाग दर्ज किया गया।

19. वादिनी/अपीलार्थिनी द्वारा कथन किया गया है कि वह जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पहले से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज दखील है। इस सम्बन्ध में 1359 फसली वर्ष का राजस्व अभिलेख अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम उसी वर्ष लागू हुआ था। का0सं0 91ग/2 खतौनी मौजा बेलखरा फसली वर्ष 1359 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी सं0 827/1 रकबा 312 बीघा 11 विस्वा तथा आराजी संख्या 827/2 बंजर के रूप में दर्ज है। यदि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिनी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से

काबिज दखील होती तो उसके नाम की प्रविष्टि 1359 फसली वर्ष के राजस्व अभिलेखों में होती परन्तु उक्त अभिलेख पर वादिनी के नाम की कोई प्रविष्टि नही हैं।

20. जहॉ तक वादग्रस्त सम्पत्ति आ0नं0 827 मि0 रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में वादिनी/अपीलार्थिनी का कथन है कि न्यायालय चकबन्दी तृतीय अहरौरा, तहसीलदार, चुनार मीरजापुर मु0नं0 58/309 1963 सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड नोरजापुर (धारा–9) जोत चकबन्दी कानून में चकबन्दी अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 10.02.63 पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी से गांव सभा व सोन वन खण्ड मीरजापुर का नाम काटकर श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर सिरदार अंकित किये जाने हेतु आदेशित किया गया। वन विभाग के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई भी आपत्ति दाखिल नही की गयी तथा वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व चकबन्दी न्यायालय के द्वारा अंतिम हो चुका है एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद धारा 49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है। इस सम्बन्ध में उक्त आदेश की मूल प्रति का0सं0 105ग/2 के परिशीलन से स्पष्ट है कि श्रीमती सरस्वती देवी ग्राम बेलखरा पर आराजी नं0 827 मि0/15 से जमींदार से पट्टा लेकर काबिज है और परगना अधिकारी चुनार ने दिनांक 02.02.59 को सिरदार दर्ज करने के लिए आदेश दिया है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा एवं वन विभाग का नाम काटकर वादिनी का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादिनी के द्वारा परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 02.02.59 की कोई भी प्रति प्रस्तुत नही की गयी है।

21. प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से का0सं0 92ग/1 के माध्यम से राजस्व अभिलेखागार मीरजापुर से चकबन्दी न्यायालय के वाद संख्या 58/309–1963 सरस्वती देवी बनाम सोन वन खण्ड उत्तरी की पत्रावली के संदर्भ में सूचना मांगी गयी है, जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया है कि मौजा बेलखरा परगना अहरौरा तहसील चुनार सरस्वती बनाम सोन वन खण्ड उत्तरी मीरजापुर मु0सं0 58/309 धारा 9अ ता0 फैसला 10.02.63 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी अहरौरा की पत्रावली गोसवारा में दर्ज होना नहो पाया जाता है। उक्त अभिलेख के विरूद्ध वादिनी द्वारा का0सं0 104ग/1 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र पर दफ्तर इंचार्ज मीरजापुर से इस आशय की सूचना मांगी गयी कि क्या चकबन्दी के उपरोक्त वर्णित मुकदमें की पत्रावली उपलब्ध है, जिस पर यह आख्या आयी कि उस मुकदमें की पत्रावली गोसवारा के

अनुसार 02.09.76 को विनष्ट हो चुकी है। उक्त दोनों अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में चकबन्दी न्यायालय का कथित आदेश दिनांक 10.02.63 संदिग्ध हो जाता है तथा वादिनी का यह दायित्व बनता था कि अपने कथन की पुष्टि राजस्व अभिलेखागार से सम्बन्धित गोसवारे को तलब कराके करती किन्तु वादिनी द्वारा ऐसा नही किया है। वादिनी द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि उसके द्वारा आदेश दिनांक 10.02.63 का कियान्यवन लगभग 24 वर्ष उपरान्त वर्ष 1987 में तहसीलदार न्यायालय में इतने विलम्ब से किन परिस्थितियों में कराया गया।

22. पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थिनी की ओर से मूलवाद में प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया। वादिनी सरस्वती देवी ने बतौर **पी0डब्लू0–1** अपने बयान में कथन किया है कि वह यह नही बता सकती कि इस विवादित जमीन का मुकदमा तहसील व चकबन्दी में चला कि नही, उसे नही मालूम कि तहसील या चकबन्दी में किस तरह का मुकदमा चलता है। उसे नही मालूम कि परगनाधिकारी चुनार के यहाँ इस बावत कोई आदेश हुआ था या नही । साक्षी **पी0डब्लू0–2 विश्राम** ने अपने बयान में कहा है कि उसे जानकारी नही है कि सरस्वती देवी ने इस जमीन के बावत चकबन्दी में कोई मुकदमा दाखिल की थी कि नही। साक्षी **पी0डब्लू0--3 जल्लो** ने अपने बयान में कहा है कि चकबन्दी में कोई मुकदमा सरस्वती ने दाखिल किया था कि नही वह नही जानता। साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** ने अपने बयान में कहा है कि बेलखरा गांव में चकबन्दी हुए 30–35 साल हो गया। चकबन्दी के समय चकबन्दी में सरस्वती ने कोई मुकदमा चलाया था या न ही, उसे नही मालूम। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नही है। उसे यह जानकारी नही है कि एस0डी0एम0 के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। इस प्रकार वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने चकबन्दी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के होने के संदर्भ में अनभिज्ञता बतायी है; उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथित चकबन्दी अधिकारी अहरौरा का मुकदमा सं0 58/309 1963 ता0फै0 10.02.63 बिल्कुल फर्जी एवं मनगढ़न्त है तथा अविश्वनीय प्रतीत होता है। राजस्व अभिलेखागार, मीरजापुर की आख्या दि0 03.01.2002 का0सं0 91ग/1 भी प्रतिवादीगण के कथनों का समर्थन करता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सं0 827 जमींदारी विनाश के पश्चात बंजर दर्ज थी, जिसका कुल रकबा 313 बीघा 6 बिस्वा था एवं 1359 फसली की खतौनी खाता

संख्या 223 बंजर खाता में 827/2 रकबा 7 बीघा तथा खाता संख्या 354 पहाड़ पर आराजी संख्या 827/1 रकबा 313 बीघा 19 विस्वा दर्ज है। उपरोक्त आराजी राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.66 को वन विभाग को हस्तांतरित की गयी, जो 1372 फसली के वन एवं बंजर की सूची से स्पष्ट होती है। इस हस्तान्तरण के पश्चात विज्ञप्ति सं0 1994/1–क 67 दिनांक 27.07.1667 द्वारा उपरोक्त आराजी की पुनः अधिग्रहण विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी तथा विवादित आराजी दिनांक 19.10.67 राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त विज्ञप्ति का संदर्भ देते हुए अमल दरामद कर दी गयी जो कि 1369 से 1371 फसली के खतौनी के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा आरक्षित वन बनाने की प्रकिया के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत घोषणा पत्र दिनांक 31.03.68 को जारी करके बेलखरा के ग्रामवासियों को सूचना दे दी गयी। वादिनी के द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में विवादित आराजी के बावत कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी, जिसका उल्लेख बन्दोबस्त अधिकारी इस ग्राम आरक्षित वन के विज्ञप्ति राज पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते समय रजिस्टर बी का उद्धरण किया है कि कोई वाद प्रस्तुत नही है। उपरोक्त तथ्य सूची 21ग एवं 90ग के द्वारा दाखिल अभिलेखों से स्पष्ट होता है।

23. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इसी दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम रेकार्ड आपरेशन 1968 व मुताबिक 1374–75 फसली में किया गया तथा विवादित पुरानी आराजी संख्या 827 की नयी आराजी संख्या 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा बनाया गया जो कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 40 कागज संख्या 91ग/2 से स्पष्ट होता है। जोत चकबन्दी आकारपत्र–41 का0सं0 91ग/2 के अनुसार विवादित नई आराजी सं0 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा पुरानी आराजी संख्या 827 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा से बनायी गयी है तथा विशेष विवरण कालम में जंगल विभाग का नाम दर्ज किया गया हैं, जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 का0सं0 91ग/4 के अनुसार विवादित आराजी नई आरजी सं0 291 रकबा 313 बीघा 6 विस्वा खाता सं0 198 पर उत्तरी वन विभाग मीरजापुर का नाम अंकित है। भारतीय वन अधिनियम 1972 की धारा 4, 5, 8, 9, 11, 18, 20, 26 व 27 तथा फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 की धारा 2 में ऐसी व्यवस्था है जो उपरोक्त वर्णित धाराओं की परिधि में आना सम्यक रूप से प्रभावी होगा तथा यदि कोई जमीन वन विभाग में निहित हो चुकी है तो वन के उपयोग के अलावा उस जमीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से नही किया जायेगा। वादिनी

का कथन कि वादिनी वादग्रस्त सम्पत्ति/आराजी पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है। प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया गया तथा वाद प्रस्तुत करते वक्त अपनी उम्र 48 वर्ष बतायी गयी है। उसके अनुसार वादिनी की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के वर्ष 1952 में 13 वर्ष आती है। वादिनी 13 वर्ष की अल्पावस्था के पहले से ही वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होना अभिकथित करती है। वादिनी द्वारा सूची 156ग से जमींदार से द्वारा निर्गत रसीदों की मूल प्रति वर्ष 1946–47–48 व वर्ष 1952 की दाखिल की गयी है, जो का0सं0 157ग ता 157ग/4 के रूप में उपलब्ध है। उक्त अभिलेखों में इस तथ्य का उल्लेख है कि वादिनी सरस्वती देवी के द्वारा वर्ष 1946 से ही जमींदार श्रीमती राजकिशोरी को लगान अदा किया जाता रहा है अर्थात वादिनी लगभग 8 वर्ष की उम्र से ही वादग्रस्त संपत्ति का लगान अदा कर रही है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी **पी0डब्लू0–2 विश्राम** ने अपने बयान में कहा है कि विवादित जमीन को पहले सरस्वती के पिता जोतते थे, उसके बाद सरस्वती जोतती है। यह जोतने बोने की बात वह बहुत पहले से जानता है, ये लोग जमींदारी टूटने के पहले से जोतते बोते चले आ रहे है। साक्षी **पी0डब्लू0–3 जल्लो** ने जिसका बयान दिनांक 16.08.2002 को दर्ज किया गया है, ने अपने बयान में कहा है कि वह इस जमीन का 45–50 वर्ष से सरस्वती का कब्जा देख रहा है, अर्थात साक्षी के अनुसार वह वादिनी को 13–14 वर्ष की अवस्था से जोतते बोते देख रहा है। साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती को यह जमीन उनके पिता के द्वारा मिली, वह उनके पिता का नाम नही जानता। साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** जो कि वादिनी के ससुर भी है, ने अपने बयान में कहा है कि वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन पर काबिज दखील रह कर खेती बारी करते थे। उसकी जानकारी में विवादित जमीन पर सरस्वती देवी का कब्जा कम से कम 50 वर्षो से है। साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास के पास कुल 15 बीघा जगीन था। हरिदास के मरे 15 साल हो गया। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** का बयान वर्ष 2002 में अंकित किया गया है अर्थात मूलवाद प्रस्तुत करते वक्त वर्ष 1987 में तथा उसके पहले वादिनी के पिता हरिदास जीवित थे परन्तु किसी भी राजस्व अभिलेख में हरिदास के नाम की प्रविष्टि अंकित नही की गयी है जबकि साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** का कथन है कि उक्त

भूमि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुयी थी। वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना नाम अंकित कराये जाने का आदेश पारित कराया गया तथा उसी वर्ष में प्रस्तुत वाद दाखिल कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि उन व्यक्तियों को हक प्रदान नही करती जिनका नाम अधिकार अभिलेख में प्रतीत होती है तथा राजस्व अभिलेख या जमाबन्दी में प्रविष्टियाँ केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात भू0 राजस्व के भुगतान के लिए है और कोई स्वामित्व ऐसे प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से अपीलार्थिनी/वादिनी के इस कथन कि "मुकदमा सं0 28 विविध न्यायालय तहसीलदार, चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं0 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलखरा, परगना अहरौरा व पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय", के सम्बन्ध में कहा गया है कि उक्त आदेश के विरूद्ध वन विभाग की तरफ से रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 23.01.89 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांकित 18.02.87 रिकाल कर लिया गया। इस सम्बन्ध में रिकाल प्रार्थनापत्र कागज संख्या 29ग तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.01.89 की मूलप्रति कागज संख्या 28ग के रूप में मूलवाद में दाखिल की गयी है। इस प्रकार वादिनी/अपीलार्थिनी का नाम जिस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ, उक्त आदेश के निरस्त हो जाने के पश्चात राजस्व अभिलेखों में वादिनी/अपीलार्थिनी के नाम का इन्द्राज अधिकार विहीन हो गयी जिसके कारण उसका लाभ वादिनी को नही मिल सकता। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है।

24. राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में **विधि निर्णय– प्रहलाद प्रधान एवं अन्य बनाम सोनू कुम्हार एवं अन्य (2019) 10 एस.सी.सी. 259** अति महत्वपूर्ण है। "The six yearly khatauni for the fasli year 1395 to 1400 is to the effect that the land stands transferred according to the Forest Act as the reserved forest. Such revenue record is in respect of Khasra No. 1576. It is only in the revenue record for the period 1394 fasli, name of the lesssees find mention but without any basis. The revenue record is not a document of title. Therefore, even if the name of the lessee finds

mention in the revenue record but such entry without any supporting documents of creation of lease contemplated under the Forest Act is inconsequential and does not create any right, title or interest over 12 bighas of land claimed to be in possession of the lessee as a lessee of the Gaon Sabha." यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थिनी जिस विवादित सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व एव कब्जा बताती है यदि उस सम्पत्ति को वन विभाग ने विज्ञप्ति संख्या 23(2)–95/14–ख–67 दिनांक 22.02.68 के द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति सं0 5924/14–2–20(47)–82 दिनांक 22.08.83 के द्वारा अपीलार्थिनी के स्वामित्व एवं कब्जे वाली विवादित सम्पत्ति को वन विभाग के लिए आरक्षित कर लिया था तो उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार वन विभाग के विरूद्ध फोरेस्ट सेटेलमेंट आफिसर या सब–डिविजनल आफिसर के समक्ष आपत्ति देनी चाहिए थी लेकिन अपीलार्थिनी द्वारा इस प्रकिया को नही अपनाया गया। अन्तर्गत धारा 20 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 4 भारतीय वन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं "It is thus obvious that the Forest Settlement Officer has the powers of a civil court and his order is subject to appeal and finally revision before the the State Government. The Act is a complete code in itself and contains elaborate procedure for declaring and notifying a reserve forest. Once a notification under Section 20 of the Act declaring a land as reserve forest is published, then all the rights in the said land claimed by any person come to an end and are no longer available. The notification is binding on the consolidation authorities in the same way as a decree of a civil court. The respondents could very well file objections and claims including objection regarding the nature of the land before the Forest Settlement Officer. They did not file any objection or claim before the authorities in the proceedings under the Act. After the notification under Section 20 of the Act, the respondents could not have raised any objections qua the said notification before the consolidation authorities. The consolidation authorities were bound by the notification which had achieved finality."

25. उपरोक्त के अतिरिक्त इस न्यायालय को इस विन्दु पर भी विचार करना है कि क्या वादिनी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा एवं दखल दौरान

विज्ञप्ति वन विभाग रहा है ? वादिनी का कथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर जोत बोकर फसल काश्त करती है। वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण ने तथा स्वयं वादिनी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि यह जमीन पहले से मेरे पिताजी की है। पिताजी के बाद मुझे मिली। हमारे गॉव मे चकबन्दी कब हुयी मुझे नही मालूम। चकबन्दी न्यायालय में मैने कोई मुकदमा नही किया था। गिरजा सिंह मेरे गांव के प्रधान थे या न ही मै नही बता सकती। वन बन्दोबस्त अधिकारी के समय कोई नोटिस मुझे नही मिली थी। मुझे यह नही मालूम कि मेरी जमीन के अगल बगल वन विभाग का पत्थर पड़ा है ..... मुझे नही मालूम कि परगनाधिकारी, चुनार के यहॉ से इस जमीन के बावत कोई आदेश हुआ था कि नही। आरक्षित वन घोषित करने की सरकार ने किसे सूचना दी मुझे जानकारी नही है। साक्षी पी0डब्लू0–1 वादिनी के बयान से स्पष्ट है कि उसे विवादित संपत्ति के बारे में कोई विशेष जानकारी नही है। चकबन्दी विभाग एवं परगनाधिकारी, चुनार के समक्ष लम्बित एवं निर्णीत मुकदमों की भी जानकारी नही है। वादग्रस्त संपत्ति पर नीम, शीशम, सागौन, इमली, महुआ, डेलवरी व परास आदि के जंगली वृक्ष हैं वादिनी ने वादपत्र में ऐसा कहीं भी अभिकथन नही किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर वृक्षारोपड़ का भी कार्य किया गया है तथा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में वादिनी के द्वारा मात्र एक नीम का पेड प्रदर्शित किया गया है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूरब, उत्तर एवं दक्षिण जंगल है तथा पश्चिम दिशा में सडक है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण **डी0डब्लू0–1 कमलाशंकर एवं डी0डब्लू0–2 स्वयंबर प्रसाद** ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि विवादित जमीन पर खेती नही होती है तथा जंगल विभाग के द्वारा वृक्षारोपड़ किया गया है। इसी प्रकार डी0डब्लू0–3 मो0 मुर्तजा हुसैन, फारेस्ट रेंज आफिसर ने साक्षी डी0डब्लू0–1 व 2 के कथनों का समर्थन किया है। पी0डब्लू0–4 ने कथन किया है कि विवादित जमीन लगभग 100–125 पेड़ है। कुल 9–10 बीघे है। विवादित खेत के बीच में कोई रास्ता नही है। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। सरस्वती के पिता जानते होंगे, मुझे जानकारी नही है कि एस0डी0एम0 के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। जब वन विभाग ने पेड़ लगाने के लिए खन खोद करने लगे, सरस्वती देवी पहुंची थी, उनके दो घंटे बाद मैं भी गया था.....विवादित जमीन का पैमाईश सरस्वती देवी ने कभी करायी थी या नही मुझे नही मालूम।

26. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी अपना वादग्रस्त संपत्ति पर

का कथन कि वादिनी वादग्रस्त सम्पत्ति/आराजी पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से बहैसियत मालिक काबिज दखील चली आ रही है। प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया गया तथा वाद प्रस्तुत करते वक्त अपनी उम्र 48 वर्ष बतायी गयी है। उसके अनुसार वादिनी की जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के वर्ष 1952 में 13 वर्ष आती है। वादिनी 13 वर्ष की अल्पावस्था के पहले से ही वादग्रस्त संपत्ति पर काबिज दखील होना अभिकथित करती है। वादिनी द्वारा सूची 156ग से जमींदार से द्वारा निर्गत रसीदों की मूल प्रति वर्ष 1946–47–48 व वर्ष 1952 की दाखिल की गयी है, जो का0सं0 157ग ता 157ग/4 के रूप में उपलब्ध है। उक्त अभिलेखों में इस तथ्य का उल्लेख है कि वादिनी सरस्वती देवी के द्वारा वर्ष 1946 से ही जमींदार श्रीमती राजकिशोरी को लगान अदा किया जाता रहा है अर्थात वादिनी लगभग 8 वर्ष की उम्र से ही वादग्रस्त संपत्ति का लगान अदा कर रही है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी **पी0डब्लू0–2 विश्राम** ने अपने बयान में कहा है कि विवादित जमीन को पहले सरस्वती के पिता जोतते थे, उसके बाद सरस्वती जोतती है। यह जोतने बोने की बात वह बहुत पहले से जानता है, ये लोग जमींदारी टूटने के पहले से जोतते बोते चले आ रहे है। साक्षी **पी0डब्लू0–3 जल्लो** ने जिसका बयान दिनांक 16.08.2002 को दर्ज किया गया है, ने अपने बयान में कहा है कि वह इस जमीन का 45–50 वर्ष से सरस्वती का कब्जा देख रहा है, अर्थात साक्षी के अनुसार वह वादिनी को 13–14 वर्ष की अवस्था से जोतते बोते देख रहा है। साक्षी पी0डब्लू0–3 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती को यह जमीन उनके पिता के द्वारा मिली, वह उनके पिता का नाम नही जानता। साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** जो कि वादिनी के ससुर भी है, ने अपने बयान में कहा है कि वादिनी व उसके पिता विवादित जमीन पर काबिज दखील रह कर खेती बारी करते थे। उसकी जानकारी में विवादित जमींन पर सरस्वती देवी का कब्जा कम से कम 50 वर्षों से है। साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरस्वती के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास के पास कुल 15 बीघा जमीन था। हरिदास के मरे 15 साल हो गया। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** का बयान वर्ष 2002 में अंकित किया गया है अर्थात मूलवाद प्रस्तुत करते वक्त वर्ष 1987 में तथा उसके पहले वादिनी के पिता हरिदास जीवित थे परन्तु किसी भी राजस्व अभिलेख में हरिदास के नाम की प्रविष्टि अंकित नही की गयी है जबकि साक्षी **पी0डब्लू0–4 श्रीराम** का कथन है कि उक्त

भूमि उसको उसके पिता के द्वारा प्राप्त हुयी थी। वादिनी द्वारा वर्ष 1987 में तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना नाम अंकित कराये जाने का आदेश पारित कराया गया तथा उसी वर्ष में प्रस्तुत वाद दाखिल कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि उन व्यक्तियों को हक प्रदान नही करती जिनका नाम अधिकार अभिलेख में प्रतीत होती है तथा राजस्व अभिलेख या जमाबन्दी में प्रविष्टियॉ केवल वित्तीय प्रयोजन अर्थात भू0 राजस्व के भुगतान के लिए है और कोई स्वामित्व ऐसे प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की ओर से अपीलार्थिनी/वादिनी के इस कथन कि "मुकदमा सं0 28 विविध न्यायालय तहसीलदार, चुनार के आदेश दिनांकित 18.02.87 के द्वारा आराजी सं0 291 रकबा 15 बीघा पर से ग्राम सभा बेलखरा, परगना अहरौरा व पूर्वी वन विभाग का नाम निरस्त करके श्रीमती सरस्वती देवी का नाम बतौर भूमिधर दर्ज किया जाय", के सम्बन्ध में कहा गया है कि उक्त आदेश के विरूद्ध वन विभाग की तरफ से रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 23.01.89 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांकित 18.02.87 रिकाल कर लिया गया। इस सम्बन्ध में रिकाल प्रार्थनापत्र कागज संख्या 29ग तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.01.89 की मूलप्रति कागज संख्या 28ग के रूप में मूलवाद में दाखिल की गयी है। इस प्रकार वादिनी/अपीलार्थिनी का नाम जिस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ, उक्त आदेश के निरस्त हो जाने के पश्चात राजस्व अभिलेखों में वादिनी/अपीलार्थिनी के नाम का इन्द्राज अधिकार विहीन हो गयी जिसके कारण उसका लाभ वादिनी को नही मिल सकता। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है।

24. राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में **विधि निर्णय– प्रहलाद प्रधान एवं अन्य बनाम सोनू कुम्हार एवं अन्य (2019) 10 एस.सी.सी. 259** अति महत्वपूर्ण है। "The six yearly khatauni for the fasli year 1395 to 1400 is to the effect that the land stands transferred according to the Forest Act as the reserved forest. Such revenue record is in respect of Khasra No. 1576. It is only in the revenue record for the period 1394 fasli, name of the lesssees find mention but without any basis. The revenue record is not a document of title. Therefore, even if the name of the lessee finds

mention in the revenue record but such entry without any supporting documents of creation of lease contemplated under the Forest Act is inconsequential and does not create any right, title or interest over 12 bighas of land claimed to be in possession of the lessee as a lessee of the Gaon Sabha." यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थिनी जिस विवादित सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व एव कब्जा बताती है यदि उस सम्पत्ति को वन विभाग ने विज्ञप्ति संख्या 23(2)–95/14–ख–67 दिनांक 22.02.68 के द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने हेतु प्रस्तावित था तथा विज्ञप्ति स0 5924/14–2–20(47)–82 दिनांक 22.08.83 के द्वारा अपीलार्थिनी के स्वामित्व एवं कब्जे वाली विवादित सम्पत्ति को वन विभाग के लिए आरक्षित कर लिया था तो उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अनुसार वन विभाग के विरूद्ध फोरेस्ट सेटेलमेंट आफिसर या सब–डिविजनल आफिसर के समक्ष आपत्ति देनी चाहिए थी लेकिन अपीलार्थिनी द्वारा इस प्रकिया को नही अपनाया गया। अन्तर्गत धारा 20 भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 4 भारतीय वन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं "It is thus obvious that the Forest Settlement Officer has the powers of a civil court and his order is subject to appeal and finally revision before the the State Government. The Act is a complete code in itself and contains elaborate procedure for declaring and notifying a reserve forest. Once a notification under Section 20 of the Act declaring a land as reserve forest is published, then all the rights in the said land claimed by any person come to an end and are no longer available. The notification is binding on the consolidation authorities in the same way as a decree of a civil court. The respondents could very well file objections and claims including objection regarding the nature of the land before the Forest Settlement Officer. They did not file any objection or claim before the authorities in the proceedings under the Act. After the notification under Section 20 of the Act, the respondents could not have raised any objections qua the said notification before the consolidation authorities. The consolidation authorities were bound by the notification which had achieved finality."

25. उपरोक्त के अतिरिक्त इस न्यायालय को इस विन्दु पर भी विचार करना है कि क्या वादिनी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा एवं दखल दौरान

विज्ञप्ति वन विभाग रहा है ? वादिनी का कथन है कि वादिनी वादग्रस्त संपत्ति पर जोत बोकर फसल काश्त करती है। वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण ने तथा स्वयं वादिनी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि यह जमीन पहले से मेरे पिताजी की है। पिताजी के बाद मुझे मिली। हमारे गॉव मे चकबन्दी कब हुयी मुझे नही मालूम। चकबन्दी न्यायालय में मैने कोई मुकदमा नही किया था। गिरजा सिंह मेरे गांव के प्रधान थे या न ही मै नही बता सकती। वन बन्दोबस्त अधिकारी के समय कोई नोटिस मुझे नही मिली थी। मुझे यह नही मालूम कि मेरी जमीन के अगल बगल वन विभाग का पत्थर पडा है ..... मुझे नही मालूम कि परगनाधिकारी, चुनार के यहॉ से इस जमीन के बावत कोई आदेश हुआ था कि नही। आरक्षित वन घोषित करने की सरकार ने किसे सूचना दी मुझे जानकारी नही है। साक्षी पी0डब्0–1 वादिनी के बयान से स्पष्ट है कि उसे विवादित संपत्ति के बारे में कोई विशेष जानकारी नही है। चकबन्दी विभाग एवं परगनाधिकारी, चुनार के समक्ष लम्बित एवं निर्णीत मुकदमों की भी जानकारी नही है। वादग्रस्त संपत्ति पर नीम, शीशम, सागौन, इमली, महुआ, डेलवरी व परास आदि के जंगली वृक्ष हैं वादिनी ने वादपत्र में ऐसा कहीं भी अभिकथन नही किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर वृक्षारोपड़ का भी कार्य किया गया है तथा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में वादिनी के द्वारा मात्र एक नीम का पेड़ प्रदर्शित किया गया है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूरब, उत्तर एवं दक्षिण जंगल है तथा पश्चिम दिशा में सडक है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्षीगण **डी0डब्लू0–1 कमलाशंकर एवं डी0डब्लू0–2 स्वयंबर प्रसाद** ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि विवादित जमीन पर खेती नही होती है तथा जंगल विभाग के द्वारा वृक्षारोपड़ किया गया है। इसी प्रकार डी0डब्लू0–3 मो0 मुर्तजा हुसैन, फारेस्ट रेंज आफिसर ने साक्षी डी0डब्लू0–1 व 2 के कथनों का समर्थन किया है। पी0डब्लू0–4 ने कथन किया है कि विवादित जमीन लगभग 100–125 पेड़ है। कुल 9–10 बीघे है। विवादित खेत के बीच में कोई रास्ता नही है। चकबन्दी न्यायालय के निर्णय के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। सरस्वती के पिता जानते होंगे, मुझे जानकारी नही है कि एस0डी0एम0 के न्यायालय में कोई मुकदमा चला था। जब वन विभाग ने पेड लगाने के लिए खन खोद करने लगे, सरस्वती देवी पहुंची थी, उनके दो घंटे बाद मैं भी गया था.....विवादित जमीन का पैमाईश सरस्वती देवी ने कभी करायी थी या नही मुझे नही मालूम।

26. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में वादिनी अपना वादग्रस्त संपत्ति पर

अध्यासन सिद्ध करने में असफल रही है। तदनुसार अवधार्य विन्दु वादिनी/अपीलार्थिनी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

27. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एव विभिन्न विधि निर्णयों में पारित आयधारणाओं को दृष्टिगत रखते विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है, उक्त निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2011 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 15.12.2011 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि तलबशुदा मूलवाद की पत्रावली अविलम्ब वापस किया जाना सुनिश्चित करें।

(तालिवर सिंह) 16/09/022
अपर जनपद न्यायाधीश/
अति० न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
मीरजापुर।

दिनांक–16.09.2022

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

Seen
16/9/22

(तालिवर सिंह) 16/09/022
अपर जनपद न्यायाधीश/
अति० न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
मीरजापुर।

दिनांक–16.09.2022

Seen

सत्य प्रतिलिपि
29/9/22
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय–मीरजापुर

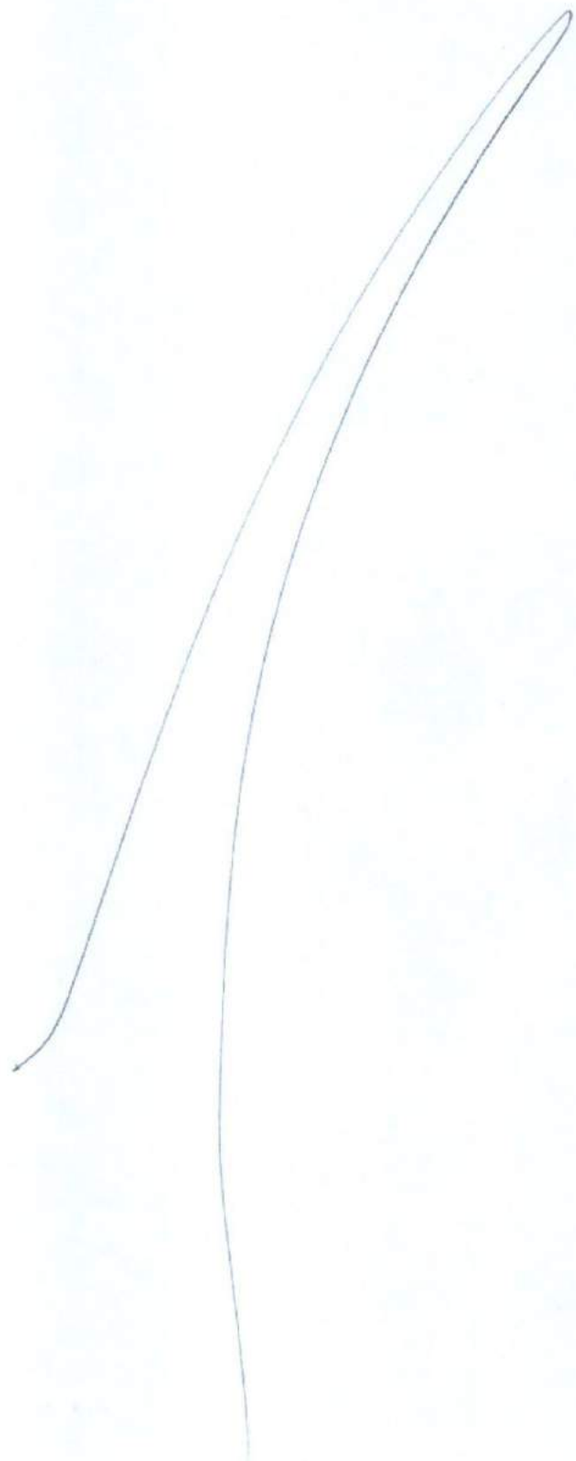

संलग्नक-12

सरकारी कार्य हेतु (नि:शुल्क)

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp--anied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
10-9-20 दस सितम्बर सन दो हजार बीस	10-9-20 दस सितम्बर सन दो हजार बीस	10-9-20 दस सितम्बर सन दो हजार बीस	[illegible] 10-9-2020

14 / 10/09/20

न्यायालय सिविल जज सि०डि० मिर्जापुर

वाद सं० 147 सन 2017

एस० सी० पी० रेलवेज बनाम [illegible]

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

नकल आदेश दि० 27/02/2020 संलग्न है।

J.O. Code-U.P.1783 C.N.R. No- UPMI030040772017

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मीरजापुर।

मूल वाद संख्या–147/2017

ए0सी0पी0 टोलवेज **बनाम** क्षेत्रीय वनाधिकारी वगैरह।

दिनांक 27–02–2020

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र 6ग पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6ग व 27ग आपत्ति 50ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र 27ग जो, कि अन्तरिम निषेधाज्ञा एक पक्षीय आदेश दिनांकित 21.11.2017 को रिकाल किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र 6ग जो कि उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष के आधार पर पारित किया जा रहा है, तदनुसार सुविधा की दृष्टि से प्रार्थना पत्र 6ग एवं 27ग का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र 6ग एवं 27ग तथा आपत्ति 50ग का निस्तारणः–

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 6ग मय शपथ पत्र 7ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी फर्म की कम्पनी का कार्य मौजा बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर की आ0 नं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 पर अपनी कम्पनी का मुख्य कार्यालय स्थापित किया है, तथा वादी फर्म का मुख्य कार्य सड़क निर्माण व उसका मेन्टनेस व उसकी देखरेख करना है। उक्त कार्यालय की स्थापना वादी फर्म ने म्योरपुर से हाथीनाल जाने वाली व सड़क के निर्माण की देख रेख व उसके अलावा अन्य सड़कों की देखरेख के लिए उक्त दृष्टिकोण से किया है। वादी का उक्त कार्यालय व कार्यस्थल, प्रतिवादीगण व जिला मीरजापुर व जिला सोनभद्र के प्रत्येक प्रशासनिक व अनाधिकारियों के जानकारी में आबाद रूप से अरसा 10–15 वर्ष पूर्व से ही लगातार अवस्थित रहा है और आज भी है। वादी फर्म ने उक्त भूमि को सरस्वती देवी पत्नी बिरजू निवासिनी ग्राम घमहॉपुर, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर से लीज पर लेकर व उनकी सहमति से उस पर कार्य करती चली आ रही है और आज भी है। दिनांक 24.09.2017 को मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 कैम्प कार्यालय राबर्टसगंज सोनभद्र को एक नोटिस प्रतिवादी सं0 1 के कार्यालय से प्रेषित प्राप्त हुई, जिसे देखकर उसकी सूचना उक्त फर्म ने वादी फर्म को दी और मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 ने उसका जबाव भी जरिये अधिवक्ता भेजवाया, लेकिन दिनांक 28.09.2017 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कार्यालय के तमाम कर्मचारीगण आये और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर स्थित वादी फर्म के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से घुसते हुए यह धमकी देना प्रारम्भ किये कि आप लोग अपने सारे सामान यहां से हटा लीलिए और अपने अस्थायी व स्थाई मकानातों को हटा लीजिए और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। वादी फर्म द्वारा उनके इस बेजा हरकत के बारे में पूछताछ करने पर उन लोगों द्वारा कहा गया कि वन विभाग की भूमि है और इस पर वन विभाग का नाम दर्ज है। जिस पर वादी फर्म के कर्मचारियों द्वारा यह कहने पर कि इस भूमि का आ0 नं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 है, जो सरस्वती देवी पत्नी बिरजू के नाम दर्ज है, जिस पर उक्त कर्मचारियो ने कहा कि सरस्वती देवी उस जमीन पर मुकदमा हार चुकी है और उन्होनें मुकदमा न्यायालय सिविल जज जू0डि0,चुनार, मीरजापुर के यहां वाद सं0 305/1987 दाखिल किया था जिसके उनके विरूद्ध दिनांक 15.12.2011 को डिक्री पारित किया जा चुका है। हालांकि उसके विरूद्ध उन्हें अपील सं0 9/2012 दाखिल किया, लेकिन आप लोग यह जमीन छोड़ दीजिए। जिस पर वादी फर्म के द्वारा यह कहे जाने पर कि जिस जमीन पर मुकदमा सरस्वती देवी दाखिल किया है, वह 291 मिनजुमला नम्बर है, न कि इसी बटजात पर दाखिल किया गया है। अलावा इसके आ0 नं0 291 का पूरा रकबा 15 बीघे से कहीं बहुत स्पष्ट नहीं है, कि वह मुकदमा आ0 नं0 291/2 के सम्बन्ध में दाखिल किया गया है या उस में कहीं आदेश पारित किया गया है और उस मुकदमें में आप लोगों द्वारा केवल मात्र यह कहा गया है कि उक्त 291 मि0 15 बीघा वाली भूमि वन विभाग के विज्ञप्ति वाली भूमि है, लेकिन यह कहीं स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उसके अन्य बटेजात कहां हैं और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त मुकदमा 291/2 के ही सम्बन्ध में है। क्योंकि सरस्वती देवी आ0 नं0 291/2 के अलावा 291 के लगभग 20–25 बीघे के भूमि पर काबिज दखील रही है, जिस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों ने जिस

क्रमशः

J.O. Code-U.P.1783 C.N.R. No- UPMI030040772017

सम्पत्ति को लीज पर दिया है, वह 291 मि0 जो कि सरस्वती के रकबे का अंश ही है, अलावा इसके इस तथ्य की भली–भांति जानकारी आपके विभाग के सभी कर्मचारियों को रही। इस पर मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 व वादी फर्म अपने तमाम निर्माण कराकर व कार्यशाला बनाकर सरकारी सडक निर्माण व उसके मेन्टनेस का कार्य कर रही है और उस पर वादी फर्म के तमाम निर्माण हैं, लेकिन सरस्वती देवी द्व ारा दाखिल उक्त मुकदमें में यह तथ्य नहीं आंया है कि उस पर मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 व वादी फर्म की कार्यशाला है। यहां तक कि उस पर आप लोगों ने खाली जमीन व पेड़ होने का अभिकथन किया है। हम लोगों के तामीरात व मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 के तामीरात उपस्थित हैं। जिससे स्पष्ट है कि सरस्वती देवी द्वारा आ0 सं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 से सम्बन्धित नहीं दाखिल किया था, जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि यह सब हम लोग नहीं जानते। बेहतर है कि आप लोग एक हफ्ते के बाद ये सभी तामीरात हटा दीजिए, वरना हम लोग एक हफ्ते बाद अपने कर्मचारियों के बल पर आपके सारे तामीरातों का कार्यशाला आदि को ध्वस्त कर देंगे और पूरी तैयारी के साथ आने की धमकी देते हुए वापस लौट गये। वादी फर्म ने इस सम्बन्ध में अपने साझेदार फर्म मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 से बातचीत किया, तो उन्होने बताया कि इस तरह की एक नोटिस मेरे कैम्प कार्यालय, सोनभद्र आयी थी, जिसका मैंने अधिवक्ता के जरिये जबाव भेजवा दिया। चूंकि मौके पर आपकी ही फर्म पूरी व्यवस्था देख रही है और आपकी कार्यशाला आदि है और अनुबन्ध के अनुसार वहां आपकी फर्म स्थित है। चूंकि हम लोग शेयर होल्डर हैं और आपका प्रश्नगत सम्पत्ति पर कब्जा काफी पूर्व से है जिस कारण आप लोग इस सम्बन्ध में जो विधिक राय हो लेकर कार्य करिये और संविदा व साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार आप लोगों के द्वारा विधिक कार्यवाही हम लोगों को स्वीकार है। जिस पर वादी फर्म ने इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता की राय लिया, तो उन्होंने बताया कि अगर प्रश्नगत सम्पत्ति में आप लोगों को अवैधानिक रूप से बेदखल किया जा रहा है और इस तरह की नोटिस प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्व ारा दी जा रही है, तो आप लोग अपनी अवैधानिक बेदखली न हो। इसके लिए मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आ0 सं0 291 हजारो बीघो की भूमि है और उसमें तमाम बटेजात हैं और वन विभाग मनमानी तौर पर 291/2 को अपनी भूमि कह रहा है, तो यह स्पष्ट रूप से मामला डिमारकेशन का है और सक्षम न्यायालय से अनुमति लिये जाने के पूर्व आपकी बेदखली नहीं की जा सकती है। वकील साहब ने यह राय दिया कि सरस्वती देवी द्वारा जो मुकदमा सं0 305/1987 दाखिल किया गया है, उसमें आप लोगों के निर्माण का कोई जिक्र नहीं है और उसे काश्त की ज़मीन की बात कही है और वन विभाग द्वारा जो जबाबदेही लगायी है, उसमे भी आप लोगो के कार्यशाला आदि का कोई जिक्र नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त मुकदमें में जो विवादित भूमि है, वह कत्तई आ0 सं0 291/2 नहीं है। अलावा इसके कोई तृतीय पक्ष आपकों आपकी लीजशुदा सम्पत्ति से व असल मालिक के इच्छा के विपरीत बेदखल करने की धमकी दे रहा है, तो आपकों अपने आधिपत्य के रक्षार्थ दावा दाखिल करने का पूर्ण अधिकार है जिस पर वादी फर्म अन्य कोई विधिक उपचार न देखकर यह दावा दाखिल किया जा रहा है। वादी फर्म जो कि मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 के साथ वैधानिक तौर पर साझेदार फर्म है और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर बने कार्यशाला व कार्यालय व उस पर अपने कर्मचारियों के निवास आदि के लिए बनाये गये स्थायी व अस्थायी निर्माण का संचालन करती है। सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा आ0 सं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 स्थित ग्राम बेलखर, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, मिर्जापुर पर वादी फर्म नियमानुसार लीज अनुबन्ध पत्र दिनांकित 11.05.2017 के अनुरूप उस पर लीज अनुबन्ध पत्र की शरायतों को स्वीकार करते हुए उस पर लीज अनुबन्ध को स्वीकार करते हुए उस पर सडक निर्माण व उसके सम्बन्धित सभी मैटेरियल व मशीनरी रखता है तथा सड़क निर्माण के लिए आवश्यक सभी प्लाट वहां लीज अनुबन्ध के अनुसार स्थापित किया है और उसके पूर्व वादी फर्म की साझेदार फर्म मेसर्स चेतक इण्टर प्राईजेज लि0 की मशीनरी आदि व प्लाट व निर्माण आदि वहां मौजूद है। इस तरह वादी फर्म है और लीज अनुबन्ध के अनुसार उस पर कार्य करने के लिए उस पर वैधानिक उक्त सम्पत्ति से वादी फर्म को जबरदस्ती बेदखल करने व उस पर स्थित तमाम मशीनरी व निर्माण जो स्थायी व अस्थायी दोनों तौर पर के हैं, उन्हें ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इरकत प्रतिवादी सं0 1 व 2 को उनके फेलबेजा

क्रमशः

हरकत से रोका नहीं गया तो वे निश्चित ही उससे वादी फर्म को जबरदस्ती अवैधानिक तरीके से बेदखल कर देंगे, जिससे सख्त हकतलफी वादी फर्म की होगी, जिसकी पूर्ति रूपये–पैसे से कदापि सम्भव नहीं है तथा वादी फर्म का उक्त स्थल से सड़क निर्माण व उसकी देखरेख का कार्य संचालित किया जा रहा है, वह पूर्णतया बाधित हो जावेगा जिससे भी सख्त हकतलफी वादी फर्म की होगी। अतः वादी फर्म द्वारा जरिये हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा प्रतिवादी सं0 1 व 2 एवं उनके एजेण्टों को विवादित सम्पत्ति आ0 नं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 ,स्थित ग्राम बेलखर, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, मिर्जापुर, से वादी फर्म को या उसके कर्मचारियों को किसी तरीके से बेदखल करने, उस पर स्थित वादी फर्म की मशीनरी व अस्थायी एवं स्थायी निर्माणात, बोरिंग व रिहाईशी टेन्ट आदि को किसी भी तरीके से ध्वस्त करने, उस पर वादी फर्म के कब्जा दखल में लीज की अवधि के दौरान किसी भी तरह का अवरोध या हस्तक्षेप करने तथा उससे वादी फर्म को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने से रोके जाने की याचना की गयी है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपनी आपत्ति 50ग प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादपत्र में अंकित आराजी वन भूमि है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से वन विभाग का नाम माल कागजात में अंकित है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के उपरान्त प्रश्नगत आराजी पर कोई भी आदेश पारित किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश का उल्लंघन व अवमानना है। प्रश्नगत आराजी की भा0 वन अधि0 की धारा 4 विज्ञप्ति सं0 5924/14–2–20 (47)–82 अभिसूचना सं0 23(2)–95/14–ख–67 दिनांक 22–2–1968 को घोषित की जा चुकी है। धारा 4 के पश्चात् वादपत्र से स्पष्ट है कि धारा 4 के पूर्व या विज्ञप्ति के दिन वादी को वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार या हक्क हासिल नहीं था। वादग्रस्त भूमि के भा0वनअधि0 की धारा 20 का प्रकाशन महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 14.01.1984 को घोषित की जा चुकी है। धारा 20 के प्रकाशन के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि पर दावा करने का अधिकार दाखिल नहीं होगा और न ही किसी अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा। वादग्रस्त आराजी सं0 291 मि0 सम्पूर्ण रकबा वन भूमि है तथा माल कागजात में वन विभाग का नाम अंकित है। दावा वादी के अनुसार वादग्रस्त आराजी का मुकदमा सरस्वती देवी न्यायालय सिविल जज जू0डि0, चुनार, मीरजापुर के यहां वाद सं0 305/1987 दाखिल किया गया था, जिसमें उनके विरूद्ध दिनांक 15.12.2011 को डिक्री पारित किया जा चुका है, से भी स्पष्ट है कि सरस्वती देवी को वादग्रस्त भूमि का लीज पर देने का अधिकार दिनांक 19.04.2012 एव 11.05.2017 को दावा वादी को नहीं है। दावा वादी के अनुसार उक्त के विरूद्ध सरस्वती देवी द्वारा अपील सं0 9/2012 दाखिल की गयी थी, जो माननीय न्यायालय ए0डी0जे पंचम के यहां दिनांक 20.05.2013 को खारिज की गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भी रिट खारिज की गयी है तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से माल कागात में वन विभाग का नाम अंकित है तो दावा वादी उस मुकदमें में पक्षकार बनकर अपना पक्ष रख सकता है। ऐसी सूरत में दावा वादीगण लिसपेंडेन्स के सिद्धान्त से भी बाधित है। मूल वाद नं0 305/1989 सरस्वती देवी बनाम श्रीमान क्षेत्रीय वनाधिकारी पूर्वी प्रभाग में परीक्षण न्यायालय सिविल जज जू0डि0, चुनार, मीरजापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12. 2011 में यह फाइन्डिंग है कि "साबिक आराजी नं0 827 से हाल नं0 291/1 व 291/2 बना है जो उभयपक्षों का एडमिशन है और मौजूद वाद में तथ्य का छिपाव किया गया है। विवादित अराजी पर कथित किराया विलेख लीज अनुबन्ध 19.04.2012 व 11.05.2017 शून्य व अधिकार क्षेत्र से परे है। वादपत्र के अनुसार ही सरस्वती देवी के विरूद्ध न्यायालय सिविल जज जू0डि0, चुनार, मीरजापुर द्वारा दिनांक 15. 12.2011 को डिक्री पारित कर दिया गया है। इसके पश्चात् उनके द्वारा विवादित आराजी पर किया गया, कोई भी विलेख या अनुबन्ध पत्र या लीज शून्य है। दावा वादी अवैध व फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर वन भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत से दावा दाखिल किया गया है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम के धारा 117 को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन विभाग को प्रदत्त की गयी है तथा वन विभाग के अध्यासन व कब्जे की है। उसके किसी भी अंश पर किसी का कभी कब्जा दखल नहीं था, न ही है। दावा वादी के द्वारा वन विभाग पर किये गये अतिक्रमण के प्रयास

क्रमशः

J.O. Code-U.P.1783 C.N.R. No- UPMI030040772017

के विरूद्ध वन विभाग द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही से बचने के लिए दावा वादी द्वारा उक्त दावा फर्जी व मनगढंत तरीके से अवैध कागजात का सहारा लेकर अवैध तरीके से अनुतोष प्राप्त करने की गरज से दाखिल किया गया है। वादी द्वारा जानबूझकर गलत पद व नाम से वनाधिकारी जनपद मीरजापुर प्रतिवादी सं0 3 व उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार रेंज को प्रतिवादी सं0 3 अंकित किया है, जबकि उक्त पद वन विभाग में नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग का पद है व उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार, मीरजापुर का पद है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही सी0पी0सी0 की धारा 80 के तहत नोटिस ही दी गयी है। वादपत्र में अंकित, प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को निगम बताते हुए सी0पी0सी0 की धारा 79 की श्रेणी में लोकसेवक नहीं बताया गया है, जो सर्वथा अवैधानिक है। वादीगण का न तो कोई प्राइमाफेसी केस है, न ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है और न ही उन्हें अपूर्णनीय क्षति ही है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा जरिये आपत्ति प्रार्थना पत्र 6ग सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 27ग इस आशय का दाखिल किया गया है कि उक्त वाद के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी द्वारा गलत तथ्यों का समावेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.11.2017 को विधि विरूद्ध तरीके से न्यायालय से प्राप्त कर लिया है। उक्त वाद में लोक सेवकों को प्रतिवादी बनाया गया है और उनके द्वारा पदीय हैसियत से किये गये कार्यों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा मांगी गयी है। ज्ञातव्य हो कि सी0पी0सी0 की धारा 80 (2) में यह स्पष्ट प्राविधानिक है कि लोक सेवकों के विरूद्ध उनके पदीय हैसियत के किये गये कार्यों के विरूद्ध बिना उन्हें सुने कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जायेगा, से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.11.2017 उक्त प्राविधान के विपरत है तथा उक्त आदेश से सरकार को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश तत्काल रिकाल किया जाना जरूरी एवं न्यायसंगत है। अतः प्रतिवादी द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांकित 21.11.2017 को तत्काल रिकाल किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 11ग से किराया लीज दिनांकित 11.05.2017 की छायाप्रति कागज सं0 12ग/1 लगायत 7, किराया लीज दिनांकित 19.04.2012 की छायाप्रति कागज सं0 13ग/1 लगायत 4, नोटिस दिनांकित 17-07-2017 की छायाप्रति कागज सं0 14ग, नोटिस दिनांकित 25.09.2017 की छायाप्रति कागज सं0 15ग/1 व 15ग/2, खसरा कागज सं0 16ग, दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति के साथ बतौर संलग्नक नकल खतौनी कागज संख्या 29ग/1, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 19-08-2013 की छाया प्रति 29ग/2 ता 3, मूल वाद संख्या 305/1987 सरस्वती देवी बनाम वन अधिकारी आदि मे पारित निर्णय दिनांकित 15-12-2011 की छायाप्रति कागज संख्या 29ग/4 ता 11 दाखिल किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए किसी भी पक्षकार को निम्नलिखित तीन बिन्दु साबित करने होते हैं-

1-प्रथम दृष्टया मामला।
2-सुविधा का संतुलन।
3-अपूर्णनीय क्षति।

1-प्रथम दृष्टया मामलाः-

जहाँ तक प्रथम दृष्टया मामला का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में वादी का कथन है कि वादी फर्म का मुख्य कार्य सडक निर्माण व उसका मेन्टनेस व उसकी देखरेख करना है। उक्त कार्यालय की स्थापना वादी फर्म ने म्योरपुर से हाथीनाल जाने वाली व सडक के निर्माण की देख रेख व उसके अलावा अन्य सडकों की देखरेख के लिए उक्त दृष्टिकोण से किया है। वादी का उक्त कार्यालय व कार्यस्थल,

क्रमशः

J.O. Code-U.P.1783 C.N.R. No- UPMI030040772017

प्रतिवादीगण व जिला मीरजापुर व जिला सोनभद्र के प्रत्येक प्रशासनिक व वनाधिकारियों के जानकारी में आबाद रूप से अरसा 10–15 वर्ष पूर्व से ही लगातार अवस्थित रहा है और आज भी है। वादी फर्म ने उक्त भूमि को सरस्वती देवी पत्नी बिरजू निवासिनी ग्राम घमहाँपुर, परगना अहरौरा, तहसील चुनार, जिला मीरजापुर से लीज पर लेकर व उनकी सहमति से उस पर कार्य करती चली आ रही है और आज भी है। दिनांक 24.09.2017 को मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 कैम्प कार्यालय रार्बटसगंज, सोनभद्र को एक नोटिस प्रतिवादी सं0 1 के कार्यालय से प्रेषित प्राप्त हुई, जिसे देखकर उसकी सूचना उक्त फर्म ने वादी फर्म को दी और मेसर्स चेतक इण्टर प्राइजेज लि0 ने उसका जबाव भी जरिये अधिवक्ता भेजवाया, लेकिन दिनांक 28.09.2017 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कार्यालय के तमाम कर्मचारीगण आये और सम्पत्ति मुन्दर्ज दावा पर स्थित वादी फर्म के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से घुसत हुए यह धमकी देना प्रारम्भ किये कि आप लोग अपने सारे सामान यहां से हटा लीलिए और अपने अस्थायी व स्थाई नकानातों को हटा लीजिए और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। वादी फर्म द्वारा उनके इस बेजा हरकत के बारे में पूछताछ करने पर उन लोगों द्वारा कहा गया कि वन विभाग की भूमि है और इस पर वन विभाग का नाम दर्ज है। जबकि इसके विपरित प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित सम्पत्ति वन विभाग की सम्पत्ति है जिसके बावत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वन विभाग का नाम भी अंकित किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि अराजी संख्या 291/2 रकबा 3.7940 हे0 स्थित ग्राम बेलखड़ा परगना अहरौरा तहसील चुनार जिला मीरजापुर है। पत्रावली पर वादी की ओर से दाखिल किराया लीज अनुबन्ध कागज संख्या 12ग व 13ग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित सम्पत्ति आराजी संख्या 291/2 रकबा 3.794 हे0 का लीज सरस्वती देवी के द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया है। नोटिस की प्रति कागज संख्या 14ग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से उक्त नोटिस वादीगण को बेदखली के आशय से प्रेषित किया गया है तथा नकल खसरा कागज संख्या 16ग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा में विवादित भूमि अराजी संख्या 291/2 रकबा 3.794 हे0 सरस्वती देवी के नाम दर्ज है किन्तु वादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में कोई भी खतौनी व राजस्व नक्शा पत्रावली पर दाखिल नही किया गया है और वादीगण के द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि उनके द्वारा क्यो और किन परिस्थितियो में विवादित सम्पत्ति की खतौनी दाखिल नही की गयी है जबकि खसरा दाखिल किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वादी के द्वारा तथ्यो को छिपाते हुये वाद प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर दाखिल नकल खतौनी कागज संख्या 29ग/1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त खतौनी में विवादित भूमि अराजी संख्या 291/2 रकबा 3.7940 हे0 के बावत सरस्वती देवी का नाम दर्ज तो रहा है किन्तु उक्त खतौनी में ही इस आशय की भी अंकना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशा दिनांकित 03–03–2014 के अनुपालन में अराजी संख्या 291मि0 वन विभाग के पक्ष में अंकित की गयी है। मूल वाद संख्या 305/87 में पारित निर्णय दिनांकित 15–12–2011 कागज संख्या 29ग/4 ता 11 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाद सरस्वती देवी के द्वारा अराजी संख्या 291मि0 के बावत दाखिल किया गया था जो कि गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया था जिसके पश्चात ही सरस्वती देवी के द्वारा वादीगण के पक्ष में लीज किया गया है। यह स्पष्ट है कि आराजी संख्या 291/2 एक बटेजात नम्बर है किन्तु वादी के द्वारा अपने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में यह स्पष्ट नही किया गया है कि उक्त अराजी संख्या 291मि0 में आराज़ी संख्या 291/2 कहां पर स्थित है, यहां तक की उसकी चौहद्दी भी वादी के द्वारा दर्शित नही की गयी है और न ही कोई माप ही अंकित किया गया है, न ही इस सम्बन्ध में कोई भी राजस्व नक्शा ही दाखिल किया है जिसमे 291/2 तरमीम किया गया है। यह एक सुस्थापित विधि है कि निषेधाज्ञा का अनुतोष एक विशिष्ट भूमि पर ही प्रदत्त किया जा सकता है न कि अनिश्चित भूमि पर। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित सम्पत्ति अराजी संख्या 291/2 अराजी संख्या 291मि में कहां स्थित है वादीगण के द्वारा इस स्तर पर स्पष्ट नही किया जा सका है जिससे प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

क्रमशः

इस प्रकार से उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस मत की है कि वादीगण अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहे।

2–सुविधा का संतुलनः–

जहां तक द्वितीय बिन्दु सुविधा के संतुलन का प्रश्न है तो यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति आराजी सं0 291/2 रकबा 3.7940 हे0 भूमि एक बटेजात नम्बर है और इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से विवादित सम्पत्ति की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु कोई राजस्व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसे में सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना नही पाया जाता है।

3–अपूर्णनीय क्षतिः–

जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया गया है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति हाना भी दर्शित नहीं होता है।

इस प्रकार से उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि चूंकि वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित होना नहीं पाया गया है, सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है और वादीगण की अपूर्णनीय क्षति भी साबित नही है। अतः प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं, तदनुसार प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किये जाने योग्य है।

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 6ग निरस्त किया जाता है, तदनुसार आपत्ति 50ग निस्तारित की जाती है तथा तदनुसार प्रार्थनापत्र 27ग निष्प्रभावी हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 06-04-2020 को वास्ते उत्तरपत्र/तनकीह पेश हो।

[signature] 27/2/2020

(लवली जायसवाल)
J.O. Code-1783
सिविल जज (सी0डि0),
मिर्जापुर।

दिनांक 27-02-2020

तुलनाकर्ता – Singh
शब्द लगभग – 1400

सत्य प्रतिलिपि
[signature] 10-9-2020
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय–मीरजापुर

06-4-20

अवकाश घोषित। कोरोना वायरस (Covid-19) के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पत्र सं0–426/इन्फ्रा सेल दिनांक–21.03.2020 के अनुपालन में सामान्य दिनांक– 20/4 नियत की जाती है। पत्रावली वास्ते उत्तरपत्र, तन. पेश हो।

C.J.(S.D)

20-4-20

अवकाश घोषित। कोरोना वायरस (Covid-19) के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पत्र सं0–426/इन्फ्रा सेल दिनांक–21.03.2020 के अनुपालन में सामान्य दिनांक– 8/5 नियत की जाती है। पत्रावली वास्ते A.W.S./तन. पेश हो।

C.J.(S.D)

संलग्नक · 13.

ANNEXURE 13

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 स्टाम्प विक्रेता

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 स्टाम्प विक्रेता

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp--anied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
12/11/2020 बारह नवम्बर सन दो हजार बीस	12/11/2020 बारह नवम्बर सन दो हजार बीस	12/11/2020 बारह नवम्बर सन दो हजार बीस	[signature] 12.11.20

12.11.20 — न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश खीरी
प्रकीर्ण सिविल अपील केस नं० 11 / सन 2020.
एस० जी० पी० टी० लवेज बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी मय
नकल आदेश दि० 11/11/2020 संलग्न है।

जनपद एवं सत्र न्यायालय लखीमपुर (उत्तर प्रदेश)

प्रकीर्ण सिविल अपील सं0–11 सन् 2020
<u>ए0सी0पी0 टोलवेज बनाम क्षेत्रीय वनाधिकारी आदि</u>

<u>दिनांकः 11.11.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए।

पत्रावली आज सुनवाई हेतु नियत है, परन्तु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना–पत्र 15 घ इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के सेवानिवृत्त होने के कारण आज तक शासन द्वारा किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जिससे मुकदमा उपरोक्त में आपत्ति दाखिल कर पाना व बहस कर पाना सम्भव नहीं है। अतः आपत्ति व बहस हेतु कोई अन्य तिथि नियत की जाय। उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र का विरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है एवं यह कथन किया गया है कि यदि विवादित सम्पत्ति के संरक्षण के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित न किया गया तो अपील का मकसद विफल हो जाएगा।

मैने उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र 15 घ पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 22.05.2020 को ही अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के कियान्वयन व प्रभाव को स्थगित करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र 5 ग प्रस्तुत किया गया था, परन्तु मेरे प्रभारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के कियान्वयन व प्रभाव को इस आधार पर स्थगित नहीं किया गया था कि विपक्षीगण लोक अधिकारीगण हैं और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा। अब विपक्षीगण पत्रावली में हाजिर आ चुके हैं और उनकी तरफ से आपत्ति व बहस न करके स्थगन प्रार्थना–पत्र 15 घ प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में स्थगन प्रार्थना–पत्र 15 घ इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्ष दिनांक 30.11.2020 तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा नियत तिथि 30.11.2020 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.02.2020 का कियान्वयन व प्रभाव स्थगित रहेगा।

पत्रावली वास्ते आपत्ति एवं निस्तारण दिनांक 30.11.2020 को पेश हो।

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय–मीरजापुर

जनपद न्यायाधीश,
मिर्जापुर।
11.11.20

संलग्नक 13

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp--anied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
11/12/3/24	12/3/24	12/3/24	12/3/24

11/12-3-24

12/3/24

[illegible]

ए०पी० [illegible]

19/7/23

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई। [illegible] उपस्थित आये। सुनवाई हेतु दिनांक 14/8/23 को पेश हों। [illegible]

14/8/23

आज पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित आये। सुनवाई हेतु दिनांक 25/9/23 को पेश हों। [illegible]

25/9/23

आज पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित आये। [illegible] सुनवाई हेतु दिनांक 3/11/23 को पेश हों। [illegible]

3/11/23

आज पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित आये। [illegible] सुनवाई हेतु दिनांक 20/12/23 को पेश हों। [illegible]

14/08/23

14/8/23

14.08.23

25/09/23

25/9/2023

03/11/23

For appellant 03/11/23

20/12/23

12/3/24

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

सत्य प्रतिलिपि 14/3/24

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp--anied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
11/12/3/24	12/3/24	12/3/24	12/3/24

11/12-3-24

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

12/3/24

30/12/23 पत्रा० पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 06/2/24 को पेश हो। Ps ...।

ASJ/FTC

06/2/24
जर अपीलार्थी

7/1/24 Transfer to the court of FTC-I
... Dated 22/12/24

ASJ ACL

16-1-24

Recieved by Transfer Register.
Put up on fix Date.

ASJ/FTC

06/02/24
आज पत्रावली पेश हुआ। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/स्वीकृत। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 02/04/24 को पेश हो।

12/3/24

ASJ

02/04/24

02/4/24
जर अपीलार्थी

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय-मीरजापुर

ANNEXURE 14

संलग्नक-14

सेवा में ,
श्री मान प्रभागीय वनाधिकारी
मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश

विषय :– पत्रांक संख्या 2891/मिर्जापुर/10 रिट मिर्जापुर फरबरी/29.02.2024 के द्वारा म० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के एप्लीकेशन संख्या 112/2024 (I.A. No. 45/2024) चौधरी यशवंत सिंह वनाम यूनियन ऑफ इंडिया व् अन्य के सम्बन्ध में –

महोदय,

निवेदन है कि आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्र द्वारा मांगी गयी सुचना के समबन्ध में निम्नलिखित तथ्य अवगत करना है

1. यह कि मेसर्स एसीपी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड व् उत्तर प्रदेश राज्य राज्यमार्ग प्राधिकरण (उपशा) लखनऊ के द्वारा हम निर्माण कर्ता कंपनी को समस्त प्रकार कि अनुमति प्राप्त कर अतिक्रमण मुक्त ROW (Road of way) उपलब्ध कराया गया है जिसके भीतर उपशा द्वारा दिए गए निर्देशों व् डिजाइन के अनुसार सड़क तथा टोल प्लाजा अदि का निर्माण कर उपशा के द्वारा अनुमति प्राप्त होने पश्चात् टोल वसूली कंपनी द्वारा की जा रही है अवैधानिक तरीके से किसी भी टोल प्लाजा का निर्माण नहीं किया गया है और न ही अवैधानिक तरीके से किसी भी प्रकार की टोल वसूली की जा रही है
2. यह कि अहरौरा स्थिति मौजा बेलखरा में कंपनी द्वारा कैंप ऑफिस बनाया गया है जो कि वन भूमि में नहीं है उक्त कैंप ऑफिस वर्ष 2013 में कंपनी के सहयोगी कंपनी मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेज द्वारा कास्तकार सरस्वती देवी द्वारा आरजी संख्या 291/2 वैध तरीके से अनुबंध कर किराये पर लिया गया था जिस पर चेतक इंटरप्राइजेज द्वारा कैंप ऑफिस वर्कशॉप इत्यादि का निर्माण कराया गया है जिसका नवीनकरन 2017 में वैध तरीके से मेसर्स एसीपी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में भूस्वामी सरस्वती देवी द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया गया है जिस पर एसीपी टोल्वेज का कैंप ऑफिस व वर्क शॉप इत्यादि संचालित है जहा पर कंपनी द्वारा स्वयं के खर्चे पर कैंप ऑफिस वर्क शॉप व आस पास के खाली भूमि पर 6000 से 7000 भारी संख्या में बृक्षों को तैयार किया है जो बड़े होकर सूखे खाली पहाड़ पर काफी हरयाली प्रदान कर रहे है।
3. यह कि वर्ष 2017 में <u>पत्रांक संख्या 14/ चुनार/22/ दिनांक 17 जुलाई 2017</u> को वन विभाग द्वारा अचानक कंपनी द्वारा संचालित कैंप ऑफिस व वर्क शॉप इत्यादि के वेदखली हेतु नोटिस दिया तब कंपनी द्वारा सिविल न्यायलय मिर्जापुर में निषेधाज्ञा वाद वन विभाग को पक्षकार बनाते हुए वाद संस्थित किया गया जिसमे माननीय न्यायलय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मामले में स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायलय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध

व-दीवल
क०आ०कार्य०
करे
प्र०व०अ०
12/03/24

रजिस्टर क्रमांक 5497
फाईल सं०.........
दिनांक 15-3-24

ACP TOLLWAYS PVT. LTD. AHRAURA MIRZAPUR

जनपद न्यायाधीश मिर्जापुर के समक्ष मि0 सिविल अपील दाखिल किया गया जिस पर माननीय जनपद न्यायाधीश मिर्जापुर द्वारा दिनांक 11.11.2020 के द्वारा उभय पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जो वाद उपरोक्त में निर्धारित अग्रिम तिथि 02.04.2024 तक वैध है उपरोक्त मामला मेसर्स एसीपी टोल्वेज व वन विभाग के मध्य सिविल न्यायलय मिर्जापुर व जनपद न्यायाधीश मिर्जापुर के यहाँ वाद विचाराधीन है

4. यह कि कंपनी द्वारा भूस्वामी सरस्वती देवी से वन विभाग व उनके मध्य मुकदमे के वाद जानकारी मांगे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश मिर्जापुर के यहाँ प्रस्तुत अपील में आदेश होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायलय इलाहबाद के समक्ष सिविल अपील (SAPL)-[1020/2022] दाखिल किया है जो माननीय न्यायलय द्वारा स्वीकार कर सम्बंधित अभिलेख को तलब कर प्रतिवादी गण वन विभाग व अन्य को नोटिस जारी किया गया है उपरोक्त आरजी नंबर 291/2 के सम्बन्ध में भूस्वामी सरस्वती देवी व वन विभाग के मध्य माननीय उच्च न्यायलय में सिविल अपील विचाराधीन है

5. यह कि मेसर्स एसीपी टोल्वेज द्वारा उपशा के द्वारा प्राप्त निर्देशों व डिजाइन के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अतिक्रमण मुक्त ROW पर सड़क व टोल प्लाजा का निर्माण कराया गया है तथा उपशा द्वारा प्राप्त अनुमति (LETTER NO. 226/Pravi-18(4-T-Booth)/(V-S/2021-22/Lko) के पश्चात् ही निर्धारित स्थल पर टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है कंपनी द्वारा भूस्वामी सरस्वती देवी द्वारा वैध तरीके से अनुबंध कर भूमि किराये पर लेकर कैंप ऑफिस, वर्क शॉप इत्यादि का सञ्चालन किया जा रहा है कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार से वन भूमि से अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि कंपनी द्वारा कैंप ऑफिस व आस पास के सूखे पहाड़ पर भारी संख्या में लगभग 6000 से 7000 बृक्ष तैयार किया है जिससे काफी हरियाली तैयार हो गयी है जहाँ पर जीव जंतु निवास करते है कंपनी के किसी भी कार्य से किसी भी पशु पक्षी अथवा पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं है।

श्रीमान जी द्वारा सेवा में प्रेषित उपरोक्त पत्र के प्रकाश में सादर आख्या प्रेषित है जिसे स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

धन्यवाद Dated - 12-3-2024

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

एसीपी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड
कैंप कार्यालय अहरौरा,
ग्राम बेलखरा, परगना अहरौरा,
तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर

ANNEXURE 15

संलग्नक- 15
12:57
58%
Map
ACP Tollways द्वारा वन भूमि उपयोग की मौके की स्थिति।
Perimeter: 1.185 km • Area: 7.958 ha
Toll Plaza(SH 5A Ahraura Mirzapur)
5A
ACP Tollways Pvt Ltd (Varanasi...
Add picture
50 m
Google

Latitude: 24.995794
Longitude: 83.019537
Elevation: 152.42±3 m
Accuracy: 8.4 m
03 April 2024 7:29 pm

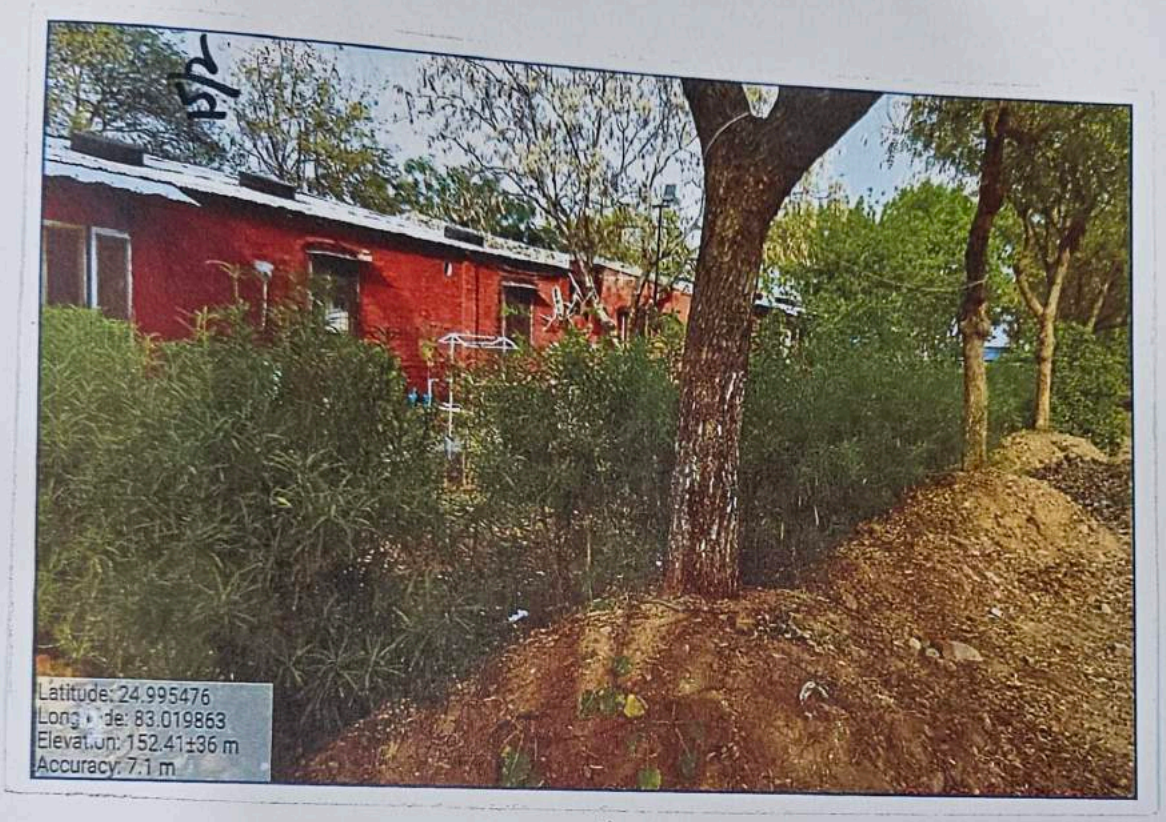
Latitude: 24.995476
Longitude: 83.019863
Elevation: 152.41±36 m
Accuracy: 7.1 m

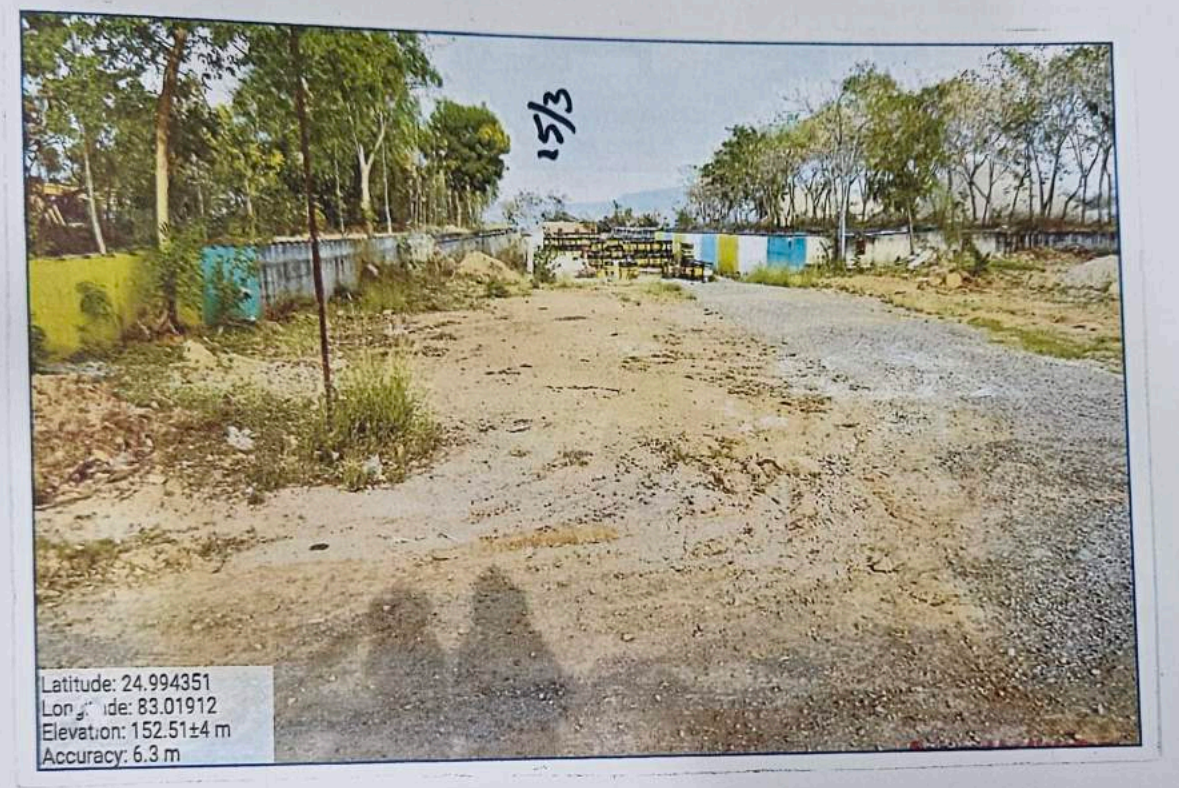
15/3
Latitude: 24.994351
Longitude: 83.01912
Elevation: 152.51±4 m
Accuracy: 6.3 m

3 April 2024 7:30 pm

15/5
Latitude: 24.995626
Longitude: 83.019714
Elevation: 152.42±11 m
Accuracy: 19.4 m

Latitude: 24.995026
Longitude: 83.019354
Elevation: 152.51±4 m
Accuracy: 6.0 m
April 2024 7:30 pm

ANNEXURE 16

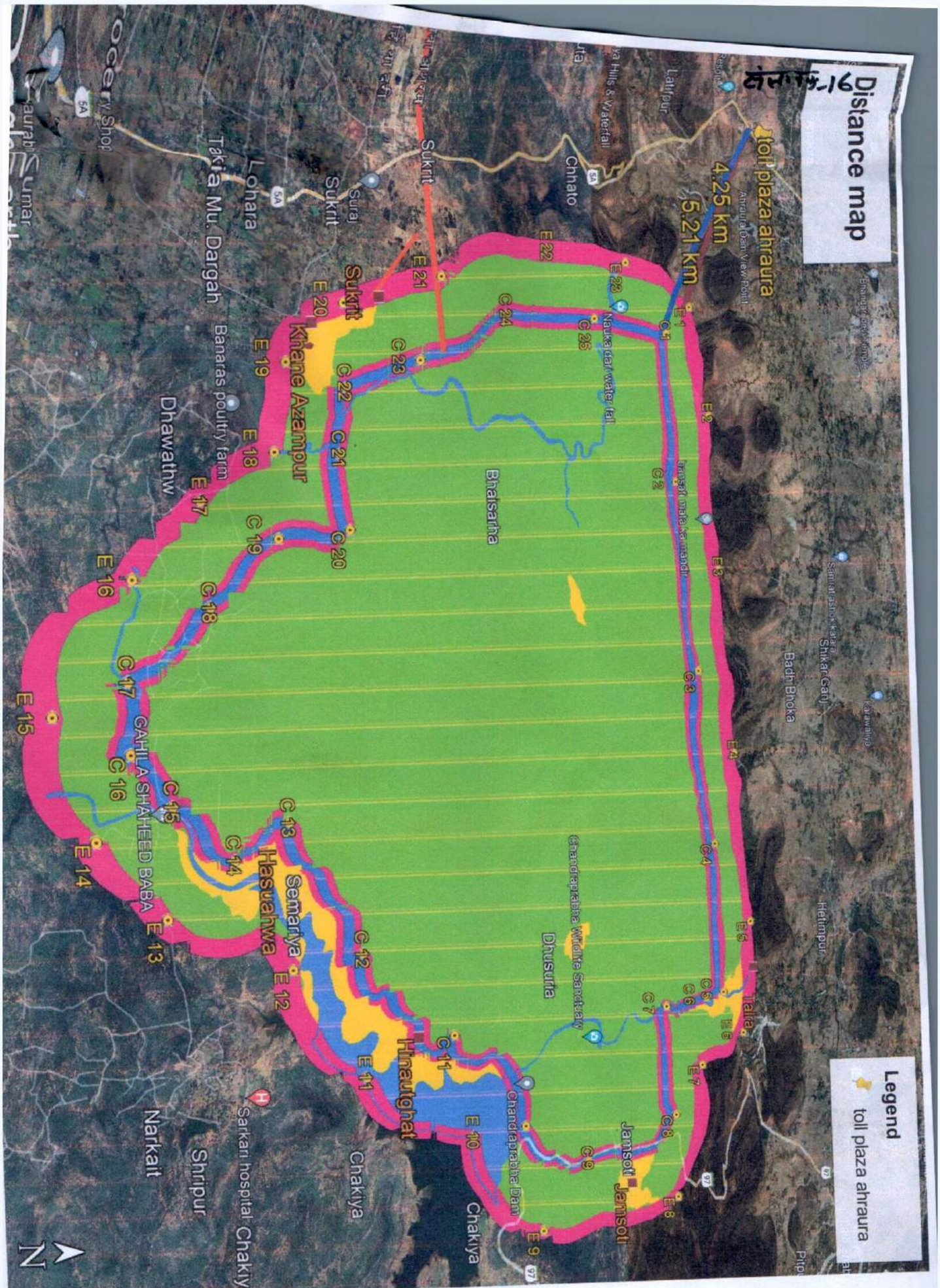

Distance map
toll plaza ahraura
4.25 km
5.21 km
Legend
toll plaza ahraura
Bhaisarha
Dhusuria
Chandraprabha Wildlife Sanctuary
Chandraprabha Dam
Sukrit
Khane Azampur
Hasuahwa
Semariya
Hinautghat
Jamsoti
Talia
GAHILA SHAHEED BABA
Dhawathw
Banaras poultry farm
Takia Mu. Dargah
Lohara
Chato
Narkait
Shripur
Sarkari hospital Chakiya
Chakiya
Badh Bhoka
Shikar Ganj
Hetimpur
Naukadari water fall
Latifpur